1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ–व्यवस्था, वर्ष 2008–09 में पूरे विश्व में आ रही मन्दी एवं वित्तीय कठिनाईयों के प्रभाव से ग्रसित होने के विपरीत लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर की ओर अग्रसर है। इस प्रगति के पीछे देश की बढ़ती नौजवान पीढ़ी है जोकि विकासात्मक दृष्टिकोण के चलते भारतीय अर्थ–व्यवस्था को मजबूत बनाती है, जो आगे भी जारी रहेगी परन्तु मुद्रा–स्फिति पर चिन्ता विचारणीय अवश्य रहेगी। फिर भी मध्यम वर्ग में समृद्धि स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है।

1.2 हाल ही के वर्षों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के 8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 9 प्रतिशत रखा गया है। हमारी आर्थिक सफलता, अर्थव्यवस्था के ठोस प्रयासों तथा मौसमी बदलाव के कुचक्रों के प्रभाव एवं विश्व मंदी का, विकास पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि भूतकाल में विकासात्मक गति तुरन्त वृद्धि कुछ समय पश्चात् मंदी की ओर गतिशील हो जाती थी, अब अर्थव्यवस्था मजबूत आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर एवं दृढ़ रहेगी।

1.3 स्थिर भावों (आधार 1999–2000) पर वर्ष 2007–08 में कुल सकल घरेलू उत्पाद 31,29,717 करोड़ रूपये आंका गया है जबकि 2006–07 में यह 28,71,118 करोड़ रूपये आंका गया है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2006–07 में 37,79,385 करोड़ रूपये की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2007–08 में लगभग 43,20,892 करोड रूपये है जो कि 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारतीय अर्थ–व्यवस्था (आधार 1999–2000=100) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2006–07 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2007–08 में सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि मुख्यतः विनिर्माण में (8.2 प्रतिशत) निर्माण क्षेत्र (10.1 प्रतिशत),, व्यापार व होटल में (10.1 प्रतिशत), यातायात व संचार (15.5 प्रतिशत), वित्त, स्थावर सम्पदा, व व्यवसायिक सेवाएं (11.7 प्रतिशत), व्यक्तिगत सेवाएं (6.8 प्रतिशत) और विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति क्षेत्र में 5.3 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत की वृद्धि कृषि, वानिकी व मत्स्य में हुई।

1.4 वित्तीय वर्ष 2008–09 में लगभग 7 प्रतिशत पूर्वानुमान वृद्धि दर आंकी गई है।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006–07 में 29,524 रूपये थी वर्ष 2007–08 में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यह 33,283 रूपये हो गई। स्थिर (1999–2000) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006–07 में 22,580 रूपये से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 24,295 रूपये हो गई जो कि 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.6 मुद्रा स्फीति रोकना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2008 के अंतिम सप्ताह में मुद्रा–स्फीति की दर 5.9 प्रतिशत रही जोकि दिसम्बर, 2007 के अंतिम सप्ताह में 3.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मुल्य सूचकांक में यह वृद्धि नवम्बर,2008 में 10.4 प्रतिशत रही जबकि यह नवम्बर,2007 में 5.5 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.7 हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र विकास में अग्रणी, फल उत्पादन के परिक्रमण और साथ ही में उद्योग, विद्युत और पर्यटन के निवेश में अधिमानित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मूल्य आधारित कार्यक्षमता के साथ, सभ्यता व परम्परा, उदार व्यापार और अन्य अत्याधिक प्रतिस्पर्धा उपायों से अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्वता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदेश

एक हृष्ट पुष्ट अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था सामानान्तर विकास दर से बढ रही है । प्रचलित वर्ष में 7.7 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है जोकि राष्ट्रीय वृद्वि के लगभत 7 प्रतिशत की वृद्वि से अच्छी है।

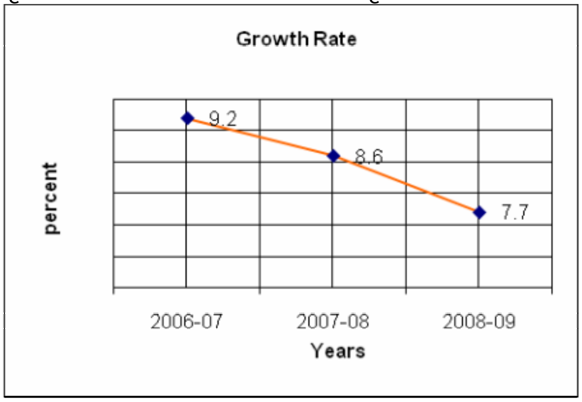

यह तथ्य इसके बावजूद कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर निर्भर करती है और कृषि उत्पादन में आया तनिक उतार–चढ़ाव विकास दर को प्रभावित करता है।

1.8 वर्ष 2006–07 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000 के भावों) पर 22,854 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2007–08 (द्रुत) में 24,817 करोड़ रूपये हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 8.6 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष 9.2 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर समस्त घरेलू उत्पाद वर्ष 2006–07 में 28,603 करोड़ रूपये की तुलना में वर्तमान वर्ष में 32,220 करोड़ रूपये आंका गया है। यह 12.6 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

1.9 वर्ष 2006–07 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 36,781 रूपये से बढ़कर 2007–08(द्रुत) अनुमानों के अनुसार 40,134 रूपये हो गई जो कि 9.1 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्वि का मुख्य कारण गौण क्षेत्रों की 11.8 प्रतिशत, 7.2 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र, यातायात व व्यापार क्षेत्र की 3.8 प्रतिशत 6.1 प्रतिशत सेवा क्षेत्र की विकास दर है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2006–07 में 14.76 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2007–08 में 14.41 लाख मीट्रिक टन (सम्भावित) रहा और 2008–09 में उत्पादन 14.67 लाख मीट्रिक टन (सम्भावित) है। फल उत्पादन में मुख्यतः 93.2 प्रतिशत की बढ़त हुई जबकि फल उत्पादन वर्ष 2006–07 में 3.69 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2007–08 में 7.13 लाख मीट्रिक टन हुआ। वर्ष 2008–09 में, दिसम्बर,2008 तक, कुल फल उत्पादन 5.94 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1
मुख्य सूचक

सूचक	2006–07	2007–08	2006–07	2007–08
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपयों में)				
प्रचलित भावों पर	25471	28358	10.4	11.3
स्थिर भावों पर	20928	22854	8.5	9.2
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	14.76	14.41	38.1	(–) 2.4
फलोत्पादन (000 टनों में)	369.10	712.84	(–)46.9	93.1
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपयों में)*	3261	3455	9.4	6.0
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1432	1865	7.5	30.2
थोक भाव सूचकांक	206.2	215.8	5.4	4.7
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	122	127	7.0	4.1

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.10 वर्ष 2008 के दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2008–09 में 7.7 प्रतिशत होने की संभावना है।

1.11 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2007–08 में 18.2 प्रतिशत रह गया।

1.12 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2007–08 में 10.7 प्रतिशत तथा 15.0 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2007–08 में 56.1 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.13 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतः कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.14 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.15 वर्ष 2008–09 में (दिसम्बर,2008 तक) 5.94 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2008 तक 2,327 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में 10.60 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2006–07 में 9.91 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.16 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.17 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें भारी लागत वाले कार्य और उन नए क्षेत्रों में व्यावसायिक परियोजनाओं की शुरूआत करना भी सम्मिलित है जहां निजि क्षेत्र अभी प्रारम्भ में कार्य करने से हिचकिचा रहा हैं। विशेष प्रचार अभियान के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:–

सारणी 1.2
आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2003	55.44	1.68	57.12
2004	63.45	2.04	65.49
2005	69.28	208	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50

1.18 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। इस सन्दर्भ में हिमाचल सरकार ने नास्कोम के सहयोग से आई.टी विजन–2010 तैयार किया है। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्वेश्य से सरकार ने टैलीमैडीसन परियोजना, अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस.) सामुदायिक सेवा केन्द्र, ई–समाधान, कृषि संसाधन, सूचना तंत्र, मैनेजमैंट सिस्टम (सी.सी.एम.एस.) 'हिम स्वान', 'आई.सी.ओ., और एस.सी,' प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.19 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करते हुए मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रयासों में एक आर्दश राज्य प्रस्तुत हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व उचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.20 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है।हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2008–09 में अप्रैल से नवम्बर,2008 तक 6.0 प्रतिशत बढा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.2 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि सरकार का मुल्य वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.21 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। 2008–09 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 9,398 करोड़ रूपये है जोकि वर्ष 2007–08 में 7,861 करोड़ रूपये थी जो 19.55 प्रतिशत की बढौतरी वर्ष 2008–09 में वर्ष 2007–08 पर दिखाती है।

1.22 वर्ष 2006–07 में 1,656 करोड रूपये तथा वर्ष 2007–08 में 1,963 करोड रूपये की तुलना में वर्ष 2008–09 में (बजट अनुमान) राज्य करों से कुल प्राप्त आय 2,301 करोड़ रूपये आंकी गई जोकि वर्ष 2007–08 की आय से 17.22 प्रतिशत अधिक है।

1.23 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें ब्याज प्राप्ति, परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2008–09(बजट अनुमान) में 1232 करोड़ रूपये आंका गया था जोकि कुल राजस्व का 13 प्रतिशत था।

1.24 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2008–09 (बजट अनुमान) में 894 करोड़ रूपये आंका गया है जबकि वर्ष 2007–08 में 745 करोड़ रूपये था। जोकि 20 प्रतिशत की बढौतरी दिखाता है।

1.25 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय 1337 करोड़ रूपये आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 41.85 प्रतिशत है। वर्ष 2007–08 में व वर्ष 2006–07 में यह क्रमशः 40.51 व 39.98 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2008–09 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय 1429 करोड़ रूपये आंकी गई है।

1.26 कुल सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व घाटे की प्रतिशतता वर्ष 2006–07 व 2007–08 में क्रमशः 0.67 व (-)0.14 प्रतिशत है।

1.27 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 13,778.00 करोड़ रूपये पर रखा गया है जबकि वर्ष 2009–10 की योजना के लिए 2,700.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2008–09 से 12.5 प्रतिशत अधिक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न हैः–

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्वय (करोड़ रूपये)	प्रतिशत भाग	प्राथ–मिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	1,470.08	10.67	III
2	ग्रामीण विकास	355.62	2.58	VIII
3	विशेष क्षेत्र	20.47	0.15	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,220.62	8.86	IV
5	विद्युत	1,122.14	8.14	V
6.	उद्योग एवं खनिज	177.68	1.29	IX
7	यातायात एवं संचार	2,142.33	15.55	II
8.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	2.92	0.02	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	798.59	5.80	VI
10	सामाजिक सेवाएं	6,060.29	43.98	I
11	सामान्य सेवाएं	407.26	2.96	VII
	कुल	**13,778.00**	**100.0**	

1.28 भारत निर्माण, पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना (2005–09) के अंतिम वर्षों में जिसका मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.29 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार देश में पहला प्रदेश है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.30 प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है । सरकार की प्राथमिकता हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और सड़क संरचना रही है। गरीबी को कम करना भी सरकार का लक्ष्य

है क्योंकि 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। एकताबद्व प्रयासों से लोक सेवा में दक्षता व गुणवता, विशेषता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सेवाओं में सुधार किया गया। सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- न्यूनतम मजदूरी 100 रूपये से बढ़ाकर 110 रूपये कर दी गई है जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की।
- समाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्वा अवस्था पैंशन, राष्ट्रीय वृद्व अवस्था पैंशन व विधवा पैंशन 300 रूपये से बढ़ाकर 330 रूपये की गई है तथा बजट में 8,503 लाख रूपयों का योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया।
- समाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 15,000 अतिरिक्त पात्र व्यक्तियों को पैंशन योजना के अधीन लाया गया है।
- अटल बिजली बचत योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर–परिवार में चार सी.एफ.एल. बल्ब आंवटित किए गए।
- जन–जन संजीवन वन अभियान,2008 के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को औषधीय पौधों का वितरण किया गया है।
- प्रदेश में उपलब्ध 20,416 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 6,418 मैगावाट का दोहन किया गया है। वर्ष 2007–08 में 1,865 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- हिमाचल प्रदेश के मूल वासियों को 5 मैगावाट तक परियोजनाओं को चलाने व लगाने में वरियता प्रदान की गई है।
- औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2007–08 में 11 प्रतिशत का राज्य आय में योगदान करता है तथा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज का वर्ष 2013 तक जारी रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे प्रदेश में 1अप्रैल,2008 से सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है। इस योजना के इस वर्ष 120.55 लाख कार्य दिवस 3,63,150 परिवारों को उपलब्ध करवाए गए।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2008–09 44,803रूपये अनुमानित की गई जबकि वर्ष 2007–08 में 40,134 रूपये थी जो वर्ष 2006–07 की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक रही।
- महिलाओं को प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया।
- राज्य में भैया–दूज तथा रक्षा–बन्धन त्यौहारों पर महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफत यात्रा का प्रावधान किया गया।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1,746 घरों का निर्माण वर्तमान वर्ष (दिसम्बर माह) तक बेघर लोगों को आश्रम प्रदान करने के लिए किया गया ।
- अटल आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि 27,500 रूपये से बढ़ाकर 38,500 रूपये प्रति लाभान्वित परिवार के लिए किया गया । योजना के अंतर्गत 3,708 नए घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत 259.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता राशि 11,001 रूपये के हिसाब से 576 कन्याओं के शुभ विवाह पर प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थानीय राजकीय संस्थाओं की भागीदारी से लागू कर घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई।
- जवाहर लाल नेहरू नगर उत्थान के अंतर्गत शिमला नगर को 1,036.00 लाख बजट का प्रावधान किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को पर्यावरण क्षेत्र में "डायमण्ड स्टेट आवार्ड" द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- बागवानी मिशन के तहत बागवानी उपज की प्रगति हेतु एक मजबूत आर्थिक मंच अधिकतर लोगों को प्रदान किया गया।
- पंडित दीन दयाल किसान व बागवान समृद्धि योजना के अंतर्गत 353 करोड़ रूपये रखे गये हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
- विभिन्न सरकारी विभागों / बोर्डों/ निकायों इत्यादि में 26,000 पद भरे जाएगें।
- राज्य में संगठित व असंगठित आर्थिक क्रिया–कलापों की गणना व विशलेषण हेतु पांचवीं आर्थिक गणना की गई जिसका परिणाम दिसम्बर,2008 के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित किया गया जिसके अनुसार राज्य में कुल 2,67,773 क्रिया–कलापों में 6,59,479 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है जोकि पिछली (चतुर्थ) गणना से 16 प्रतिशत अधिक है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(करोड़ रूपयों में)

मद	2005–06(वा.)	2006–07(वा.)	2007–08(स.)	2008–09(ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**6559**	**7836**	**7860**	**9398**
2. कर राजस्व	1990	2286	2708	3195
3. कर रहित राजस्व	690	1337	1092	1232
4. सहाय अनुदान	3879	4213	4060	4971
5. राजस्व व्यय	**6466**	**7644**	**7905**	**9328**
क. ब्याज भुगतान	1563	1669	1737	1829
6. राजस्व घाटा (1–5)	**93**	**192**	**–45**	**70**
7. पूंजी प्राप्तियां	**2247**	**2388**	**2379**	**3137**
क. उधार वसूलियां	22	23	23	23
ख. अन्य प्राप्तियां	211	243	350	300
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	2014	2122	**2006**	2814
8. पूंजी व्यय	**2376**	**2447**	**2316**	**3214**
9. कुल व्यय	**8842**	**10091**	10221	**12542**
क. योजना व्यय	2013	2365	2356	2669
ख. गैर योजना व्यय	6829	7726	7866	9873

सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

मद	2005–06(वा.)	2006–07(वा.)	2007–08(सं.)	2008–09(ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**25.53**	**27.40**	**24.39**	**25.44**
2. कर राजस्व	7.75	7.99	8.40	8.65
3. कर रहित राजस्व	2.69	4.67	3.39	3.34
4. सहाय अनुदान	15.10	14.73	12.60	13.46
5. राजस्व व्यय	25.17	26.72	24.53	25.25
क. ब्याज भुगतान	6.08	5.84	5.39	4.95
6. राजस्व घाटा (1–5)	**0.36**	**0.67**	**–0.14**	**–0.19**
7. पूंजी प्राप्तियां	**8.75**	**8.35**	**7.38**	**8.49**
क. उधार वसूलियां	0.09	0.08	0.07	0.06
ख. अन्य प्राप्तियां	0.82	0.85	1.09	0.81
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	7.84	7.42	6.23	7.62
8. पूंजी व्यय	**9.25**	**8.56**	**7.19**	**8.70**
9. कुल व्यय	**34.42**	**35.28**	**31.72**	**33.95**
क. योजना व्यय	7.84	8.27	7.31	7.23
ख. गैर योजना व्यय	26.58	27.01	24.41	26.73

टिप्पणीः वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08(द्रुत) तथा 2008–09 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड़ है। द्रुत अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर (आधार 1999–2000) वर्ष 2007–08 में प्रदेश का समस्त घरेलू उत्पाद 24,817 करोड़ रूपये आंका गया जबकि वर्ष 2006–07 में यह 22,854 करोड़ रूपये था। वर्ष 2007–08 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:1999–2000) पर 8.6 प्रतिशत रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2006–07 में 28,603 करोड़ रूपये से बढ़कर 2007–08 में 32,220 करोड़ रूपये हो गया जो कि 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2006–07 में 14.76 लाख Vन खाद्यान्न की तुलना में 2007–08 में 14.41 लाख टन हुआ। वर्ष 2006–07 में सेब उत्पादन 2.68 लाख टन की तुलना में वर्ष 2007–08 में बढ़कर 5.93 लाख टन हुआ।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2007–08 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 18.15 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय स्तर के अनुमानित 7.0 प्रतिशत वृद्वि की तुलना में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर आगे सारणी में दर्शाई गई है:–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

o"k	fgekpy izns'k	lEkLr Hkkjr
2006–07(संशोधित)	9.2	9.7
2007–08(द्रुत)	8.6	9.0
2008–09 (अग्रिम)	7.7	7.0

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों 1999–2000 श्रंखला के अनुसार 2007–08 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 40,134 रूपये है जोकि 2006–07 में 36,781 रूपये की तुलना में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर भावों पर वर्ष 2006–07 में प्रति व्यक्ति आय 28,639 रूपये आंकी गई थी जो कि वर्ष 2007–08 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 30,586 रूपये हो गई।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2007–08 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 21.81 प्रतिशत रहा । गौण क्षेत्रों का 41.67 प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 15.03 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 12.63 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 8.86 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष

2007–08 में 18.15 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990–91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2007–08 में 21.81 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 41.67 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 7.7 प्रतिशत हो गया अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2007–08 में 36.52 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2007-08 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.6 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2007–08 (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1. कषि एवं अन्य	4,504	9.3
2. वन	533	-7.3
3. मत्सय	33	7.1
4.खनन तथा उत्खनन	76	0.9
कुल प्राथमिक	5,146	7.2

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्सय खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2007–08 में 7.2 प्रतिशत की वृद्वि रही। मौसम के अनुकूल रहने के कारण कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के बराबर न रहने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में वृद्वि आई।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2007-08 (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1. विनिर्माण	2,771	6.7
2. निर्माण	5,070	10.9
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	2,472	20.1
कुल गौण क्षेत्र	10,313	11.8

2.12 इस क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2007–08 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। इस क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि इस विषय को दर्शाती है कि अर्थ–व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से गौण क्षेत्र की ओर अग्रसर है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	**2007-08** (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1.परिवहन, संचार व व्यापार	3,116	4.8
2.वित्त एवं स्थायवर सम्पदायें	2,311	7.7
3. सामुदायिक संवायें	3,930	6.1
कुल सेवा क्षेत्र	9,357	6.0

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2007–08 में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर 4.8 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र का परिवहन से सम्बन्धित भाग 6.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जो राष्ट्रीय स्तर के बराबर है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक

सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2007–08 मे 7.7 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2007–08 में 6.1 प्रतिशत है ।

सम्भावनाएं–2008–09

2.16 दिसम्बर,2008 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008–09 में विकास दर 7.7 **प्रतिशत** आने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर लगभग 7.0 **प्रतिशत** है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 9.2 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग 36,940 करोड़ रूपये होने की संभावना है।

2.17 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2007–08 में 40,134 रूपये की तुलना में वर्ष 2008–09 में 44,803 रूपये आंकी गई है जोकि 11.6 प्रतिशत अधिक है।

2.18 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया हैः–

सारणी 2.2

vof/k	vkSlru fodkl nj izfr'kr	
	fgekpy izns'k	leLr Hkkjr
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8

3- e|nk ,o cd

3.1 अर्थव्यवस्था को विकसित करने में बैंकों की विशेष भूमिका है । बैंक ऐसी सामाजिक बैंकिग नीतियां व कार्यक्रम तैयार करता है जिनका उद्वेश्य अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों कृषि और उद्योग की प्रगति व किसानों, कारीगरों, व्यवसायिओं और स्वरोजगारों के किया–कलापों को लाभान्वित कर गरीबी दूर करना है ।

3.2 सितम्बर,2008 को राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण/सहकारी बैंकों सहित बैंकों की कुल 1,330 शाखाएं थीं । इस समय हिमाचल प्रदेश में 20 वाणिज्यिक बैंकों की 889 शाखाएं हैं जिनमें से 723 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 166 शाखाएं शहरी/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.), पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.), यूनाईटेड कमर्शियल बैंक (यूको बैंक) तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) मुख्य बैंक हैं जिनकी 608 शाखाएं हैं। राज्य में इस समय दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (i) हिमाचल ग्रामीण बैंक तथा (ii) पर्वतीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी क्रमशः 118 तथा 29 शाखाएं हैं। आठ निजी क्षेत्र के बैंक जिनकी 35 शाखाएं कार्यशील है।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, मण्डी, सिरमौर, तथा चम्बा में इसकी 175 शाखाएं हैं इनमें एक शाखा दिल्ली भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में दो केन्द्रीय सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जबकि कांगड़ा, केन्द्रीय सहकारी बैंक की पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, उना तथा लाहौल–स्पिति में 162 शाखाएं हैं तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी की केवल सोलन जिलें में 20 शाखाएं हैं।

सितम्बर,2008 तक इन बैंकों द्वारा की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

vfxe ,o tek jkf'k

3.4 हिमाचल प्रदेश में स्थित लीड़ बैंक स्कीम के अंतर्गत बैंकों में सितम्बर,2008 को शुद्ध पब्लिक जमा 24,939.56 करोड़ रूपये था जो कि 13.40 प्रतिशत विकास दर दर्शाता है। कुल अग्रिम सितम्बर,2008 के अंत तक 12,493.04 करोड. रूपए है और जोकि 16.16 प्रतिशत की विकास दर को दर्शाता है। बैंकों की ऋण जमा राशि अनुपात सितम्बर,08 तक 2.84 प्रतिशत विकास दर दर्ज करते हुए 50.09 प्रतिशत रही।

lkj.kh 3-1

fgekpy izn'k e cdk d ryukRed vkdM

(करोड़ रूपये)

मद	सितम्बर,2007	सितम्बर,2008	वर्ष के दौरान परिवर्तन
1. जमा राशि (पी.पी.डी.)			
ग्रामीण	14913.00	14863.43	(-) 49.57
अर्ध शहरी	7080.40	10076.13	2995.73
कुल	21993.40	24939.56	2946.16
2. अग्रिम (ओ/एस)			
ग्रामीण	5813.91	5639.32	(-) 174.59
अर्ध शहरी	4899.18	6853.72	1954.54
कुल	10713.09	12493.04	1779.95
3. जमा उधार अनुपात (प्रतिशत में)			
ग्रामीण	38.99	37.94	(-) 1.05
अर्ध शहरी	69.19	68.02	(-) 1.17
कुल	48.71	50.09	1.38
4. बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवेश	1022.69	725.12	(-) 297.57
5. निवेश जमा उधार अनुपात में (आईसीडी)(% में)	53.36	53.00	(-) 0.36
6. प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	6506.77	6718.00	211.23
(i) कृषि	1823.57	2041.13	217.56
(ii) एस एस आई	910.55	1190.55	280.00
(iii) सेंवाएं	3772.65	3486.32	(-) 286.33
7. गरीबों को अग्रिम	1657.34	1575.38	(-) 81.96
8. ड़ी. आर. आई. अग्रिम	77.00	158.00	81.00
9. सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में अग्रिम	440.88	297.11	(-) 143.77
10.अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	4206.32	5774.80	1568.48
11.महिलाओं के लिए ऋण	543.73	689.33	145.60
12. शाखाओं की संख्या	1278	1330	52

ikFkfedrk {k= e: m/kkj

3.5 बैंकों द्वारा सितम्बर,2008 तक 6,718.00 करोड़ रूपये प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बांटे गए जोकि कुल राशि का 53.77 प्रतिशत है। पिछले वर्ष 60.74 प्रतिशत की तुलना में 6.97 प्रतिशत की दर से घटा है। ए.सी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 3,549.31 करोड़ के लक्ष्य में से, बैंकों की उपलब्धि सितम्बर,2008 के अंत तक 54.16 प्रतिशत रही। क्षेत्रवार प्रगति सारणी 3.2 में दर्शाई गई हैः–

सारणी 3.2

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	वार्षिक वचनबद्धता 2008–09	वास्तविक उपलब्धि सितम्बर, 08 तक	प्रतिशत उपलब्धि (%)
1	2	3	4
1. कृषि	1182.86	601.74	50.87
2. एस.एस.आई	347.67	216.69	46.30
3. सेवाएं	1887.93	736.87	39.03
कुल प्राथमिक	3418.46	1555.30	45.49
गैर प्राथमिक क्षेत्र	680.53	664.55	97.65
कुल योगः	**4099.00**	**2219.85**	**54.16**

ljdkj }kjk i:;kftr dk;Zdek: d: vUrxZr cSdk: dk ;kxnku

d- i/kkue=h jktxkj dk;Zde

3.6 भारत सरकार ने अभी हाल ही में नई रोजगार उत्पादन नीति तैयार की है जोकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को इक्टठा करके बनाई गई है। इस योजना के वर्ष 2008–09 के लक्ष्यों के लिए सभी बैंकों को पहले ही निर्देश दे दिए हैं। इसकी प्रगति दिसम्बर,08 से दर्ज की जाएगी।

[k- Lo.kZ T;Urh xzke Lojktxkj ;ktuk

3.7 इस योजना के अन्तर्गत व्यैक्तिक स्वरोजगार के 797 मामले स्वीकृत किए गए तथा 3.26 करोड़ रूपये वितरित किए गए। समूह आवास योजना के अंतर्गत 355 मामले स्वीकृत किए गए तथा सितम्बर,2008 तक 7.19 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

x- Lo.kZ T;Urh ‘kgjh jktxkj ;ktuk(,l-t-,l-vkj-okbZ-)

3.8 गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की यह योजना प्रदेश के सभी शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही है। बैंको द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 ऋण मामलों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर,2008 तक 43 ऋण मामलों को 17.88 लाख रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए।

?k- eSyk <kus okys ykxk dh efDr o iquokZl

3.9 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के 2,826 लाभार्थियों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर,2008 तक 650 लाभार्थी बैंकों को प्रायोजित किए गए जिनमें से सितम्बर,2008 तक 93.13 लाख रूपये 288 लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए तथा 87.73 लाख रूपये 278 लाभार्थियों में वितरित किए गए।

M- Lojktxkj dkfMV dkMZ ;ktuk&

3.10 इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2008 तक 86.16 करोड़ रूपये की राशि से बैकों द्वारा छोटे ग्रामीण कारीगरों तथा स्वंय

रोजगार व्यक्तियों को 2,118 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड दिए गए।

p- l{e foRr

3.11 बैंकों ने राज्य में 47,140 स्वंय सहायता समूह गठित किए जिनमें से 43,799 स्वंय सहायता समूह को ऋण के लिए बैंकों से सम्बद्ध कर लिया गया है । बैंकों ने 82.73 करोड़ रूपये के ऋण इन समूहों को स्वीकृत किए हैं।

छ. किसान क्रेडिट कार्ड

3.12 इसके अतिरिक्त सितम्बर,2008 तक बैंकों ने 3,05,136 ग्रामीण कारीगरों और स्वंय रोजगार व्यक्तियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या में ए.आर.डब्लयू. आर.एस.,2008 के कारण कमी दर्ज हुई।

t- efgyk m|fe;ksa dks _.k lqfo/kk

3.13 30सितम्बर,2008 तक बैंकों ने महिला उद्यमियों को 689.33 करोड़ के ऋण दिए जो कि प्रदेश में दिए गए कुल ऋण का 5.52 प्रतिशत है।

>- ‘kr&izfr’kr ifjokjksa dks foRrh; lekos’k

3-14 बैंको द्वारा पहले ही राज्य में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और मार्च,2009 तक का ऋण समावेश का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है।

M- fg0iz0 ds lHkh dks"kkxkj dks cSfdx dk"kkxkj esa cnyuk

3-15 सभी सरकारी कोषागारों को बैंकों में बदलने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। डोडरा क्वार तथा कमराउ सरकारी कोषागारों को बदलने के लिए राज्य सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौता प्रगति पर है।

p- fg0iz0 esa ‘kr&izfr’kr izkS|ksfxdh; lekos’k dh izxfr

3-16 राज्य में प्राद्योगिकीय समावेश की 100 प्रतिशत उपलब्धि की ओर अग्रसर है। बैंकों द्वारा राज्य में 100 प्रतिशत औद्योगिक समावेश का लक्ष्य प्राप्त करना है।

N- xkao vaxhdj.k ;kstuk

3-17 सभी बड़े बैंकों ने काफी संख्या में गांवों का "गांव अंगीकरण योजना" के तहत अंगीकरण कर लिया हैं। इस योजना के अंतर्गत सितम्बर,2008 तक 521 गांवों का अंगीकरण कर लिया गया है।

ukckMZ

3.18 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में पौध–रोपण एवं बागवानी, ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण तरीकों का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य मे पर्याप्त सहयोग दिया है । नाबार्ड के अधिक से अधिक व क्रियात्मक सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित उधार के साथ उपदान की योजनाएं जैसे पशुपालन एवं कुक्कुट विकास/कृषि विपणन के मूलभूत ढ़ांचे के सुदृढीकरण, बगीचों के मानकीकरण, जनजातीय विकास निधि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जातीय क्षेत्रों में वर्षा के पानी द्वारा कृषि योजना, फलों की पैदावार के लिए वातानुकुलित गोदामों का निर्माण/उन्नयन, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र इत्यादि योजनाओं को भी कर रहा है।

xzkeh.k lqfo/kk lajpuk

3.19 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995–96 में ग्रामीण सुविधा संरचना फंड (आर. आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमो को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से संबंधित विशेष सरंचना

ढांचे के विकास हेतु जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है ।

3.20 आर.आई.डी.एफ. योजना के लागू होने से 31 दिसम्बर,2008 तक सरकार को विभिन्न क्षेत्र में 3,972 परियोजनाओं जैसे पौली हाउस, सिंचाई, सड़क, व पुल, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण व प्राथमिक पाठशाला के कमरों के निर्माण हेतु 2,187.26 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

3.21 चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर,2008 तक ग्रामीण सुविधा संरचना विकास फंड के अन्तर्गत 374.46 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। वर्ष 2008–09 के दौरान प्रदेश सरकार को 112.41 करोड़ रूपये वितरित किए गए जिससे सरकार को अब तक का कुल वितरण 1,353.04 करोड़ रूपये हो गया है ।

3.22 स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन/ पूर्ण होने के उपरान्त 66,094 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई,2007 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा, 147 हैक्टेयर भूमि को पोली हाउस के अंतर्गत लाया जाएगा, 5,676 कि. मी. वाहन योग्य सड़कें, 14,883 मी. लम्बे पुलों का निर्माण, 4,764 हैक्टेयर भूमि का बाढ़ नियंत्रण व 6,219 हैक्टेयर भूमि को जल संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। पीने का पानी 1682067 लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं में 2,921 कमरों का निर्माण व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 64 विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। 25 नए सूचना प्रौद्योगिक केन्द्र व 288 पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

iqu% foRr lgk;rk

3.23 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा 31दिसम्बर,2008 तक प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को 148.18 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता वर्ष 2008–09 के दौरान दी गई। नाबार्ड सिंचाई योजनाओं के लिए भी ऋण सुविधा बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा है ।

y?kq _.k

3.24 स्वंय सहायता समूह (एस.एच. जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय 31 दिसम्बर, 2008 तक प्रदेश में 47,000 स्वंय सहायता समूह कार्यरत हैं जिनकों समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। दिसम्बर,2008 तक प्रदेश में 43,000 स्वंय सहायता समूह को 16,586 गांव एवं 993 बैकों के साथ लघु ऋण गतिविधियों के साथ जोड़े गए। कुल 25 किसान क्लब स्वंय सहायता उत्साहित संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं।

xzkeh.k xSj d`f"k {ks=

3.25 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। इस क्षेत्र में पुनः वित्तीय वर्ष 2008–09 में 31दिसम्बर,2008 तक ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 41.71 करोड़ रूपये नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए। नाबार्ड ने जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (ड्रिप) शुरू की है। जिला सोलन, मण्डी, कांगड़ा व हमीरपुर में यह परियोजना क्रमशः अप्रैल,2001, अप्रैल,2002, अप्रैल,2003 तथा अप्रैल,2004 से शुरू की जा चुकी है।

3.26 उपरोक्त के अतिरिक्त नाबार्ड, उन ग्रामीण नवयुवकों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं ग्रामीण उद्यमी विकास कार्यक्रम (आर.ई.डी.पीज) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। महिला उद्यमों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अन्य योजना “गैर कृषि विकास योजना में ग्रामीण महिलाओं की सहायता” नाम से भी

चलाई जा रही है जिसमें कार्पेट विविंग, शालें बनाना, सिलाई तथा नर्म खिलौने बनाना इत्यादि क्रिया–कलाप शामिल हैं। है। नावार्ड ने एक निधि –नावार्ड–एस.डी.सी. ग्रामीण निधि (आर. आई.एफ.) स्थापित की है जिससे गरीब ग्रामीणों को सहायता मिलेगी। निधि से नवीनता के लिए सहायता, मित्रता जोखिम, खेतों में अपरम्परागत प्रयोग, गैर फार्म, लघु वित्त क्षेत्र, जीवन स्तर के उत्थान एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं के उत्थान के लिए बनाया गया है। नाबार्ड ने प्रदेश में 532 किसान क्लब स्थापित किए हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड ने पर्यटन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उनकी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्यटन समूहों को विकसित करने का निर्णय लिया है। सभी गतिविधियां जो ग्राामीण पर्यटन का हिस्सा है नाबार्ड के अंतर्गत पुनः वित्तीय सहायता की पात्र हैं। नाबार्ड ने स्वरोजगार ऋण कार्ड योजना ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य लघु उद्यमियों के लिए चलाई है जिसके लिए पर्याप्त ऋण कार्यशील पूंजी का प्रावधान है।

vk/kkj Lrj ij _.k i:okg

3.27 वर्ष 2007–08 में प्राथमिक क्षेत्रों के आधार स्तर ऋण प्रवाह 3,377.95 करोड़ रूपये तक पहुंच गया जबकि वर्ष 2006–07 में यह राशि 2,688.25 करोड़ थी ।

3.28 जहां तक वित्तीय समावेश की बात है। 1जनवरी,2007 तक 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश प्राप्त करके प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है जिसके अंतर्गत 31.3.2009 तक हिमाचल प्रदेश की पूरी ग्रामीण जनसंख्या को लाया जाएगा।

4- Hkko ,oa [kk| 0;oLFkk

d- Hkko fLFkfr

4.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्रमुखता सूची में एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक, वर्ष 2007 के अंतिम सप्ताह में (29.12.2007) को 215.4 से बढ़कर दिसम्बर,2008 के अंतिम सप्ताह मे (27.12.2008) 228.8 हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 6.2 प्रतिशत दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों के माहवार थोक मूल्य सूचकांक तथा वर्ष 2008–09 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 4.1 में दर्शाई गई हैः–

lkj.kh 4-1
vf[ky Hkkjrh; Fkksd eY; lwpdkad vk/kkj 1993&94=100

मास	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	मुद्रा–स्फीति दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	162.3	173.1	180.9	191.7	199.0	211.5	228.5	8.0
मई	162.8	173.4	182.1	192.1	201.3	212.3	231.1	8.8
जून	164.7	173.5	185.2	193.2	203.1	212.3	237.4	11.8
जुलाई	165.6	173.4	186.6	194.6	204.0	213.6	240.0	12.4
अगस्त	167.1	173.7	188.4	195.3	205.3	213.8	241.2	12.8
सितम्बर	167.4	175.6	189.4	197.2	207.8	215.1	241.5	12.3
अक्तूबर	167.5	176.1	188.9	197.8	208.7	215.2	239.0(अ)	11.1(अ)
नवम्बर	167.8	176.9	190.2	198.2	209.1	215.9	234.6(अ)	8.7(अ)
दिसम्बर	167.2	176.8	188.8	197.2	208.4	216.4	229.9(अ)	6.2(अ)
जनवरी	167.8	178.7	186.6	196.3	208.8	218.1	.....	...
फरवरी	169.4	179.7	188.8	196.4	208.9	219.9	.....	...
मार्च	171.6	179.7	189.4	196.8	209.8	222.5	.....	...
औसत	**166.8**	**175.9**	**187.2**	**195.6**	**206.2**	215.6	.....	...

अ = अनुमानित

4.2 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,362 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ. आई.वी.आई.एम.एस. (खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली) लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। अप्रैल,2008 से नवम्बर,2008 तक हिमाचल उपभोक्ता सूचकांक में राष्ट्रीय उपभोक्ता सूचकांक की 7.2 प्रतिशत की (138 से 148) तुलना में केवल 6.0 प्रतिशत (133 से 141) की वृद्धि आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/

अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा गया ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

lkj.kh 4-2

fgekpy izn'k e: vk|kfxd Jfedk d: fy, miHkkDrk eY; lpdkd (vk/kkj 1982=100) (foRrh; o"kZ ekgokj vkSlr vuqlkj)

Ekkg	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06	2006&07*	2007&08*	2008&09*	fiNys o"kZ ls ifr'krrk esa ifjorZu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	450	459	481	505	118	126	133	5.6
मई	451	462	481	502	117	125	132	5.6
जून	454	462	485	501	120	125	134	7.2
जुलाई	457	469	491	509	120	126	136	7.9
अगस्त	459	470	496	512	121	126	137	8.7
सितम्बर	464	474	497	519	122	127	140	10.2
अक्तूबर	462	479	500	525	124	127	141	11.0
नवम्बर	462	476	498	527	124	127	141	11.0
दिसम्बर	451	473	491	521	124	126	...	...
जनवरी	453	476	497	521	125	127	...	...
फरवरी	455	477	498	521	124	128	...	...
मार्च	457	478	499	530	125	130	...	...
औसत	456	471	493	516	122	127	...	...

* आधार वर्ष 2001=100 आधार को जोड़ने के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.53 है।

yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

4.3 लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,362 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी तथा मिटटी के तेल का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित कराना है । खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को विभिन्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है (i) ए.पी.एल. गरीबी रेखा से उपर (ii) बी.पी.एल. गरीबी रेखा से नीचे (iii) अन्त्तोदय(अतिनिर्धन) (iv) अन्नपूर्णा (निःसहाय वृद्धों के लिए)

4.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में 15,50,529 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अंतर्गत 71,72,845 जनसंख्या को 4,362 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है जिनका श्रेणीवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

सारणी संख्या 4.3

उचित मुल्य की दुकानों का 31.12.208 के अनुसार श्रेणीवार ब्यौरा

सहकारी सभाएं	पंचायत	नगरिक आपूर्ति निगम	व्यक्तिगत	महिला मण्डल	कुल
1	2	3	4	5	6
2,899	40	133	1,285	5	4,362

4.5 इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को लेवी चीनी 700 ग्राम प्रतिव्यक्ति 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिमाह वितरित की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं को विशेष अनुदान पर दालों व खाद्य तेलों का वितरण वर्ष 2008–09 में काला चना 20.00 रूपये, दाल उड़द 25.00 रूपये, दाल चना 25.00 रूपये एवं नमक 4.00 रूपये प्रति किलोग्राम तथा तेल सरसों 45.00 रूपये एवं तेल रिफाईन्ड 40.00 रूपये प्रति लिटर की दर से प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम दिया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 120 गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में इस समय 286 पैट्रोल पम्प कार्यरत हैं तथा प्रदेश में 36 मिट्टी के तेल के थोक व्रिकेता कार्यरत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2008–09 में निम्न खाद्य वस्तुए भेजी गईः–

सारणी संख्या 4.4

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का भण्डारण

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण
1.	गेहूं / गेहूं आाटा (ए.पी.एल.)	मी..टन	6,704
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी..टन	3,491
3.	गेहू (बी.पी..एल.)	मी..टन	1,998
4.	चावल (बी.पी.एल.)	मी..टन	2,507
5	गेहूं(ए.ए.वाई.)	मी..टन	1,696
6	चावल (ए.ए.वाई.)	मी..टन	1,541
7	चावल अन्पूर्णा	मी..टन	18
8	लेवी चीनी	मी..टन	1,687
9	मिट्टी का तेल	कि.लीटर	2,012
10	एल.पी.जी.	संख्या	1,53,298
11	स्टीम कोयला	मी..टन	4,215
12	नमक	मी..टन	366
13	दाल चना	मी..टन	408
14	दाल उड़द	मी..टन	398
15	काला चना	मी..टन	428
16	सरसों का तेल	कि.ली.	471
17	रिफाईण्ड तेल	कि.ली.	414

5- d`f"k o lEcfU/kr {k=

d`f"k

5.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में कुल कामगारों में से 69 प्रतिशत श्रमिकों को कृषि से ही रोजगार उपलब्ध होता है।

5.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 18.15 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है । प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.14 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.1 हैक्टेयर है। कृषि जनगणना 2000–01 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 5.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 86.4 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 13.2 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.4 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 5.1
भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (हैक्टेयर)
1.0 से कम	सीमान्त	6.15 (67.3%)	2.52 (25.8%)	0.4
1.0–2.0	लघु	1.74 (19.1%)	2.45 (25.0%)	1.4
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.90 (9.8%)	2.43 (24.8%)	2.7
4.0–10.0	मध्यम	0.31 (3.4%)	1.76 (18.0%)	5.7
10.0 व अधिक	बड़े	0.04 (0.4%)	0.63 (6.4%)	15.7
	जोड़	**9.14**	**9.79**	**1.1**

5.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है । चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

(i) उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
(ii) उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
(iii) नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
(iv) शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

5.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण वेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,435 मी.मी. वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

eku lu 2007

5.5 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2008 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन और उना जिला में अत्याधिक, कांगड़ा, मण्डी, एवं सिरमौर जिलों में सामान्य तथा चम्बा और लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल

प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में केवल –5 प्रतिशत वर्षा हुई। सारणी 5.2 में विभिन्न जिलों में मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

lkj.kh 5-2
ekulu o"kkZ

(जून–सितम्बर 2008)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता/कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	1126	899	238	26
चम्बा	422	880	–457	–52
हमीरपुर	1193	1093	99	9
कांगड़ा	1521	1567	–46	–3
किन्नौर	308	184	125	68
कुल्लु	937	570	367	64
लाहौल–स्पिति	215	456	–241	–53
मण्ड़ी	1042	1140	– 99	– 9
शिमला	909	719	190	26
सिरमौर	1237	1403	–166	–12
सोलन	1282	1038	244	24
उना	1374	834	539	65

टिप्पणीः

सामान्य –19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रति शत से अधिक
न्यून –20 प्रति शत से –59 प्रति शत
अपर्याप्त–60 प्रतिशत से –99 प्रतिशत

Qly mRiknu 2007&08

5.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2007–08 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 18.15 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2007–08 कृषि के लिए सामान्य होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2006–07 के 14.76 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2007–08 में 14.41 लाख मीट्रिक टन रहने की संभावना है। वर्ष 2006–07 के 1.63 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्ष 2007–08 में आलू उत्पादन 1.55 लाख मीट्रिक टन था । सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2006–07 के 9.91 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2007–08 में 10.60 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2008&09 d: vuqeku

5.7 वर्ष 2008–09 में कुल उत्पादन 16.38 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है । खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता हैं। खरीफ सीजन अगस्त,2008 के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के कुछ भागों में लगातार वर्षा गतिरोध तथा स्टाक रूट बीमारी की वजह से खरीफ फसल बहुत प्रभावित हुई है। इसके कारण खरीफ उत्पादन 9.16 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के तुलना में खरीफ उत्पादन लगभग 7.44 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। अक्तूबर से दिसम्बर,2008 में वर्षा छिटपुट होने के कारण वर्ष 2008–09 का रबी उत्पादन का लक्ष्य घटने की सम्भावना है। राज्य में वर्ष 2005–06 से 2007–08 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2008–09 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2009–10 के लक्ष्य सारणी 5.3 में दर्शाए गए हैः–

lkj.kh 5-3
[kk|kUu mRiknu

('000 टनों में)

फसल	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (अनुमानित)	2009–10 (लक्ष्य)
चावल	109.13	112.14	123.49	121.45	107.17	120.20
मक्की	636.29	543.06	695.38	682.61	619.24	779.46
रागी	4.45	3.41	3.16	2.49	3.57	4.50
अनाज	5.70	5.67	5.08	5.46	5.24	6.60
गेंहू	687.45	365.89	596.49	562.01	679.78	684.74
जौं	33.72	29.36	33.87	30.68	34.74	35.00
चना	1.32	0.72	1.02	1.37	3.47	3.50
अन्य दालें	9.59	8.44	17.98	34.59	13.59	16.00
कुल खाद्यान्न	**1487.65**	**1068.69**	**1476.47**	**1440.66**	**1466.80**	**1650.00**

[kk|kUu mRiknu dk fodkl

5.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्वेश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2008–09 में 792.02 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जोकि सारणी 5.4 से पता चलता है।

lkj.kh 5-4
[kk|kUuksa ds vUrxZr {ks= rFkk mRiknu

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2002–03	806.3	1110.9	1.38
2003–04	812.4	1398.0	1.72
2004–05	811.0	1487.7	1.83
2005–06	792.7	1068.7	1.35
2006–07	806.1	1476.5	1.83
2007–08	812.0	1440.7	1.77
2008–09(संभावित)	792.0	1466.8	1.85
2009–10(लक्ष्य)	798.0	1650.0	2.06

vf/kd mit nsus okyh Qlyksa dh fdLesa lcf/kr dk;Zde (,p-okbZ-oh-ih-)

5.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र, वर्ष 2008–09 का अनुमानित क्षेत्र तथा 2009–10 के लिए लक्ष्य रखा गया जो सारणी 5.5 में दिया गया है।

lkj.kh 5-5
vf/kd mit nsus okyh Qlyksa ds vUrxZr {ks=

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2003–04	222.19	78.91	364.07
2004–05	242.76	75.21	353.29
2005–06	273.14	70.94	346.15
2006–07	280.61	72.65	349.60
2007–08	280.31	73.51	322.09
2008–09 (संभावित)	280.00	71.74	327.00
2009–10(लक्ष्य)	280.00	76.00	328.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 25 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके

अतिरिक्त प्रदेश में 14 आलू विकास केन्द्र, 4 सब्जी विकास केन्द्र, तथा 2 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

ik/k laj{k.k dk;de

5.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्वेश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर. डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है।

lkj.kh 5-6
lHkkfor ,o iLrkfor y{; fuEu g&

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का विवरण (मी.टन)
2002–03	440.00	146
2003–04	380.00	163
2004–05	368.00	161
2005–06	400.00	134
2006–07	450.00	134
2007–08	440.00	135
2008–09 (संभावित)	435.00	145
2009–10(लक्ष्य)	432.00	144

feVVh dh tkp dk;de

5.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि दो चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए खरीदें गये हैं। प्रति वर्ष लगभग 80 से 90 हजार मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

ck;k xl fodkl dk;de

5-12 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च,2008 तक राज्य में 42,732 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2007–08 में राज्य में 150 बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 150 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्ष 2008–09 में 150 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2008 तक 65 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए।

mojd miHkkx rFkk minku

5.13 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश मे उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 49,954 टन हो गया। सरकार राज्य में उर्वरक की एक जैसी कीमत रखने के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों की ढुलाई के लिए 100 प्रतिशत उपदान देती है। राज्य सरकार, कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर 200 रूपये प्रति मीट्रिक टन तथा मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 12:32:16 के अनुपात व मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 15:15:15 के अनुपात पर 500 रूपये प्रति मीट्रिक टन उपदान देती है। उर्वरक उपभोग निम्न सारणी 5.7 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 5-7
mojd miHkkx

(मी. टन)

वर्ष	नाईट्रो– जिनियस (एन)	फोसफेट (पी)	पोटास (के)	कुल (एन. पी. के.)
2003–04	30909	8706	7193	46808
2004–05	30694	8528	7031	46253
2005–06	30375	9736	7862	47973
2006–07	30794	10225	7962	48981
2007–08	32338	8908	8708	49954
2008–09(संभावित)	34100	8800	8500	51400
2009–10(लक्ष्य)	34397	8527	6076	49000

df"k _.k

5.14 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जोकि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको इनपुट की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर फसलों मे जोकि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्वेश्य है।

fdlku dzfMV dkMZ (d-lh-lh-)

5.15 यह योजना पिछले दस वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,169 से भी अधिक बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। मार्च,2008 तक 3,58,992 किसान क्रेंडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए जबसे किसान क्रेंडिट कार्ड योजना शुरू की गई तब से बैंक ने 1,030.81 करोड़ रूपये के ऋण दिए हैं।

Qly chek ;kstuk

5.16 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि वीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है। रवी फसल 2008–09 के दौरान यह योजना प्रगति पर है।

cht iek.khdj.k

5.17 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

df"k foi.ku

5.18 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्वेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृषि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मार्किट अधिनियम को आदर्श अधिनियम में दर्ज किया गया जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृषि, एवं एक बिन्दु पर प्रवेश शुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड बिना किसी

योजना सहायता के स्वयं अपनी निधी से सभी कार्यकलापों को चला रही है।

pk; fodkl

5-19 चाय के अन्तर्गत 2300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15 लाख कि0 ग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है।

df"k dk e'khuhdj.k

5-20 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे इंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है।

df"k fodkl dh fy, l{e icU/ku nf"Vdks.kk&

5-21 विगत में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समरूप से संगठित किया गया था और बहुत से मामलों में स्थिति प्रदेश की स्थिति के अनुकूल नहीं थी। राज्य सरकार ने इन मुश्किलातों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुछ लचीलापन लाने हेतू त्वरित कृषि विकास में नए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतू भारत सरकार के समक्ष रखा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राज्य सरकार ने जो कार्य योजना प्रस्तुत की उस के हिसाब से राज्य को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता (80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत ऋण) रूप में मिलेगें तथा 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य योजना का होगा। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य प्राथमिकता अनाज की फसलों की बेहतरी, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, पानी के संग्रहण के टैंकों का निर्माण, बेमौसमी सब्जियों के विकास, मसाले, उच्च गुणवता वाले बीजों का उन्नयन, एकीकृत पोषण प्रबन्धन एवं सीधे तौर पर कृषि से जुडी महिलाओं के बीच सामान्जस्य स्थापित करने को दी जाएगी।

Hkw ,oa ty lja{k.k

5.22 वर्ष 2008–09 के दौरान 575 टैंक सिंचाई योजनाएं, 60 जल हारवैस्टिंग योजनाएं तथा 600 स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाए कार्यान्वित की जाएगी। इसमें प्रत्येक किसान को 25 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3.00 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि से 40 वाटरशैड विकास योजनाएं जिनके अंतर्गत 4,500 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं से भू एवं जल संरक्षण तथा फार्म स्तर में रोजगार अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

5.23 वर्ष के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत 12.00 करोड़ रूपये बजट प्रावधान से 75 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण की जाएंगी। वर्ष के दौरान 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त संभावित सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। इन योजनाओं को कृषक विकास संघ द्वारा चलाया जा रहा है तथा इसी को इनको चलाने तथा रख–रखाव का कार्य भी सौंपा गया है।

खेती के लिए पौली गृह परियोजना

5.24 इस परियोजना का उद्वेश्य अधिक पैदावार और क्षेत्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्ष आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस परियोजना को आई.आर.डी.एफ.–XIV के आधार पर 154.92 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं जिसे इस वित्तीय वर्ष 2008–09 से शुरू करके चार वर्षों में लागू कर दिया जाएगा।

रा"Vªh; df"k fodkl ;kstuk

5-25 भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना लागू की है। इसका उद्वेश्य 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि एवं कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास करना है। भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य

पालन एवं ग्रामीण विकास के लिए 1,519.69 लाख रूपए आंवटित किए हैं।

m|ku

5.26 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाउ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा उष्ण कटीबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान्न उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हौप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

5.27 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है । वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2007–08 में 2,00,502 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 7.13 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2008–09 में दिसम्बर,2008 तक कुल फल उत्पादन 5.94 लाख टन आंका गया है। 2008–09 में 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2008 तक 2,327 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 6.98 लाख पौधें वितरित किए गए।

5.28 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 47 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 83 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2007–08 में 94,726 हैक्टेयर हो गया।

5.29 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2007–08 में 26,341 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2007–08 में 11,181 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं उपोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2007–08 में क्रमशः 21,373 हैक्टेयर तथा 46,881 हैक्टेयर हो गया । अन्य फलों के उत्पादन में पिछलें वर्षों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया ।

5.30 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन मे आ रही अस्थिरता विकास के रूख में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश मे सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

5.31 फलो–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा लीची विकास कार्यक्रम, स्ट्राबेरी कार्यक्रम, औषधीय एवं सुगन्धित पौध कार्यक्रम एवं छोटी अवधि के अनुसंधान कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

5.32 हाल ही में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उॅचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन तथा स्ट्राबैरी की खेती के लिए कृषि मौसम बिलकुल उपयुक्त है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2008 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 5.8 में दर्शाए गए है।

lkj.kh 5-8
Qy mRiknu

(gtkj Vu)

मद	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (31दिसम्बर 2008 तक)
सेब	540.35	268.40	592.58	510.07
अन्य समशीतोष्ण फल	48.69	35.65	53.91	35.11
सूखे मेवे	3.27	2.91	2.92	4.12
नीबू प्रजाति	29.16	12.67	24.67	9.81
अन्य उपोष्णीय फल	74.03	49.47	38.76	34.95
कुल	**695.50**	**369.10**	**712.84**	**594.06**

5.33 फल उत्पादकों को उनके फलों का पैक करने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक पग उठाए गए है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रगतिनगर जिला शिमला में स्थापित कार्टन फैक्टरी को लीज पर दे दिया जाए तथा यह भी निर्णय लिया गया कि एच.पी.एम.सी., ए.आई.सी., हिमफैड़ और किनफैड (केवल किन्नौर जिला के लिए) बागवानों को परेषण (कन्साइनमैंट) के आधार पर बिना किसी उपदान के कार्टन की आपूर्ति करेंगें। पापुलर युकोलेपटस के वृक्षों के लगभग 1.70 लाख बक्से भी उत्पादकों द्वारा राज्य से बाहर से लाए गए।

5.34 बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कुल 435 हैक्टेयर क्षेत्र का फूलों की खेती के अंतर्गत 31.12.2008 तक लाया गया। प्रदेश में 48 फूल उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। खुम्ब उत्पादन, मौन पालन उत्पादन को बढ़ावा दे कर उद्यान उद्योग मे विविधता लाई जा रही है। वर्ष 2008–09 में दिसम्बर,2008 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित 2 विभागीय मशरूम विकास परियोजनाओं में 271 मीट्रिक टन पास्चूराईजड़ खाद तैयार कर मशरूम उत्पादकों को बांटी गई जिससे 3,431.70 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसम्बर,2008 तक 1,700 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 331.56 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ।

5.35 राज्य मे विविध फल फसल उत्पादन की गुणवता में सुधार के लिए, राज्य उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फल पौधों के विषाणुरहित क्लोनल मूलवृत बाहर से बागवानों के लिए आयात किये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान सेब के 14,000 विषाणु रहित क्लोनल रूट स्आक बाहर से बागवानों में वितरित करने हेतु आयात किये गये। वर्ष 2008–09 में लगभग 25,100 सेब की विभिन्न उन्नत किस्में आयात की गई और राज्य के बागवानों में वितरित किए जा रहे हैं।

5.36 फलोद्यान के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय व सहयोग लाने हेतु प्रदेश में 80.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता से उद्यान विकास के लिए उद्यान तकनीकी मिशन को शुरू किया गया ताकि उत्पादन, उत्पादनोपरान्त प्रबन्धन उपभोग और उद्यान विकास हेतु निर्मित निवेश सरंचना से अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरण सम्बन्धी और समाजिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक उत्पाद मूल्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर पर्यावरण गहनता का विकास आर्थिक रूप से कुशल रोजगार का वांछित विभाजन, पौधारोपण का विकास और पारम्परिक बुद्धिमता तथा तकनीकी ज्ञान का नवीनतम तकनीकी व ज्ञान जैसे जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अकाशीय तकनीकी का समिश्रण की तरफ पर्याप्त व समयानुसार और निरन्तर ध्यान दिया जा सके तथा उन कार्यक्रमों के चतुर्मुखी व व्यापक तालमेल से उद्यान क्षेत्र का विकास किया जा सके। वर्ष 2008–09 के दौरान भारत सरकार द्वारा उद्यान तकनीकी मिशन योजना के अंतर्गत 30.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा 16.00 करोड़ की राशि तीन किस्तों में दी जा चुकी है तथा 14.00 करोड़ रूपये की राशि अभी आपेक्षित है।

5.37 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों

के विपणन के उद्वेश्य से की गई थी। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

5.38 वर्ष 2008–09 में नवम्बर,2008 तक एच.पी.एम.सी. ने 797.70 लाख रूपये के अपने संयंत्रों में तैयार उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच. पी.एम.सी. ने 21,338 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की जिसमें से 10,104 मीट्रिक टन बाजार मे बिक्री किए और 8,214 मीट्रिक टन एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किए गए जिसमें से 721.40 मीट्रिक टन का कन्सैन्ट्रेट जूस तैयार किया गया। कार्पोरेशन ने इस योजना के अंतर्गत 425 कि.ग्रा. आमों का भी अपने संयंत्रों में विधायन किया एवं आज दिनतक 53.84 मी.टन नींबु प्रजाति के फलों की खरीद की गई जो अभी तक चालू है। एच. पी.एम.सी. अपने उत्पादों में इंडियन एयरलाईन, रेलवे, उत्तरी कमान, हैडक्वाटर उधमपुर तथा मै. पारले के लिए भेज रही है। 30.11.2008 तक एच.पी.एम.सी. ने इन संस्थानों के लिए 194.82 लाख रूपये के उत्पादन भेजे हैं। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रहा है। एच.पी. एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 30.11.2008 तक मु0 143.99 लाख रूपये के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 30.11.2008 तक 256.37 लाख रूपये के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं।

i’k ikyu rFkk Mjh m|kx

5.39 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों (जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि) में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे में घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष प्रदान करते हैं जोकि खेतों में खाद का काम करते है तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

5.40 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2007–08 में 8.73 लाख मीट्रिक टन दूध, 1,607 मीट्रिक टन उन 84.00 मिलियन अंडे, 3,216 मीट्रिक टन मीट का उत्पादन हुआ। वर्ष 2008–09 में क्रमशः 8.75 लाख मीट्रिक टन दूध, 1,660 टन उन, 95.00 मिलियन अंडे तथा 3,250 मीट्रिक टन मीट का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 5.9 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 5.9

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

0"k	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)
2007–08	8.73	394
2008–09	8.75	398

5.41 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) पशु आहार व चारा विकास
(vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा तथा
(vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।

5.42 वर्ष 31.12.2008 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 7 पोलीक्लीनिक, 317 पशु चिकित्सालय, 28 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,765 पशु औषधालय/केन्द्रों के अतिरिक्त 14 चल औषधालय एवं 6 पशु चैक पोस्ट कार्यरत हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं।

5.43 राज्य में भेड़ व उन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल

(चम्बा) नगवाई मण्डी, ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। वर्ष 2008–09 में इन फार्मों में 1,457 भेड़े पाली गई। वर्ष 2008–09 के दौरान 16.60 लाख किलोग्राम उन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

5.44 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जोकि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को क्रासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2008–09 में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 1,932 पशु, संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2008–09 में 6.67 लाख गायों के व 1.64 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन होने की संभावना है। विभाग के तरल नत्रजन संयंत्रों में 2.35 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होगा। वर्ष 2008–09 में 5.50 लाख गायों में तथा 0.80 लाख भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान 2.50 लाख लीटर तरल नत्र जन उत्पादन होने का लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है।

5.45 बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 3.03 लाख चूजों का वितरण तथा 2.90 लाख ब्रायलर चूजों का हैच प्रजनन होने की संभावना है तथा 500 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अनुसूचित व अनुसूचित जन–जाति परिवारों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित व अनुसूचित जन–जाति परिवारों के लिए 200 चूजे बांटे जाते हैं। यह स्कीम 100 प्रतिशत अनुदान पर चलाई जा रही है। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2008–09 में इस प्रक्षेत्र में 35 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी स्थल पर याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2008–09 में 42 याक रखे जा रहे हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 12.00 लाख चारा जड़ों व 0.45 लाख चारा पौंधों का वितरण तथा 1,00,000 किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

n/k ij vk/kkfjr m|kx

5.46 हिमाचल प्रदेश दुग्ध फैडरेशन राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध फैडरेशन ने 628 समितियां गठित की हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 34,587 है जिसमें 120 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डैरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध फैडरेशन इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध फैडरेशन 22 दुग्ध ठण्डा करने के केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 60,000 लीटर दूध प्रतिदिन है और 5 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 75,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। "दुग्ध फैडरेशन प्रतिदिन लगभग 20,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल शामिल हैं।" पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 58,000 लीटर दूध प्रतिदिन एकत्र कर रहा है जिसकी विकास दर 2008–09 में 12 प्रतिशत है।

5.47 वर्ष 2008–09 में (31.12.2008 तक) 129.39 लाख लीटर दूध एकत्रित किया गया। इस प्रकार दुग्ध फैडरेशन न केवल दूर–दराज के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का पारितोषिक प्रदान करता है बल्कि शहर के

ग्राहकों को सही मुल्य पर दूध उपलब्ध करवाता है। दुग्ध फैडरेशन बिना किसी मध्यस्थ के सीधे तौर पर दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदता है। इन दुग्ध उत्पादकों में अधिकतर छोटे व सीमांत किसान हैं। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एवं स्वरोजगार प्रदान करने के लिए दुग्ध फैडरेशन ने ग्रामीण युवकों को दुग्ध गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए हैं तथा कर्मचारियों एवं ग्रामीण युवकों के लिए दुग्ध आधारित कोर्स शुरू किए हैं।

5.48 दुग्ध फैडरेशन ने प्रति प्लांट 5,000 क्षमता/ प्रतिदिन के दो दुग्ध प्लांट चम्बा व रोहडू में स्थापित किये हैं तथ वर्ष 2008–09 में कफोटा (जिला सिरमौर) में 5,000 की क्षमता वाला दुग्ध प्लांट स्थापित कर दिया है जबकि रामपुर में 20,000 की क्षमता का दुग्ध प्लांट स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2008–09 में करसोग में एक दुग्ध ठण्डा करने का केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक नया दुग्ध प्लांट नाहन में 2008–09 में स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 1,000 लोगों को परोक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

5.49 संगठित क्षेत्र (दुग्ध फैडरेशन) में विभिन्न दुग्ध उत्पादकों के अनुसार उत्पादन को सारणी 5.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.10
दूध पर आधारित उद्योग का उत्पादन

उत्पाद	यूनिट	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (31.12.08 तक
बेचा गया दूध	लाख ली.	49.72	58.15	60.52	50.89
पनीर	मी. टन	49.79	59.25	66.40	41.69
मक्खन	मी. टन	8.41	8.14	11.45	9.23
घी	मी. टन	37.90	43.74	70.56	74.92
एस.एफ. एम.	लाख वोतलें	0.19	0.11	0.01	0.01
दही	मि.टन	103.18	179.14	216.33	149.93

eRL; ,o typj ikyu

5.50 हिमाचल प्रदेश भारतवर्"ा के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया गया है जोकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारामासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्यकि की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्सयकि संसाधनों के दोहन के लिए महात्वकांक्षी "इन्डो–नार्वेजन ट्राउट फार्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के दो बडे जलाश्य गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 5,652 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाश्यों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर,2008 तक प्रदेश के विभिन्न जलाश्यों में 5,151.33 मीट्रिक टन मच्छली उत्पादन जिसका मूल्य 2,429.43 लाख रूपये है किया गया। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाशयों में दिसम्बर,2008 तक 963.85 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 454.09 लाख रूपये आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाश्य को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2008 तक राज्य में फार्मों से 9.00 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से 49.23 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 5.11 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.11
टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (लाख रूपये)
2004–05	18.57	29.04
2005–06	13.96	35.67
2006–07	16.57	52.21
2007–08	14.98	67.96
2008–09 (दिसम्बर,08 तक)	9.00	49.23

5.51 मत्स्य कृ"ाकों, ग्रामीण तालाबों और जलाश्यों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन व"ी 2007–08 में 199.85 लाख था तथा 2008–09 में 157.02 लाख (दिसम्बर,08 तक) है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर उत्पाद प्रक्रिया प्रणाली सुदृढीकरण नामक 79.00 लाख रूपये की नई परियोजना भारत सरकार से शतप्रतिशत स्वीकृत हो चुकी है जिस के लिए सरकार को 25.00 लाख रूपये प्राप्त हो चुके है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य तीन बर्फ उत्पादन संयंत्र तथा 200 इनसुलेटिड डिब्बे क्रय किए जांएगे। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अंतर्गत 100 ट्राउट मत्स्य पालन ईकाइयों की स्थापना व प्रथम वर्षीय आदान तथा 10 सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए विभाग को मु0 65 लाख रूपये की योजना स्वीकृत हुई है जिसके कार्यान्वयन हेतु विभाग को प्रथम किस्त के रूप में 32.50 लाख रूपये की स्वीकृत प्राप्त हो गई है।

5.52 विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु की दशा में संतप्त परिवार को 50,000 रूपये तथा अपंगता की स्थिति में 25,000 रूपये बीमा राशि के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 309 स्व–रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाश्य मत्स्यकि, हिमाचल मत्स्यकि का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाश्य के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

f l pkb

5.53 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है । कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलें तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ।

5.54 हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न एजैन्सियों की लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.55 राज्य में कांगडा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र में संभावित सिंचाई की जाएगी।

5.56 राज्य में पांचवी योजना में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया। तब से 4 मध्यम परियोजनाओं में अब तक राज्य में 11,236 हैक्टेयर क्षेत्र में सी.सी.ए. सृजित करने का कार्य पूर्ण किया गया। ये परियोजनाएं हैः– गिरी सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 5263 हैक्टेयर) बल्ह घाटी परियोजना (सी.सी.ए. 2410 हैक्टेयर) भभौर साहिब चरण–। (सी.सी.ए. 923 हैक्टेयर) और भभौर साहिब चरण–।। (सी.सी.ए. 2640)

5.57 निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सी.सी.ए. का सृजन सारणी 5.12 में दिया गया हैः–

सारणी 5.12

निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सीसीए सृजित

(लाख हैक्टेयर)

मद	क्षेत्र
कुल भौगालिक क्षेत्र	55.67
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5.83
अन्तिम उपलब्ध सिंचाई सम्भावनाएं	
(क) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	0.50
(ख) लघु सिंचाई	2.85
सृजित सीसीए	
31.3.2001 तक	1.95
31.3.2002 तक	1.97
31.3.2003 तक	1.99
31.3.2004 तक	2.02
31.3.2005	2.04
31.3.2006	2.07
31.3.2007	2.12
31.3.2008	2.17
31.12.2008	2.19

नोटः ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके सी.सी.ए. 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2,000 हैक्टेयर से अधिक सी.सी.ए. तथा 10,000 हैक्टेयर तक की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं 2,000 हैक्टेयर के अंतर्गत आती है।

वर्ष 2008–09 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

e[; rFkk e/;e flpkb ifj;ktuk,

5.58 वर्ष 2008–09 में 13,000 लाख रूपये के प्रावधान से 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था । नवम्बर,2008 तक 1,986.51 लाख रूपये व्यय किए गए तथा दिसम्बर,2008 तक 268 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई ।

y?k flpkb

5.59 वर्ष 2008–09 में राज्य क्षेत्र मे 14,040.32 लाख रूपये का प्रावधान 2,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है । नवम्बर,2008 तक 3,781.75 लाख रूपये व्यय किये जा चुके थे तथा दिसम्बर,2008 तक 2,127 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

dekM fodkl dk;de

5.60 वर्ष 2008–09 के दौरान 700.00 लाख रूपये जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, के अंतर्गत 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबन्दी का प्रावधान था। दिसम्बर,2008 तक 65 हैक्टेयर क्षेत्र फील्ड चैनल के अंतर्गत लाया गया तथा नवम्बर,2008 तक 28.44 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे।

ck< fu;U=.k

5.61 वर्ष 2008–09 में 800 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए 2,202.45 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था। नवम्बर,2008 तक 1,210.63 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे तथा दिसम्बर,2008 तक 539 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।

ou

5.62 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.5 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्धेश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैः–

ou jki.k

5.63 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज सांझी वन योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आतें हैं सितम्बर,2008 तक 844.31 लाख रूपये की लागत से 7,495

हैक्टेयर क्षेत्र इस वन योजना के अंतर्गत लाया गया।

oU; ik.kh rFkk idfr lj{k.k

5.64 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्वेश्य आखेट स्थलों एंव राष्ट्रीय पार्को मे सुधार लाना है ताकि विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। सितम्बर,08 तक 236.66 लाख रूपये (केन्द्रीय भाग सहित) की राशि उपभोग में लाई गई ।

ou lj{kk

5.65 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है । इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सकें तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए । वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इसके लिए सितम्बर,2008 तक 20.34 लाख रूपये व्यय किए जा चुकें थे।

बाहय सहायता प्राप्त योजनाएं

स्वान नदी(उना में) ,dhdr okVj'kM fodkl ifj;kstuk

5.66 हिमाचल प्रदेश के उना जिला में स्वान नदी के उपर एकीकृत वाटरशैड परियोजना 160.00 करोड़ रूपये की लागत से जापान सरकार की सहायता से जून 2006 से 2014 तक चलाई जा रही है जिसका उद्वेश्य वन का नवीनीकरण, कृषि भूमि का बचाव एवं कृषि और वन उपज को स्वान नदी पर बढ़ाने का है। इस उद्वेश्य के लिए स्वान नदी के जल मग्न क्षेत्र के एकीकृत वाटर शैड मनेजमैंट गतिविधियां जैस वन, भू एवं जल संरक्षण कार्य चलाए जा रहे हैं। इसी योजना के अधीन कृषि विकास एवं स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को उठाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 1,300 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से सितम्बर,2008 तक 169.87 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

विष्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

5.67 मध्य हिमालय वाटर शैड परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई यह योजना 6 वर्षो के लिए है जिस की कुल लागत 365 करोड़ है। परियोजना की लागत विश्व बैंक एंव राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एंव परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। यह परियोजना एकीकृत वाटर शैड परियोजना(हिल्ज) जो कण्डी परियोजना के नाम से जानी जाती थी जिसका समापन 30.9.2005 को हो चुका है उस का दूसरा मिलता रूप है। इस परियोजना के अन्तर्गत 600 से 1,800 मीटर उंचाई के 10 जिलों में 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों के क्षेत्र आएगें। इस परियोजना के मुख्य उद्वेश्य निम्न हैः–

- प्राकृतिक संसाधन के खर्चो की प्रकिया को बदलना।
- प्राकृतिक सम्पदा की संभावी उर्वरक्ता को बढाना।
- गांव के लोगों की आय को बढाना।

वर्ष 2008–09 के दौरान इस कार्य के लिए 5,358.00 लाख रूपये दिए गए जिन में से सितम्बर,2008 तक 947.98 लाख रूपये व्यय किए जा चुके है।

6. उद्योग एवं रोजगार

उद्योग

6.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न कार्यकलापों के अनुवर्ती लाईसैंसों को खत्म करने के परिणाम स्वरूप राज्य में निवेश प्रवाह कई गुणा बढ़ रहा है। विभाग को प्रदेश मे नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है ।

6.2 इस समय 31.12.2008 तक प्रदेश में 401 मध्यम व बड़े तथा लगभग 35,427 लघु पैमाने की औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत है जिनमें लगभग 7,737.73 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश है और यह उद्योग लगभग 2.24 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहें हैं। नए एवं पहले से स्थापित उद्योगों को समस्त सहायता प्रदान करने के उद्वेश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की औद्योगिक परियोजना स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की परियोजनाओं को समस्त सहायता प्रदान करता है तथा यदि किसी उद्योगपति को कोई कठिनाईं हो तो उसे पारदर्शिता और कुशलता के आधारे पर दूर करने का प्रयास करता है। भारत सरकार द्वारा जनवरी,2003 के विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बाद दिसम्बर,2008 तक 4,325 लघु उद्योगों 199 मध्यम एंव भारी उद्योग इकाइयों का स्थाई पंजीकरण किया गया जिनमें 4,904.27 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 65,227 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

6.3 उद्योगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से राज्य मे 38 औद्योगिक बस्तियों तथा 15 औद्योगिक एस्टेटस की स्थापना की गई है। राज्य में औद्योगिक आधार भूत ढांचा के सुधार के लिए 965.10 लाख रूपये व्यय किए गए। राज्य सरकार ने एक भूमि बैंक की स्थापना की है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी एवं निजी भूमि लगभग 6,000 बीघा चिहिन्त की गई है। उद्योगों के लिए और भूमि चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं।

6.4 भारत सरकार ने 31.3.2008 से चल रही ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं का विलय करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म प्रतिष्ठानों के द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एवं नए ऋण अनुदान कार्यक्रम को चालु करने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जोकि सूक्ष्म, छोटे व मध्यम प्रतिष्ठान द्वारा कार्यन्वित की जाती है। राज्य स्तर पर यह योजना (के.बी.आई.सी) निदेशालय द्वारा, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र और बैंकों द्वारा निम्न उद्वेश्यों के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

उद्वेश्य

1. देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्यक्रम/ प्रोजेक्ट/ सूक्ष्म प्रतिष्ठान स्थापति करके रोजगार के अवसर प्रदान करना।
2. ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवकों तथा परम्परागत कारीगरें को इकटठा कर उचित स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
3. ग्रामीण युवकों के शहरी क्षेत्रों के प्रवास को रोकने के लिए परम्परागत कारीगरों को लगातार तथा उचित अवसर प्रदान करना।
4. शहरी तथा ग्रामीण रोजगार उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए कारीगरों की मजदूरी दर को बढ़ाने के लिए।

लाभार्थी की योग्यता के लिए शर्तें:

1. लाभार्थी की आयु 18 बर्ष से उपर ।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट को

स्थापित करने के लिए आय सीमा 10 लाख से उपर नहीं होगी।

3. उत्पादन क्षेत्रों में प्रोजेक्टों को स्थापित करने तथा व्यापार/ सेवा क्षेत्र में 5 लाख से उपर के प्रोजेक्टों में लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता आंठवी पास होनी चाहिए।
4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत केवल नए प्रोजेक्टों को ही सहायता प्रदान की जाएगी।
5. स्वंय सहायता समूह से संबंध रखने वाले (बी.पी.एल. जिन्होंने किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ न उठाया हो) भी इस कार्यकम्र के पात्र होगें।
6. वे संस्थान जो समिति एक्ट 1,860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
7. उत्पादन सहकारी समितियां और धमार्थ ट्रस्ट।
8. जो ईकाइयां पी.एम.आर.वाई., आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत केन्द्र अथवा राज्य (ऐसी ईकाइयां जिन्होंने किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान लिया हो) इसके पात्र नहीं हैं। विभाग को 151 मामलों का लक्ष्य दिया गया जिसकी तुलना में 198 मामले विभिन्न बैंकों में वित्तीय लाभ देने के लिए अभी तक भेजे गए हैं।

रेशम उद्योग

6.5 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लगभग 8,700 ग्रामीण किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रेशम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि करते हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर, 2008 तक 1.42 लाख किलोग्राम कून का उत्पादन किया गया, जिससे रेशम उत्पादन करने वालों को दिसम्बर,2008 तक 165.00 लाख रूपये की आय हुई।

कला एवं प्रदर्शनी

6.6 राज्य में औद्योगिक ईकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत प्रदेश द्वारा राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेंलों, त्यौहारों व प्रदर्शनियों मे भाग लिया है। चालू वर्ष के दौरान प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित 28वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2008 में कुल्लू के दशहरा मेले व रामपुर के लवी मेले व विभिन्न राज्य स्तरीय मेलों मे ंअपने राज्य में उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

6.7 केन्द्रीय **प्रायोजित योजनाः** भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत दो समूह (मण्डी में गोहर तथा एक अन्य कांगडा में) 3,100 हथरकरघा बुनकरों को लाभ प्रदान करने के लिए रूपए 100.90 लाख की प्रोजेक्ट राशि स्वीकृत की है और केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रथम किश्त रूपए 23,92,500/– प्रदान कर दी है। दो अन्य हथकरधा समूहों के उत्थान के लिए (रिकॉग–पिओं जिला किन्नौर तथा रामपुर आनी तय निरमण्ड समूह) के अंतर्गत 600 बुनकरों को लाभ देने का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने छोटे समूह बुनकर समूह के विकास के लिए जो शिमला, कांगड़ा तथा मण्डी जिलों में हैं उनके लिए 30.79 लाख रूपए स्वीकृत किए हैं, जिससे लगभग 110 बुनकर लाभान्वित होगें।

(i) हथकरधा बुनकर विस्तृत कल्याण योजनाः वर्ष 2008–09 (दिसम्बर,2008 तक) हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के तहत 11 जिलों में 10,940 बुनकरों के नाम पंजीकृत किए गए हैं। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 (दिसम्बर,2008 तक) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में 6,543 बुनकरों को लाया गया है।

(ii) मण्डीकरण तथा निर्यात उत्थान योजना

हस्तशिल्प तथा हथकरधा विकास सहकारी निगम कुल्लू को इस वर्ष भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 10 जिला स्तरीय कार्यक्रम हथकरधा प्रदर्शनियां आयोजित करने की स्वीकृति दी है ताकि लोगों को हस्तशिल्प उत्पाद की बिक्री का लाभ हो सके। 10 प्रतिशत रियायत योजना के अन्तर्गत 35 हथकरधा समितियों को आंवटित करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 82.32 लाख रूपये की सहायता प्राप्त कर ली है। राज्य सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव द्वारा 1.37 करोड़ रूपये की सहायता राशि केन्द्र से मांगी है जिससे 31 हथकरधा समितियों को लाभ होगा। दीन दयाल हथकरधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 81.45 लाख रूपये की वित्तीय सहायता राज्य की 15 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को प्रदान की गई जिससे 675 बुनकरों को लाभ होगा।

राज्य योजनाएं

6.8 राज्य की चयन समिति द्वारा हर वर्ष चयनित राज्य के कारीगरों व बुनकरों ईनाम योजना के तहत ईनाम दिए जाते हैं। इस वर्ष 8 ईनाम कारीगरों तथा बुनकरों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजय स्तरीय हिमाचल दिवस की संध्या पर भौरंज (हमीरपुर) में 15 अप्रैल,2008 को प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश हथकरधा एवं हस्तशिल्प निगम को हर वर्ष राज्य सरकार सहायता अनुदान देती है। इस वर्ष (दिसम्बर,2008 तक) 71.79 लाख रूपये का अनुदान निगम को दिया गया। हर वर्ष राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को विकासात्मक कार्यों के लिए अनुदान देती है। इस वर्ष यह अनुदान (दिसम्बर,2008 तक) रूपये 180.79 लाख दिया गया।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता योजना

6.9 निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के उद्धेश्य से 'राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना' भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कार्यान्वयन की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति का गठन किया गया है व हि. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया है। राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति द्वारा इस वर्ष के दौरान 3 योजनाओं को स्वीकृत किया गया। जिन पर कुल 602.23 लाख रूपये व्यय होंगें। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य को 300.00 लाख रूपये पहली किस्त के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं।

औद्योगिक विकास केंद्र परियोजना

6.10 प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र परियोजना केंद्र सरकार की सहायता से संसारपुर टैरस चरण–1, वैन अटारिया चरण–2, राजा का वाग चरण–3, ग्वालथाई चरण–4 तथा बनालगी चरण–5 स्थानों पर क्रियान्वित की जा रही है जिस पर 22.17 करोड़ रूपये व्यय होंगे। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 1,624.09 लाख रूपये की सहायता राशि में से 1,200.00 लाख रूपये प्राप्त हो चुके हैं। दिसम्बर,2008 तक इस योजना के अंतर्गत 1,599.57 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

खनन

6.11 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है । उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ है यहां प्रचूरता में प्राप्त है। तीन सीमेंट प्लांट बिलासपुर जिला में बरमाणा, सोलन जिला में कशलोग तथा सिरमौर जिला में राजवन पहले से ही कार्यरत्त है। सुन्दरनगर जिला मण्डी एवं बागा–बलग जिला सोलन में बड़े सीमेंट प्लाटों को स्थापित करने के लिए मै0 हरीश सीमेंट (ग्रासिम सीमेंट) तथा जे0पी0 ईएडस्ट्रीज को पट्टे प्रदान कर दिए हैं। तीन बड़े सीमेंट प्लांट शिमला जिला में गुम्मा रुहाना, मण्डी जिला में अलसींडी तथा चम्बा जिला में बरोह शिन्ड लगाने के लिए इंडिया सीमेंट लि0 लाफार्ज इंडिया लि0 एवं जे0पी0 इण्डस्ट्रीज के साथ राज्य सरकार ने एम ओ यू हस्ताक्षरित कर दिया है। वर्ष 2008–09 के दौरान खनन से प्रदेश को दिसम्बर,2008 तक अनुमानित 46.85 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे शेल बेराईट ससिल्का रेत, चटटानी नमक कोरजाईट और भवन सामग्री जैसे कि सेडसटोन रेत व बजरी और भवन पत्थर, खनिजों के विकास व विनिमय को करने के लिए भूगर्भीय ईकाई भू–तकनीकी अन्वेषण निरीक्षण विभिन्न मार्गों को मिलाना, पुल की जगह का अन्वेषण, भवन और भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

i) नए खनन के पट्टे प्रदान करना : विभाग द्वारा अप्रैल,2008 से नवम्बर,2008 तक 7 मुख्य खनिज व 69 गौण खनिजों को नए पटटे पर दिया गया।

ii) भू–तकनीकी अन्वेषणः वर्ष 2008–09 के दौरान नवम्बर,2008 तक 20 भू–तकनीकी अन्वेषण रिर्पोटस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई।

रोजगार

6.12 2001 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 32.31 प्रतिशत मुख्य कामगार, 16.92 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 50.77 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 65.33 प्रतिशत काश्तकार, 3.15 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.75 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 29.77 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों , 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में तथा मण्डी, शिमला व धर्मशाला में व्यवसायिक इकाईयां पूरे प्रदेश में आवेदकों की सेवा में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने शिमला में विदेशी रोजगार के इच्छुक कामगारों के लिए फोरन एम्पलायमेंट एवं मैनपावर ब्यूरों की स्थापना भी की।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

6.13 1.4.2008 से 30.11.2008 के समय में कुल 1,13,645 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 2,698 व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला। विभिन्न नियुक्तिकों द्वारा इस अवधि में अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 4,712 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 31.11. 2008 तक सक्रिय पंजी में कुल संख्या 8.22 लाख थी। जिलावार रोजगार केन्द्रों का 1.4.2008 से 30.11.2008 का कार्य निम्न सारणी संख्या 6.1 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 6.1

(1.4.2008 से 30.11.2008)

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्त स्थान	प्रस्तुति	कार्य पर रखे		वर्तमान रजिस्टर में प्रार्थी
				सरकारी	निजी	
1	2	3	4	5	6	7
बिलासपुर	8,078	17	4,327	162	58	52,064
चम्बा	5,896	33	6,064	139	353	50,857
हमीरपुर	10,769	–	4,345	273	263	66,285
कांगड़ा	25,923	458	15,888	786	431	17,7,168
कुल्लू	5,192	50	2,455	109	37	39,991
किन्नौर	1,662	41	1,114	57	23	8,732
लाहौल–स्पिति	884	7	281	25	–	5,470
मण्डी	20,616	82	12,035	310	306	13,9,010
शिमला	11,241	1,915	6,136	289	251	1,17,051,
सिरमौर	7,508	617	9,672	185	241	50,949
सोलन	6,884	660	13,168	141	365	52,394
उना	8,992	832	11,327	222	754	62,481
हिमाचल प्रदेष	**1,13,645**	**4,712**	**86,812**	**2,698**	3082	**8,22,452**

नोटः– i) उपरोक्त सारणी में कार्य पर रखे गए की सूचना में विभिन्न विभागों एवं लोक सेवा आयोग तथा एच.पी.एस.एस.बी. द्वारा सीधे एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा रखे गए की सूचना शामिल नहीं है।

रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम

6.14 वर्ष 1960 से रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं । प्रदेश में 31.12. 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,62,676 व निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,03,464 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 3,918 व निजी क्षेत्र में कुल 1,149 नियोक्ता हैं। श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। 1.4.2008 से 31.12.2008 तक सभी क्षेत्रीय / जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा 99 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

6.15 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2008 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। कक्ष का कार्य क्षेत्र केवल उपरोक्त संस्थानों तथा औद्योगिक इकाईयों को तकनीकि तथा उच्च कुशल कामगारों को उपलब्ध करवाने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इस कक्ष में निजी क्षेत्र मे अकुशल कामगारों की मांग को प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पूरा करने के लिए साथ– साथ सहायता करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान नवम्बर,2008 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 638 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं कुशल वर्ग सहित 6,899 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। प्रदेश के निजी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में कुल 164 रोजगार के इच्छुक आवेदनों को नौकरी पर लगाया गया। जिला कांगड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया तथा 2,439 रिक्तियां अधिसूचित की गई व 2,046 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया तथा 242 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया।

विकलांगों के लिए विशेष कक्ष

6.16 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु विशेष रोजगार कक्ष धर्मशाला में 1983 से कार्यरत है । यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। वर्ष 2008 के दौरान नवम्बर,2008 तक सक्रिय पंजिका में 1,182 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 14,926 हो गई थी। 1.4.2008 सं 30.11.2008 मे 1,182 अपंग व्यक्तियों का पंजीकरा किया गया जिसके साथ सक्रिय रजिस्टर पर रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु अपंग आवेदकों की संख्या 14,926 हो गई है। 221 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। 234 आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित हुई हैं जिसके प्रति 706 अपंग प्रत्याशियों के नाम सम्प्रेषित किए गए हैं।

न्यूनतम मजदूरी

6.17 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यून्तम मजदूरी एक्ट, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड बनाया है जो कि अनुसूचित रोजगारों के अंतर्गत मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर तथा उसके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को 1.1.2008 से 75.00 रूपये से बढ़ाकर 100.00 रूपये प्रतिदिन या 2,250 रूपये प्रतिमाह से 3,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया है।

श्रमिक कल्याण उपाय

6.18 बन्धुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति तथा उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी की अध्यक्षता में जिला एवं उपमण्डल स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की है । राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्यागिक न्याय अधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय

शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर,सोलन, व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में स्थापित किया गया है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इन दोनों श्रम अदालतों में जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर, एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

6.19 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, मेहतपुर, नालागढ़, पांवटा साहिब, काला अम्ब और शिमला में लागू हैं। 31 दिसम्बर 2008 तक लगभग 2,500 उद्यम व 1,34,000 मजदूर इस योजना के अंतर्गत लाए गए। इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 6,059 उद्यमों में कार्यरत 2,29,136 मजदूरों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत 31.12.2008 तक 1,114 ट्रेड यूनियनज पंजीकृत हैं। 1.4.2007 से 31.3.2008 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण इस प्रकार हैः–

1. 31.3.2007 को लम्बित मामले–1,413
2. 1.4.2007 से 31.3.2008 तक प्राप्त मामले–681
3. 1.4.2007 से 31.3.2008 तक 646 मामलों का निपटारा किया गया।

7- fo|r

7.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

7.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 20,416 मैगावाट आंका गया है। 6,419 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की जाएगी जिसमें से 467 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की जााएगी।

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

सम्भाव्य क्षमता एवं सम्भाव्य स्थापन

(मैगावाट)

क.सं.	बैसिन	कुल अनुमानित उत्पादन	राज्य सेक्टरएच.पी.एस.ई.वी.	निजी क्षेत्र	केंद्र / संयुक्त क्षेत्र	हिमउर्जा	कुल (4 से 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सतलुज	9867	150	300	2825	1	3276
2	व्यास	4627	227	102	1496	42	1867
3	रावी	2345	10	–	1038	12	1060
4	चनाव	2251	–	–	–	–	–
5	यमुना	603	80	–	132	4	216
6	हिमउर्जा	723	–	–	–	–	-
	कुल	20416	467	402	5491	59	6419

7.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 20,416 मैगावाट विद्युत क्षमता का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

सम्भाव्य क्षमता

क.सं.	मद्द	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3
I. विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई		
	1. राज्य क्षेत्र	467
	2. केंद्रीय क्षेत्र	3991
	3. संयुक्त क्षेत्र	1500
	4. निजी क्षेत्र	402
	5. हिमउर्जा द्वारा	59
	उप–योग	6419
II.परियोजनाएं जो नि”iknuk/khu@vkofVr g		
	1. राज्य क्षेत्र	**1124**
	2. केंद्रीय क्षेत्र	**2803**
	3. निजी क्षेत्र	**1738**
	4. हिम उर्जा के अधीन	**304**
	उप–योग	**5969**
III.परियोजनाएं जो एम.ओ.यू / पी.आई.ए. स्तर पर आंवटित हैं		**2605**
IV. परियोजनाएं जो आई.पी.पी.एस. के अंतर्गत चिन्हित की गई		**4950**

V.परियोजनाएं जो राज्य क्षेत्र को आंवटित है	473
कुल	**20416**

जल विद्युत नीति–2006

7.4 जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति–2006 बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:–

- 2 मैगावाट तक की परियोजनाओं को हिमाचलियों के लिए चिन्हित किया जाएगा एवं 2 से 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 5 मैंगावाट से अधिक की परियोजनाएं स्वतन्त्र रूप से विजली पैदा करने वाले को अर्न्तराष्ट्रीय बोली में प्रतियोगिता के आधार पर दी जाएगी।
- बोलीदाता को परियोजना के लिए 20 लाख रूपये प्रति मैगावाट क्षमता के रूप में पेशगी देनी पड़ेगी। अतिरिक्त मुफत बिजली बिना किसी व्यवधान के हिमाचल प्रदेश को उक्त बोली दाता 12, 18 एवं 30 प्रतिशत बिजली रायल्टी चार्जिज के रूप में तीन समय सीमा जो 12, 18 वर्ष तथा बाकि एग्रीमैंट समय 30 वर्षों के लिए जब से उसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है।
- मुफत बिजली एवं अतिरिक्त मुफत बिजली तथा बिजली बेचने को रदद करने का पहला अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार/ हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद का होगा। बिजली की दरों का निर्धारण हि. प्र. राज्य विद्युत रेगुलैटरी आयोग का होगा।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त परियोजनाओं में चयनित आधार पर 49 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी रहेगी।
- परियोजनाओं का संचालन समय जब से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होगा तब से 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को देनी पड़ेगी।
- परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।
- परियोजना बनाने वाले को परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत हिस्सा परियोजना के पास की स्थानीय कमेटी को विकास के लिए देना पड़ेगा।
- जल के जीवों की, स्थानीय लोगों के पानी के अधिकार तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल स्त्रोत से 15 प्रतिशत पानी के वहाव को सुनिश्चित करना।
- छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली के उत्पादन की खपत हिमाचल प्रदेश सरकार स्थानीय जगह में करवाने की व्यवस्थता करेगी। परियोजनाएं जिनकी क्षमता 25 मैगावाट तक की है उनके उत्पादन के वितरण की योजना हिमाचल प्रदेश सरकार को होगी।

वितरण व्यवस्था का विकास

7.5 हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी, सैंट्रल ट्रांसमिशन युटिलिटि तथा इलैक्ट्रीसिटि अथोरिटी के साथ मिलकर ट्रांसमिशन मास्टर प्लॉन का प्रारूप तैयार किया है जिससे बिजली का वितरण राज्य एवं राज्य के बाहर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसी तरह का प्रारूप छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी बनाया गया है।

7.6 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए इन परियोजनाओं से विद्युत प्रवाह व उसका राज्य में उपयोग हेतु विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतिकरण

7.7 1991 की जनगणना के अनुसार जनगणना गांव की संख्या 19,388 थी जिनमें से 2,391 गांव गैर आबाद तथा शेष 16,997 गांव आबाद थे। आबाद गांव से 16,915 गांव मार्च,2006 तक विद्युतिकृत कर दिए गए। यहां यह दर्शाना भी तर्क संगत होगा कि राज्य ने वर्ष 1988–89 में जब आबाद जनगणना गांव 16,807 थे के अपने शत–प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। 2001 की जनगणना के अनुसार जनगणना गांव की संख्या 17,495 है। दिसम्बर,2008 तक इन में से 17,183 गांव विद्युतिकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त (1988 के सर्वेक्षण के आधार पर 4,182 उप–गांव में से) 4036 उप–गांव भी दिसम्बर,2008 तक विद्युतिकृत हो चुके हैं। इसी के साथ 555 अनजाने उप–गांव भी विद्युतिकृत किए जा चुके हैं। राज्य में शत् प्रतिशत घरों में विद्युत के प्रवेश के लिए समस्त जिलों से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत परियोजनांए प्राप्त हुई हैं जिन्हें स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके लिए 205.25 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। चम्बा जिला के लिए आर.जी.जी.वी.वाई. स्कीम को स्वीकृति मिल गई है तथा इसके अन्तर्गत 7.33 करोड़ रूपये दिए गए हैं इस स्कीम पर कार्य जारी है।

I. राज्य/केंद्रीय/ संयुक्त/ निजी क्षेत्र एवं हिमउर्जा में विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमता का विवरण निम्न हैः–

i) परियोजनाएं जो हि.प्र. राज्य विद्युत परिषद के प्रचलन के अधीन हैंः–

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता(मैगावाट)
1	गिरी	60.00
2	बस्सी(उहल–।।)	60.00
3	एस.वी.पी. भावा	120.00
4	आन्ध्रा	17.00
5	थिरोट	5.00
6	विनवा	6.00
7	वनेर	12.00
8	गज	11.00
9	घानवी	22.00
10	गुम्मा	3.00
11	होली	3.00
12	लारजी	126.00

13	मिनी माइक्रोज		22.00
	कुल		**467.00**

ii) परियोजनाएं जो निजी क्षेत्र के प्रचलन के अधीन हैः–

क्रम सं.	परियोजना का नाम/जिला/बेसिन	कार्यपालक एजैंसी	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
1	वस्पा–II/किन्नौर /सतलुज	मै. जय प्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटिड	300.00
2	मलाना–I/कुल्लू/व्यास	मै. मलाना पावर कम्पनी लिमिटिड	86.00
3.	पतकारी/मण्डी/ कास	मै. पतकारी प्राईवेट लिमिटिड	16.00
	कुल		**402.00**

iii) परियोजनाएं जो केंद्रीय क्षेत्र/अर्न्तराज्य/भागीदारी पर/संयुक्त क्षेत्र के प्रचलन के अधीन हैं:–

क.सं.	परियोजना	क्षमता(मैगावाट)	निष्पादन एजैंसी	टिप्पणी
1	यमुना परियोजनाएं (हि.प्र.का भाग)	132.00	उतरांचल	भागीदारी पर उत्पादन
2	वैरा स्यूल	198.00	एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय क्षेत्र
3	चमेरा–I	540.00	एन.एच.पी.सी.	”
4	चमेरा–II	300.00	”	”
5	शानन परियोजना	110.00	पी.एस.ई.वी.	भागीदारी पर उत्पादन
6	पौंग डैम	396.00	बी.बी.एम.बी.	अर्न्तराज्य
7	डैहर	990.00	”	”
8	भाखड़ा	1325.00	”	”

9	नाथपा झाखड़ी	1500.00	एस.जे.वी.एन.एल.	संयुक्त क्षेत्र
	कुल	5491.00		

iv) लघु/ सुक्ष्म परियोजनाएं जो हिमउर्जा द्वारा संचालित हैः–

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	59.00
	कुल	59.00

II परियोजनाएं जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद में निष्पादनाधीन हैंः–

i) हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	भावा आगुमैन्टैषन पी/एच	5.00
2	उहल स्टेज–111	100.00
3	कशांग– I, II, III एवं IV	243.00
4	घानवी स्टेज– II	10.00
5	साबड़ा कुड्डू (पी.वी.पी.सी.)	111.00
6	शौंग टोंग–कड़छम	402.00
7.	सैंज	100.00
8.	रेनुका	40.00
9.	चिढ़गांव मझगांव	46.00
10	खोली– II	7.00
11	टिटोंग– II	60.00

कुल		1124.00

राज्य के अधीन निष्पादित परियोजनाएंः

1. **उहल–चरण–।।। जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)**

उहल–चरण–।।। जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट) परियोयना जब पूर्ण हो जाएगी तो 391.19 मैगावाट युनिट बिजली का उत्पादन 90 प्रतिशत वार्षिक तौर पर निर्भर होगा। केन्द्रीय विद्युंत नियायक तकनीकी आर्थिक अनुमति सितम्बर,2002 पर आधारित भावों पर 431.56 करोड़ रूपये की अनुमति प्रदान कर दी है जबकि योजना की लागत बढ़ने और संशोधित अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना का पहला चरण वर्ष दिसम्बर,2010 तथा दूसरा एवं तीसरा मार्च,2011 में तैयार हो जाएगा।

2. **घानवी जल विद्युत परियोजना चरण–।। (10 मैगावाट):**

घानवी जल विद्युत परियोजना चरण–।। घानवी नदी पर है जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है जिसकी अनुमानित लागत 49.49 करोड़ है। विश्वसनीय वर्ष में वार्षिक उर्जा का उत्पादन 75 प्रतिशत जोकि 41.63 मैगावाट युनिट होने की आशा है। इस परियोजना का संचालन हि.प्र.रा.वि.प. द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राशि/ धन का प्रबन्ध मै0 ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा किया जाएगा एवं निगम ने 3415.32 लाख रूपये की राशि 1.1.2004 को स्वीकृत कर दी है।

3. भावा एगुमैन्टेशन पावर हाउस (5मैगावाट):

यह परियोजना जिसकी क्षमता 3 मैगावाट से 5 मैगावाट तक बढ़ा दी है किन्नौर जिला में स्थित है। विश्वसनीय वर्ष में वार्षिक उर्जा का उत्पादन 75 प्रतिशत जोकि 26.63 मैगावाट युनिट होने की आशा है। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए धन का प्रबन्ध पावर फाइनांस कार्पोरेशन से किया गया है। 11.00 करोड़ रूपये की राशि पावर फाइनांस कार्पोरेशन ने स्वीकृत कर दी है। यह परियोजना 2010–11 में पूर्ण हो जाएगी।

4. **खौली जल विद्युत परियोजना चरण–।। (7 मैगावाट):**

खौली जल विद्युत परियोजना चरण–।। (7 मैगावाट) कांगड़ा जिला के गज खडड की सहायक नदी खौली खडड पर स्थित उर्जा संचालन विकास के रूप में विकसित की जानी है। खौली–। उर्जा विद्युत परियोजना(12 मैगावाट) पहले से ही संचालित कर दी गई हैं। यह परियोजना सभी गुणों से परिपूर्ण है। दिसम्बर,2005 के भाव पर आधारित इस परियोजना की विस्तृत रिर्पोट हि.प्र.रा.वि.प. द्वारा 42.74 करोड़ रूपये की तैयार की गई है। इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति विचाराधीन है एवं इस परियोजना के संचालन का फेसला राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।

5. रेणुका डेम परियोजना (40मैगावाट):

रेणुका डेम परियोजना जो कि ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जानी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर उंची चटटान से पानी गिराकर छोर पर बनाई जानी है।। इस परियोजना से दिल्ली की 23 क्युविक मीटर पानी तथा हिमाचल प्रदेश को 40 मैगावाट बिजली मिलेगी। सितम्बर,2008 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत 2676.04 करोड़ रूपये आएगी जिसका भार भारत सरकार/ दिल्ली सरकार तथा अन्य लाभान्वित राज्य उठाएगें। यह परियोजना नवम्बर,2015 तक पूर्ण हो जाएगी।

6. **शोंगटोग कड़छम जल विद्युत परियोजना(402 मैगावाट)**

यह परियोजना सतलूज नदी पर जिला किन्नौर में रली गांव के पास स्थित है जिसमें 402 मैगावाट उर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

7. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट) कुल्लू जिला में सैंज नदी पर जो ब्यास नदी की सहायक नदी है सियोंद गांव के पास निर्माणाधीन है जिससे 100मैगावाट विद्युत का उत्पादन होगा।

8. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (195 मैगावाट)

यह परियोजना चार चरणों में, पहला चरण में 65 मैगावाट जोकि पवारी गांव में सतलुज नदी पर, चरण दो एवं तीन 130मैगावाट जो कशांग चरण–। पर तथा चरण चार 48 मैगावाट जो कैरांग नाले के पास बननी है।

9 साबड़ा कुन्डू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)

साबड़ा कुन्डू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) सनैल गांव के पास पब्बर नदी पर शिमला जिला में विकसित की जानी है।

ii) केंद्रीय /संयुक्त क्षेत्र

एच.ई.पी.का विवरण	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
अ) एन.एच.पी.सी.	
i) पार्वती एच.ई.पी.–।।	800.00
ii) पार्वती एच.ई.पी.–।।।	520.00
iii) चमेरा–।।।	231.00
जोड़ (अ)	1551.00
ब) एन.टी.पी.सी.	800.00
जोड़ (अ+ब)	**2351.00**

iii) परियोजनाएं जो केंद्रीय/संयुक्त क्षेत्र के अधीन आंवटित हैं

क्र. सं	परियोजना का नाम	नाला/ नदी बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1.	खाव । व ।।	सतलुज	636.00
2	लुहरी	सतलुज	775.00
3	पार्वती–।	व्यास	750.00
		जोड़	**2161.00**

III) निजी क्षेत्रः

अ) परियोजनाएं जो प्रचालन में हैं।

क्र. सं	परियोजना का नाम	नाला/नदी बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1.	वस्पा		300.00
2	मलाणा	व्यास	86.00
3	पतिकारी		16.00
		जोड़	**402.00**

		जोड़	1738.00

ब) परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं।

क्र. सं	परियोजना का नाम	नाला / नदी बेसिन	क्षमता(मैगावाट)
1	कड़छम–बागतू	सतलुज	1000.00
2	एलायन–दुहांगन	व्यास	192.00
3	मलाणा–।।	व्यास	100.00
4	नियोगल	व्यास	15.00
5	बुधील	रावी	70.00
6	सोरग	सतलुज	100.00
7	लम्बाडूग	व्यास	25.00
8	फोजल	व्यास	9.00
9	तांगणु	यमुना	50.00
10	तिदोंग	सतलुज	100.00
11	रौडा	सतलुज	8.00
12	पौडीताल	यमुना	24.00
13	बनैर–।।	व्यास	6.00
14	बड़ागांव	व्यास	24.00
15	साई कोठी	रावी	15.00

निजी क्षेत्र

अ. प्रचालनाधीन परियोजनांए

1. वासपा जल विद्युत परियोजना–।। (300 e‍xkokV)

बासपा –।। जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मै0 जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के साथ हिमाचल सरकार ने एम ओ यू एंव कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया गया है। एक दो एवं तीन इकाई में क्रमशः 24.5.2003, 29.5.2003 तथा 8.6.2003 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

2. मलाना जल विद्युत परियोजना (86 मैगावाट)

इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदेश सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.8.1993 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.3.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार , मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.3.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.9.1998 को परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। वित्तीय राशी के रूप में केन्द्रीय विद्युत नियामक ने 332.711 करोड़ की राशी स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.7.2001 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

3. ifrdkjh gkbMk byfDVd ifj;ktuk (16 exkokV)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट ईन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का

कार्यान्वयन पतिकारी पावर प्रा0लि0 के द्वारा किया जाना है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिष्द् द्वारा 27.9.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 126 करोड़ रूपए है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिष्द् के साथ 14.1.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी 2008 को चालू हो गई।

ब) निष्पादनाधीन परियोजनाएं:

1. fu;kxy gkbMkbyfDVd ifj;ktuk (15 exkokV)

नियोगल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा जिला के नियोगल जो की कास नदी की सहयोगी नदी है बनाया जाना है। यह परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोरशन लि0 नई दिल्ली को दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 61.74 करोड़ रूपए होगी। इस परियोजना से वार्षिक उत्पादन 82 मैगा यूनिट होना है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली के साथ एम ओ यू 28.8.93 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.7.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्वारा समय पर परियोजना का कार्य शुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकताएं पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.5.2004 को लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चौथा अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता 27.1.2006 को कम्पनी के साथ किया। उर्जा खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मै0 पतिकारी पावर प्रा0 लि0 ने पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना 2010–11 में बन कर चालू हो जाएगी।

2. ,fy;u nqgkxu gkbMkbyfDVd ifj;ktuk (192 exkokV)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राशि 922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28अगस्त,1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 को हस्ताक्षरित किया। कार्यान्वयन समझौते के अनुसार कम्पनी को 36 महीने के अन्दर 22.2.2004 तक वित्तीय समापन प्रक्रिया के उपरान्त निर्माण कार्य शुरू करना था। कम्पनी द्वारा वित्तीय समापन प्रक्रिया के उपरान्त निर्माण कार्य में असफल रहने के कारण निर्धारित अवधि तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।

सरकार ने निष्पक्षीय समझौते के उपरान्त कम्पनी को 6 महीने के अन्दर 5.2.2005 तक निर्माण कार्य शुरू करनेके लिए कहा सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंव विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.वी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। यह परियोजना 2009–10 तक चालू हो जाएगी।

3. dMNe okxV gkbMkbyfDVd ifj;ktuk (1000 exkokV)

सरकार ने मैसर्ज जय प्रकाश इंण्डस्ट्रीज लि0 के साथ 28.8.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 18.11.1999 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के प्रौद्योगिक आर्थिक अनुमोदन 31.3.2003 को सी ई ए के साथ कर दिया है जिस पर 5910 करोड़ रूपये खर्च करने की सम्भावना है। इस परियोजना से 4,560 मैगा युनिट वार्षिक उर्जा का उत्पादन होगा। इस त्रिपक्षीय समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार मै0 जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि0 तथ मै0 कड़छम हाइड्रो कार्पोरेशन लि0 के साथ 30.12.2002 को हुआ। सितम्बर, 2008 के अन्त तक कम्पनी ने नदी के मोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया है। यह परियोजना 2011–12 में पूर्ण हो जाएगी।

4. eykuk gkbMªks byfDVªd izkstSDV&AA (100 esxkokV)

मलाना –।। जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में व्यास नदी पर बनाई जानी है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत 633.47 करोड़ रूपए है। इस परियोजना से 428 मैगा युनिट वार्षिक उर्जा उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट प्राइवेट लि0 के साथ 27.5.2002 को, तथा 14.1.2003 को एम ओ यू तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 तक चालू हो जाएगी।

5. तागंनू रोवाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (44+ 6 मैगावाट)

तांगनू रोवाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 पी.सी.पी.इंटरनैशनल लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित राशि 239.73 करोड़ रूपये है। इस परियोजना से विद्युत का वार्षिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. मै0 पी.सी.पी. इन्वेस्टमैंट लि0 और सरकार के बीच 5.7.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार , मै0 तांगनू रोवाई पावर जनरेशन लि0 के साथ क्रियाान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2012–13 तथा 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2011–12 में चालू हो जाएगी।

6. लम्बाडुग हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (25 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ सरकार द्वारा 14.6.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना की लागत 149.81 करोड़ रूपए है। यह परियोजना जनवरी 2013 तक चालू हो जाएगी।

7. बुधील हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (70 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता पर 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना की लागत 418.80 करोड़ रूपए होगी। यह परियोजना 2011–12 में बन कर चालू हो जाएगी।

8. सोरंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

मै0 हिमाचल सोरंग पावर (प्राईवेट) तथा सरकार के बीच एम.ओ.यू पर 23.9.2004 को हस्ताक्षर हुए। सरकार ने कम्पनी के साथ कार्यान्वयन समझौते पर 28.1.2006 को हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की अनुमानित लागत

586.00 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना 2011–12 तक चालू हो जाएगी।

9. तिदोंग–। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

सरकार ने मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0 लि0 के साथ 23.9.2004 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया। कार्यान्वयन समझौते पर 28.7.2006 को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की लागत 500.11 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना 2011–12 तक चालू हो जाएगी।

10. फोजल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (9 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 फोजल पावर प्राईवेट लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत 49.17 करोड़ रूपए हैं। इसके एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर 21.6.2000 और 13.4.2006 को क्रमशः हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 2010–11 तक चालू हो जाएगी।

11. पौडीताल लासा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (24 मैगावाट)

एम.ओ.यू. मै0 जयलक्ष्मी पावर लि0 और सरकार के साथ 6.6.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौते पर 26.10.2006 को हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 107. 40 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना 2011–12 तक चालू हो जाएगी। इसके एम.ओ.यू. व

कार्यान्वयन समझौते क्रमशः 6.6.2002 व 26.10.2006 को हस्ताक्षरित किए गए।

12. बड़ागांव हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (24 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34 सैक्टर नोयडा यू0पी0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत 168.09 करोड़ रूपए हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 6.6.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.1.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्ष 2011–12 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

13. बनेर–।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (6 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत 30.36 करोड़ रूपए हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 29.5.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2010–11 में चालू हो जाएगी।

14. रौड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (8 मैगावाट)

मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 पूना के साथ 4.2.1996 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। तथा 24.3.2008 को कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 42.03 करोड़ रूपए हैं। यह परियोजना वर्ष 2011–12 में चालू हो जाएगी।

15. साई कोठी हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (15 मैगावाट)

यह परियोजना वैंचर एनर्जी व टैक्नोलॉजीज नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 83.17 करोड़ रूपए हैं। एम.ओ.यू. कार्यान्वयन समझौता क्रमशः जून,2002 एवं 16.7.2007 को हस्ताक्षरित किया गया है। यह परियोजना 2011–12 में बनकर चालू हो जाएगी।

IV-निजि क्षेत्र में परियोजनाएं जो आंवटित की गई एवं एम.ओ.यू./पी.आई.ए. स्तर के अधीन है

क.सं	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)	वेसिन
1	कुटेहर	260.00	रावी
2	रोपा	60.00	सतलुज
3	कूट	24.00	सतलुज
4	साल–।	6.5	रावी
5	बड़ा भंगाल	200.00	रावी
6	भजोली होली	180.00	रावी
7	चांगो यंग–थंग	140.00	सतलुज
8	छतडू	108.00	चनाव

9	हरसर	60.00	रावी
10	भरमौर	45.00	रावी
11	भराड़ी	5.5	सतलुज
12	चांजू–I	25.00	रावी
13	चांजू–II	17.00	रावी
14	रूपीन	39.00	यमुना
15	जंगी थोपन	480.00	सतलुज
16	थोपन पोवारी	480.00	सतलुज
17	धमबाड़ी सुन्डा	70.00	यमुना
18	यंगथग खाव	261.00	सतलुज
19	गोदंला	144.00	चनाव
	कुल	**2605.00**	

V. परियोजनाएं जो राज्य/ केन्द्रीय/ संयुक्त एवं निजी क्षेत्रों में आंवटनाधीन हैः–

अ. राज्य क्षेत्र

क.सं	परियोजना का नाम	बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1	जिस्पा	भागा /चिनाव	170.00
	कुल		**170.00**

ब. केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र

क.सं	परियोजना का नाम	बेसिन	क्षमता (मैगावाट)
1	खाव–I	सतलुज	450.00
2	खाव–II	सतलुज	186.00
3	लुहरी	सतलुज	775.00
4	पार्वती	ब्यास	750.00

	कुल		2161.00

स. निजि क्षेत्रः

क.सं	परियोजना का नाम	जिला	वेसिन	अनुमानित क्षमता
1	कोकसर	लाहौल–स्पिति		90.00
2	सुईल	चम्बा	चन्द्रा/चिनाव	13.00
3	शाालवी	शिमला	सुइल/रावी	7.00
4	किलही वहल	कांगड़ा	शालवी/यमुना	7.50
5	मने नादंग	लाहौल–स्पिति	विनवा/व्यास	70.00
6	लारा	लाहौल–स्पिति	स्पिति/सतलुज	60.00
7	मियाड़	लाहौल–स्पिति	स्पिति/सतलुज	90.00
8	तिंगेट	लाहौल–स्पिति	मियाड़/चिनाव	81.00
9	तेलिंग	लाहौल–स्पिति	मियाड़/चिनाव	69.00
10	कुलिंग लारा	लाहौल–स्पिति	चन्द्रा/चिनाव	40.00
11	पटम	लाहौल–स्पिति	स्पिति/सतलुज	60.00
12	लरा सुमता	किन्नौर	स्पिति/सतलुज	104.00
13	रियाली/डुगली	लाहौल–स्पिति	चिनाव	420.00
14	डुगर	चम्बा	चिनाव	236.00
15	वरदंग	चम्बा	चिनाव	126.00
16	साच खास	लाहौल–स्पिति	चिनाव	149.00
17	सैली	लाहौल–स्पिति	चिनाव	320.00
18	तान्दी	लाहौल–स्पिति	चिनाव	104.00
19	राशील	लाहौल–स्पिति	चिनाव	102.00
20	सुमता कथांग		सतलुज	130.00
	कुल			2278.50

द. हिमउर्जा 340.00(मैगावाट)

कुल (अ) + (ब) + (स) + (द) = 4950.00 (मैगावाट)

हिम उर्जा

उर्जा के अपरम्परागत तथा नए व नवीकरण साधनों का विकास

7.8 आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ तेजी से औद्योगीकरण, अच्छे रहन–सहन के स्तर तथा आधारभूत सुविधाओं में बढौतरी के कारण उर्जा की मांग बहुत बढ़ी है। पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों में कमी होने के कारण नए नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों जैसे सौर जल, तापीय संयन्त्र तथा अन्य उर्जा संयन्त्रों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

7.9 हिम उर्जा द्वारा (आई.आर.ई.पी.) एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरण उर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए, नवीन एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय भारत सरकार की वित्तीय सहायता से यह कार्यक्रम राज्य में पूर्ण रूप से चलाया जा रहा है। नवीकरण उर्जा स्त्रोत और गैर उर्जा स्त्रोत जैसे कि सोलर कुक्कर, उन्नत किस्म के चूल्हे, उन्नत जल की चक्कियां व फोटोवालटिक रोशनी इत्यादि को भी लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहें हैं।

वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर,2008 तक की उपलब्धियां तथा मार्च,2009 तक की संभावित उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

सौर जल तापीय विस्तार

7.10 वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर,2008 तक 20 सौर कुक्कर उपभोक्ताओं को उपदान पर उपलब्ध करवाए गए। दिसम्बर,2008 तक विभिन्न क्षमता के 69 सौर जल तापीय संयंत्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित/बुक किए गए। मार्च,2009 तक प्रत्याशित उपलब्धि 120 होगी।

सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

7.11 हिमउर्जा द्वारा सौर प्रकाशवोल्टिय संयंत्रों जो कि दुर्गम तथा जन–जातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रित रूप में स्थापित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं को उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर,2008 तक 500 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां उपदान पर उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। 1,105 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां भी सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर,2008 तक स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च,2009 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 1,500 होगी।

उर्जा संरक्षण कार्यक्रम

7.12 वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर,2008 तक 3,985 प्रैशर कुक्कर तथा 3,633 सी.एफ.एल. उपदान पर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। मार्च,2009 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 4600 प्रैशर कुक्कर तथा 3700 सी.एफ.एल. होगी।

निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु पन विद्युत परियोजनाएं

7.13 निजी उद्यमियों के साथ हस्ताक्षरित 340 एम ओ यू में से 260 एम ओ यू अस्तित्व में है जिनकी संकलित क्षमता 831.75 मैगावाट है। 135 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 467.75 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर निजी उद्यमियों के साथ हस्ताक्षर किए गए। 18 परियोजनांए जिनकी कुल क्षमता 63.55 मैगवाट है स्थापित की जा चुकी है। 135 परियोजनाओं में से 55 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 207.75 मैगावाट है पर कार्य शुरू हो चुका है।

7.14 हिम उर्जा द्वारा 6 परियोजनाएं नामतः लिंगटी काजा में (400 किलोवाट), कोठी मनाली में (200 किलोवाट), जुथेड़ तीसा में (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), तथा सुराल

(100 किलोवाट) पांगी तथा घरोड़ा 100 किलोवाट हिमउर्जा द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। यह सभी परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं तथा इनमें उत्पादन हो रहा है। यह सभी परियोजनाएं दूर दराज तथा जन–जातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। वर्ष 2008–09 में दिसम्बर,2008 तक 1,584 किलोवाट उर्जा का उत्पादन हो गया है। बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) कांगड़ा जिला में तथा सराहन (30 किलोवाट) निष्पादित कर स्थापित कर दी गई है जिनमें उत्पादन हो रहा है। साच (900 किलोवाट) पांगी घाटी में तथा बिलिंग (400 किलोवाट) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा इन पर सिविल एवं ई.एण्ड एम. कार्य प्रगति पर है। कुछ अन्य नई परियोजनाएं जैसे कोठी–चरण–।। (1000 किलोवाट) पर हिमउर्जा द्वारा कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

लघु पन विद्युत जनरेटर सेटस

7.15 हिमउर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उपमण्डल में तथा शिमला जिला के डोडरा क्वार में लुघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। पांगी घाटी में स्थापित जनरेटर से सैचू, साहली तथा हिल्लौर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इनमें मीटर नहीं लगे हैं। इनसे स्थानीय जनता को बहुत ही कम स्थिर मुल्य पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत पर होने वाला खर्च इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है।

7.16 वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत 494.00 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे।

8- ifjogu ,o lapkj

lMd rFkk iqy (jkT; {k=)

8.1 सड़कें आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर,2008 तक 32,158 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप चलने योग्य सड़कें भी सम्मिलित हैं का निर्माण कर लिया हैं। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2008–09 के लिए इस हेतु 30,355.72 लाख रूपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2008–09 का लक्ष्य एवं दिसम्बर,2008 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 8.1

टिप्पणीः लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना

मद	इकाई	लक्ष्य 2008–09	उपलब्धियां दिसम्बर 2008 तक	2008–09 सम्भावित
1.	2	3	5	6
1.वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	1,510	614	1,510
2.जल निकास	कि0मी0	2,723	859	2,723
3.पककी तथा विरालित सडकें	कि0मी0	1,097	756	1,097
4.जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	28	31	28
5.पुल	संख्यां	102	29	102
6.गाव जुड़े	संख्या	517	97	517

8.2 हिमाचल प्रदेश में 30.9.2008 तक मोटर चलने वाली सड़कों की कुल लम्बाई 31,778 किलोमीटर थी तथा 31.12.2008 तक 8,936 गांव सड़कों से जोड़े गए जिनका ब्यौरा सारणी 8.2 में दिया जा रहा है।

सारणी 8.2

सड़कों से जुड़े गांव	31 मार्च को संख्या				31दिसम्बर 2008 तक
	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	195	198	199	200	200
1000–1500 की जनसंख्या वाले	229	235	239	248	248
500–1000 की जनसंख्या वाले	898	931	977	1050	1074
200–500 की जनसंख्या वाले	2668	2726	2848	2970	3001
200से कम की जनसंख्या वाले	4166	4254	4268	4371	4413
कुल	**8156**	**8344**	**8531**	**8839**	**8936**

jk"Vh; mPp ekxZ (dsUnzh; {k=)

8.3 हिमाचल प्रदेश में 1,260 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोड़ज तथा बाईपास सम्मिलित है के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर,2008 के अन्त तक 67.51 किलोमीटर लम्बे मार्ग को पक्का तथा विरालित किया गया।

jsyo

8.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

iFk ifjogu

8.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, आटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है इसीलिए पथ परिवहन निगम को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के जनमानस को राज्य में तथा राज्य से बाहर लोगों को 1,920 बसों (अक्तुबर,2008 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है।

8.6 लोक हित के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी कार्यान्वित रहीं।

(i) **स्मार्ट कार्ड योजनाः** जिसमें लोगों को 50 रूपये जमा करने पर एक कार्ड प्राप्त होता है जो एक वर्ष तक चलेगा यात्रियों को यात्रा भाड़े में 10 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों से (60 वर्ष से) उपर को यह छूट 20 प्रतिशत है। आज दिन तक 15,122 कार्ड जारी किए गए हैं।

(ii) **यैलो कार्ड स्कीमः** निजी बस मालिकों को स्थानीय रूटों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के उद्वेश्य से निगम ने पीला कार्ड योजना आरम्भ की है। पीले कार्ड की कीमत 120 रूपये से घटाकर 50 रूपये कर दी है जिस पर कार्ड धारक को 40 किलोमीटर तक यात्रा करने पर यात्रा भाड़े में 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है। निगम ने आज तक 33,544 कार्ड बेचे हैं।

(iii) **वाल्वो लगजरी वातानुकुल बसेः–** निगम ने निम्न मार्गों पर वाल्वो लगजरी वातानुकुलित बसें चलाई हैं:–

1. शिमला–दिल्ली – चार बसें।
2. धर्मशाला–दिल्ली – दो बसें।
3. मनाली–दिल्ली – दो बसें।

(iv) **वातानुकुलित बसें:–** निगम ने 21 टाटा/ लैलैण्ड की वातानुकुलित बसें प्रतिष्ठाग्राही मार्गों पर चलाई हैं जो दिल्ली, चण्डीगढ़ एवं हरिद्वार तथा धर्मशाला–दिल्ली हैं।

(v) सेमी–डीलक्स बसें:– राज्य में लोगों को यात्रा के दौरान आरामदायक सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने 2X2 लगजरी सीटों वाली सैमी–डीलक्स बसों को लम्बी दूरी वाले मार्गों पर साधारण बसों की अपेक्षा मात्र 20 रूपये अधिक देकर यह बसें चलाई हैं।

(vi) निगम द्वारा भैया दूज व रक्षा बन्धन पर महिलाओं को मुफत यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

(vii) बस स्टैंडः– आम जनता को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने शॉपिंग कम्पलैक्स तथा बस स्टैंड बनाने व रख रखाव रखने के उद्धेश्य से हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबन्धन व विकास प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल,2000 को की गई। प्राधिकरण ने (बी.ओ.टी. के तहत) 1,015.98 लाख रूपये के व्यय से रिकांगपिओ, सोलन, नगरोटा वगवां, चिन्तपूर्णी, जोगिन्द्रनगर, पालमपुर, बंजार, राजगढ़ व शॉपिंग कम्पलैक्स कांगड़ा निर्मित कर दिए हैं। जवाली, संतोखगढ़, अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैंड शिमला टुटीकण्डी, जुब्बल, मकलोडगंज, अर्की, रोहड़ू, रामपुर, आनी और सुन्दरनगर के बस स्टैंड बी.ओ. टी. के अंतर्गत (रामपुर को छोड़कर जिसके लिए फण्डस एन.जे.पी.सी. द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं) 3,147.10 लाख रूपये की लागत से निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त ठियोग, स्वारघाट, मनाली, डल्हौजी, बददी, परमाणू, चम्बा, नालागढ़, चामुण्डा, जयसिंहपुर, बैजनाथ, बिलासपुर, हमीरपुर, नादौन, करसोग, मण्डी, चिढ़गांव और उना के नए बस स्टैडो के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हि0प्र0वी.एस.एम. व .डी.ए. शिमला की विभिन्न स्थानों पर बस ठहराव/ वर्षा शालिक का निर्माण भी कर रही है। तारादेवी, 103 सुरंग, मुख्य बस ठहराव, संजौली, भराड़ी, टालैण्ड, लिफट, बी.सी. एस. संकट मोचन,, मेडिकल कालेज, छोटा शिमला, एम.एल.ए. क्रॉसिंग और खलीनी चौक मुख्य हैं।

(viii) i|jLdkj ½& निगम को देश के पहाड़ी राज्यों के परिवहन निगमों में निम्नलिखित पुरस्कार/ ईनाम से सम्मानित किया गया।

1. वाहन उत्पादकता में श्रेष्ठ निष्पादन कार्य किया।
2. निम्नतम प्रचलन खर्चा।
3. सुरक्षित एवं दक्ष परिवहन के लिए परिवहन मंत्री ट्राफी वर्ष 2004—05 के लिए 1.25 लाख रूपये का नगद ईनाम।
4. सुरक्षित एवं दक्ष परिवहन के लिए परिवहन मंत्री ट्राफी वर्ष 2005—06 के लिए 1.50 लाख रूपए का नगद ईनाम।

9- i;Vu rFkk ukxfjd mMM;u

9.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए आर्थिकी के निर्वाह की असीम सम्भवनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसे भविष्य के लिए विकास का एक मुख्य आधार तन्त्र अनुभव किया जा रहा है। पर्यटन कार्य कलापों में सहायक सभी आधार स्त्रोत व संसाधन प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसे :– भौगोलिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ, शांत व सुन्दर नदियां व झरनें, पवित्र स्थल, एतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण व स्नेहिल लोग।

9.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समुचित संरचना का विकास किया है जिसके अंतर्गत जनउपयोगी सेवाएं जैसे सड़कें, संचार, हवाई अडडे, परिवहन सुंविधाएं, जलआपूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरों की तरह गांव में भी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास मे सहायक समुचित संरचना विकास व निर्माण के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 के लिए पर्यटन के अंतर्गत 947.26 लाख रूपये एवं नागरिक उड्डयन के अंतर्गत 97.28 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। अभी दिसम्बर,2008 तक 45,345 बिस्तर क्षमता के 1,889 होटल विभाग में पंजीकृत हैं।

9.3 वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग द्वारा निम्न सर्किटों/पर्यटन गन्तव्यों हेतु राशि जारी की है, विवरण इस प्रकार है :–

(लाख रूपये)

क्र0 सं0	पर्यटन सर्किट/गन्तव्य का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1.	जोगिन्द्रनगर–बीड़–बिल्लिंग का एकीकृत पर्यटक गन्तव्य का विकास।	427.90	342.32
2.	उना–हमीरपुर–बिलासपुर का एकीकृत पर्यटक गन्तव्य का विकास।	760.00	608.00
3.	चायल का एकीकृत पर्यटक गन्तव्य का विकास।	480.00	384.00
4.	सोलन का एकीकृत पर्यटक गन्तव्य का विकास।	420.00	336.00
5.	नालदेहरा का एकीकृत पर्यटक गन्तव्य का विकास।	269.76	215.00
6.	धर्मशाला में फूड क्राफट संस्थान	475.00	200.00

9.4 राज्य सरकार द्वारा सर्किटों/गन्तव्य के अन्तर्गत 12 करोड़ रू0 की कीमत से प्रदेश के 26 विभिन्न स्थलों पर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा । उपरोक्त प्रस्तावों/स्कीमों के इलावा विभाग द्वारा साहसिक एवं जल क्रीड़ा हमीरपुर के एकीकृत विकास हेतु मु0 8 करोड़, कल्पा व सराहन ग्रामीण पर्यटन हेतु मु0 0.50 करोड़ रूपये प्रत्येक के लिए तथा कुल्लु–मनाली में मैगा पर्यटक गन्तव्य मु0 50 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को वित्तीय सहायता हेतु भेजी गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त सुन्दरनगर– मण्डी–रिवालसर के विकास हेतु मु0 5 करोड़ रू0 तथा ऑफ–बीट सर्किट हेतु मु0 8 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भी भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु शीघ्र भेज दिए जाएगें।

9.5 सरकार इस क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कुशलता लाने के लिए ढांचागत लोक परियोजनाओं में सरकार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से निवेश करने के इच्छुक है। सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी में चिंता का विषय यह है कि निजी निवेशकर्ता अपना शीघ्र लाभ की ओर देखेगा जबकि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों का विकास व कल्याण है। सरकारी व निजी क्षेत्र निवेश कम विकसित व कम पहचान वाले क्षेत्रों में होना चाहिए।

9.6 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र को निम्न पर्यटन परियोजनाओं में पूंजी निवेश हेतु आमन्त्रित किया है :–

1. **सोलंग नाला रज्जूमार्ग**: इस रज्जूमार्ग का कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है।
2. **जाखू रज्जूमार्ग**: जाखू रज्जूमार्ग परियोजना का कार्य मै. जैक्शन इंटरनैशनल लिमिटिड, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इस रज्जूमार्ग का कार्य प्रगति पर है।
3. इसके अतिरिक्त बजट भाषण 2008–09 के अनुसार विभाग ने इसका प्राथमिक सर्वेक्षण और नीलामी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। प्राथमिक कार्य मै. राईटस लिमिटिड द्वारा पूर्ण किये जा रहे हैं। 1) आन्नदपुर साहिब से श्री नैनादेवी जी, 2) धर्मकोट से त्रियुंड, 3) भून्तर से बिजली महादेव, 4) पलछान से रोहतांग, 5) पालमपुर से न्युगल और 6) शाहतलाई से दियोटसिद्व।

पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी से निम्न परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने हेतु प्रयास किए गए हैं ।

- बद्दी जिला सोलन।
- झटीगरी जिला मण्डी।
- शोजा जिला कुल्लु।
- बड़ागांव जिला कुल्लू।
- बिलासपुर।

9.7 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना की पुस्तिकाएं तैयार करता है तथा प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर मनाए जाने वाले मेलों एवं उत्सवों में भाग लेता है। विभाग ने टूरिस्ट स्पॉट ट्रैवल एवं पर्यटन उत्सव, इण्डिया इन्टरनैशनल ट्रैवल मार्ट, बैंगलौर, मुम्बई तथा हैदराबाद, टी. टी. एफ. हैदराबाद, कोलकत्ता, अहमदाबाद, चन्नेई तथा मुम्बई, आई टी. एम. गोआ, नई दिल्ली व अहमदाबाद, पैस्फिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पी.ए.टी.ए.), आई. आई. टी. ई. पुणे व नागपुर, डब्ल्यू. टी. एम. लन्दन, लवी मेला, रामपुर तथा सिरमौर में रेणुका मेले इत्यादि में हिस्सा लिया । इसके अतिरिक्त पर्यटन के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं का समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में विज्ञापन तथा आजतक, जी न्यूज, 9 एक्स, सी.एन.वी.ई., सी.एन.एन. व आई.वी.एन., व जी हिमाचल टीवी चैनलों के माध्यम से प्रचार किया गया ।

9.8 विभाग ने वर्ष 2008–09 के लिए सामान्य प्रशिक्षण के लिए 8.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा है। विभाग द्वारा राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए विभिन्न साहसिक व सामान्य प्रशिक्षण का अयोजन किया गया जैसे ट्रेकिंग, जल क्रीड़ा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर रॉफटिंग व वर्ड वॉचिंग इत्यादि। विभाग प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इस वर्ष विभाग द्वारा पर्यटन से संबंधित निम्न कार्यकमों का अयोजन किया गया :

1. सेब उत्सव (दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2008)
2. शिमला में मोटर साईकिल चैलेंज (दिनांक 13 से 14 सितम्बर, 2008)
3. विश्व पर्यटन उत्सव (दिनांक 27 सितम्बर, 2008)
4. लारजी जिला कुल्लु में एंग्लिग मीट (दिनांक 27 से 28 सितम्बर, 2008)
5. शिमला से मनाली तक माउटेन वाईकिंग–एबी–हिमाचल–2008 (दिनांक 27 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 2008)
6. दसवीं रेड दि हिमालया कार रैली (दिनांक 30 सितम्बर से 9 अक्तूबर, 2008)
7. हिमालयन पैराग्लाईडिंग बल्र्ड कप–2008 (दिनांक 14 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 2008)
8. ऐतिहासिक कालका–शिमला रेल लाईन (दिनांक 8 से 9 नवम्बर, 2008)

9. शिमला में मोटर साईकिल चैलेंज (फाइनल राउन्ड) (दिनांक 22 से 23 नवम्बर, 2008)

10. अन्द्रेटा जिला कांगडा में क्राफट मेला (दिनांक 17 से 30 नवम्बर, 2008)

9.9 विभाग द्वारा प्रदेश में होम स्टे स्कीम, 2008 लागू की है, जिसके तहत पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के अन्तर्गत निजि उद्यमियों को विलासता व बिक्री कर में छूट दी गई है । पानी व बिजली पर भी घरेलु दरों पर दिया जाएगा ।

नागरिक उडडयन

9.10 वर्तमान में प्रदेश में शिमला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अडडे है। जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से है :–

क) **षिमला हवाई अडडा :** शिमला हवाई अडडे के रनवे का आकार 4100 फीट था परन्तु वास्तव में 3800 फुट का ही उपयोग किया जा रहा है । इस रनवे के विस्तार हेतु आई. आई. टी. रूड़की द्वारा सर्वे कर लिया गया है । सर्वे रिर्पोट के अनुसार हवाई अडडे की वास्तविक लम्बाई के रिस्टोर करने हेतु मु0 142.70 करोड़ रू0 व्यय आने का अनुमान है ।

ख) **कुल्लु हवाई पट्टी :–** इस हवाई अडडे के रनवे का आकार 3800 X 100 फुट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूचित किया है कि इस हवाई अडडे के रनवे को 550 मी0 से 1678 मी0 तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे ATR–72 टाईप का एयरक्राफट इस हवाई अडडे पर उड़ान भर सके।

ग) **कांगड़ा हवाई पटटी :–**इस हवाई पटटी के रनवे का आकार 3900 X 100 फुट था जिसे 4500 X 100 फुट तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम द्वारा ATR–72 टाईप के एयरक्राफट की उड़ाने शुरू करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा रनवे को 418 X 250 मी0 तक बढाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

घ) **सुन्दरनगर प्रस्तावित हवाई अडडाः–** अभी तक तीनों हवाई अडडों में ए.बी. 320 / बोईंग–747 उतरने की क्षमता नहीं है इसलिए सरकार द्वारा सुन्दरनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है । इस हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सुन्दरनगर के समीप भूमि का चयन कर लिया गया है । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इससे सम्बन्धित डाटा / सूचना भेज दी गई है । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6–1–2009 को इस स्थल का ग्राउन्ड सर्वे कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका एरियल सर्वे व इसकी तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

ड.) **रात्रि में हवाई जहाजों को उतरने की सुविधा प्रदान करनाः** शिमला, कुल्लू–मनाली व कांगड़ा के हवाई अडडों पर अभी तक रात्रि में हवाई जहाजों के उतरने की सुविधा नहीं है। माननीय नागरिक उडडयन मंत्री भारत सरकार ने यह सुविधा इन तीन हवाई अडडों पर देने की घोषणा की है।

9.11 हैलीपैड : प्रदेश में 57 हैलीपैड है तथा 12 नये हैलीपैडों के निर्माण का मामला विचाराधीन है ।

9.12 हैली–टैक्सी सेवाएं : सरकार द्वारा राज्य के दुगर्म एवं जन–जातीय क्षेत्र में यातायात को और सुगम बनाने हेतु हैली–टैक्सी सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

10. सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं

f'k{kk

10.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 76.5 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 85.3 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 67.4 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

i:kjfEHkd f'k{kk

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा का सारभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया है जिसका उद्धेश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में 10,738 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,723 क्रियाशील हैं तथा शेष 15 पाठशालाओं को क्रियाशील बनाने के लिए सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान (31.12. 2008 तक) राज्य में 2,293 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा 4,568 प्राथमिक सहायक अध्यापक को कनिष्ठ प्राथमिक अध्यापक के खाली पदों से भरने की अनुमति प्रदान की गई। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है। 8 पिछड़े शिक्षा ख्ण्डों में लड़कियों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों के लिये 10 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्वीकृति दी गई। 8 कस्तुरबा गांधी विद्यालय चम्बा में, 1 शिमला में कार्यरत है तथा 1 स्कूल सिरमौर जिला के शिलाई खण्ड में स्वीकृत है।

10.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोडने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति, लाहौल व स्पिति प्रणाली पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. छात्रों तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढा़ने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफत किताबें भी दी जा रही है। सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा 1 से 5 तक संशोधित पाठ्य पुस्तकें अग्रेंजी सहित विकसित की तथा लगाई गई। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत 1.9.2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 282 अपर प्राथमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर

शिक्षा को आरम्भ किया गया। सरकार द्वारा 100 चयनित उच्च/ उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में कक्षा 6 से आगे पंजाबी एवं उर्दु भाषाओं को पढ़ाने का शिक्षा सत्र 2008–09 से पढ़ाने का निर्णय लिया है।

उपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

10.4 वर्ष 2008–09 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैंः–

i) माध्यमिक पाठशाला में प्रत्येक छात्र और छात्रा को क्रमशः 400 व 800 रूपये वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार के बच्चों को 250 रूपये प्रति छात्र और 500 रूपये प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति पिछड़ा वर्ग परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को 150 रूपये वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

v) सैनिकों के बच्चों को 150 रूपये छात्रवृति प्रति विद्यार्थी को प्रतिवर्ष दी जा रही है।

10.5 भारत सरकार द्वारा देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जो प्रदेश सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। इसका मुख्य उद्वेश्य वर्ष 2010 तक 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है और सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग अंतर को दूर करने के साथ–साथ स्कूल प्रबन्धन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

10.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत व्यय कर रही है। लेकिन वर्तमान वर्ष 2008–09 के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की 75:25 की जगह 65:35 प्रतिशत की बजट हिस्सेदारी का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। वर्ष 2008–09 के लिए केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 14,391 लाख रूपये का प्रावधान हैं। सर्व शिक्षा अभियान का विशेष केन्द्रित क्षेत्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जातीय की लड़कियों और बच्चों तथा कम एवं साधारण विकलॉग छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

10.7 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैः–

- क्षमताः–इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य मिशन प्राधिकरण द्वारा राज्य, जिला, खण्ड तथा स्कूल स्तर तक आश्रय समुह का गठन करना।
- शक्तिः–मां तथा लड़की पर विशेष ध्यान देना।
- शिक्षा विमर्शः– शिक्षक तथा स्टेकहोल्डरों में हर दो माह में एक बार शिक्षा पर खुली चर्चा करना।
- पढ़ना तथा प्रकट करनाः– सम्बन्धित विषयों पर शिक्षकों द्वारा पढ़ना तथा चर्चा करना।
- अकड़–बकड़ः–शिष्यों के लिए एक मासिक पत्रिका है।
- बालाः– स्कूल भवनों का ऐसा निर्माण करना जिससे पढ़ने में सहायता मिले।
- किताबः–पाठशालाओं में पुस्तकालय बनाना जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए पूरक सामग्री मिल सके।
- आधार–2007ः–प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सिखने की कला को बढ़ावा देना।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाएं भी कियान्वयन की जा रही है :–

1. नए उपरी प्राथमिक पाठशालाएं खोलना।
2. एकांतरिक पाठशालाएं खोलना।
3. साधारण जाति की लड़कियों को मुफत किताबों का प्रावधान।
4. विकलॉग बच्चों को शिक्षा का प्रावधान।
5 पाठशाला के उपकरण बदलने के लिए अनुदान।
6. अध्यापक शिक्षक पढ़ाई सागग्री के लिए अनुदान ।
7 रख–रखाव अनुदान।
8 बी.आर.सी., सी.आर.सीत्र, कक्षा के कमरे, शौचालय और चार दीवारी का निर्माण।
9 हर शिक्षक को 20 दिन का हर वर्ष प्रशिक्षण का प्रावधान।

10. शिक्षकों को शिक्षा के लिए उपकरण प्रदान करना।

11 अनुसंधान तथा आंकलन व ई.एम.आई.एस. का विकास करने का प्रावधान।

12 नए प्रोजेक्टों का प्रावधान इत्यादि।

खेल–कूद किया–कलाप

10.8 वर्ष 2008–09 में प्राथमिक पाठशाला केंद्र, खण्ड़, जिला एवं राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 93.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

10.9 राज्य के सभी जिलों को चुनिदां 376 स्कूलों में योग शिक्षा 25.11.2008 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए विषय/ हिस्से के रूप में परिचय करवाया गया है जो कि प्रसिद्व पंताजलि योग पीठ और आर्ट ऑफ लिविंग संस्थानों के साथ जोड़ा गया है।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निर्माण

10.10 सरकार ने 54.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है ताकि भौतिक जरूरतों को पूरा किया जा सके जिसमें प्राथमिक स्कूलों के भवन/ कमरे जिला तथा ब्लॉक कार्यालयों का निर्माण कार्य इस वर्ष 2008–09 तक पूरा किया जा सके।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

10.11 राज्य सरकार ने शिक्षा को उच्च्तम प्राथमिकता के आधार पर लिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर होने वाला व्यय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके संस्थानों में भी बढ़ौतरी हो रही है। वर्तमान में 835 उच्च स्कूल, 1,223 उच्चतर पाठशाला तथा 67+ 5 संस्कृत विद्यालय एस.सी.ई.आर.टी. सोलन में पहले से ही चल रहे है।

छात्रवृति योजनाएं

10.12 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अधिकतम 4,000 छात्र–छात्राओं को +1 व + 2 के उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 77 प्रतिशत अंक अर्जित किये हो, को 10,000/– रूपये की राशि वार्षिक प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2007–08 में 1,146 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(ii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के (200 छात्र तथा 200 छात्राओं) को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 72 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों 11,000 रूपये की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2007–08 में 100 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(iii) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक अस्वच्छ व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय स्तर तथा समान स्तर के व्यावसायिक कोर्सों की शिक्षा ग्रहण करने पर हिमाचल में स्थित कालेजों में 9,000/– रूपये प्रति छात्रा की दर से छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2007–08 में 95 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(iv) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 छात्रों तथा 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिन्होंने दसवीं एवं **+1** की परीक्षा में 72 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों को 10,000 रूपये वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2007–08 में 738 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(v) माध्यमिक स्कूल छात्रवृति योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 400.00 रूपये प्रतिवर्ष छात्रों के लिए एवं 800.00 रूपये प्रतिवर्ष छात्राओं के लिए जिन्होंने छठी से आठवीं तक खण्ड़ स्तर की पांचवी कक्षा में शीर्ष चार स्थान प्राप्त किए हों दिए जाते हैं।

(vi) उच्च विद्यालय मेधावी छात्रवृति योजनाः यह छात्रवृति 300 उन 9वीं व दसवीं कक्षा के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में मैरिट प्राप्त की हो। ड़े स्कोलर को 1000 रूपये तथा छात्रवास में रहने वालों को 1500 रूपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2007–08 में 346 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(vii) संस्कृत छात्रवृति योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए 250 रूपये प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए 300 रूपये प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय के साथ 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(viii) इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने पर 10,000 रूपये वार्षिक प्रति छात्र/छात्रा पूर्णतय मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्ष 2007–08 में 53 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं जो कि रही हैं इस प्रकार हैः–

1. **आई. आर. डी. पी. छात्रावृति योजनाः** इस योजना के अतर्गत 300 रूपये प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को तथा 800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा 1200 रूपये मासिक महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों तथा 2,400 रूपये मासिक छात्रावास छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 में 71,540 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः** इस योजना के अतर्गत 300 रूपये प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को तथा 800 रूपये मासिक +1 व +2 छात्रों तथा 1200 रूपये मासिक महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों तथा 2,400 रूपये मासिक छात्रावास छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं / युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। अक्षमता 50 प्रतिशत से नीचे होने की स्थिति में बच्चों को आधी छात्रवृति मिलेगी। वर्ष 2007–08 में 3 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना(केन्द्रीय प्रायोजित योजना): इस** छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रा/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय रूपए एक लाख (मु0 1,00,000/–) से कम हो व अनुसूचित जन–जाति के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय एक लाख आठ हजार रूपए (मु0 1,08,000/–) से कम हो तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 44,500/– रूपये से कम हो। वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2007–08 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–7499, अनुसूचित जन–जाति–1866 अन्य पिछड़ा वर्ग–694 है।

4. **सैनिक स्कूल छात्रवृति योजनाः** यह छात्रवृति सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा 6 से 10+2 कक्षा तक पढ़ रहे पात्र छात्रों को देय है और छात्र हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। वर्ष

2007–08 में कुल 538 विधार्थी लाभान्वित किए गये।

5. **अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना(केन्द्रीय प्रायोजित योजना):** यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता किसी भी धर्म से संबंधित ऐसे कार्य में संलिप्त हों जिसे अस्वच्छ व्यवसाय की संज्ञा दी गई। जैसे मैला ढोने वाले या चर्म शोधक आदि। छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की प्राप्ति हेतु उनके माता–पित को जिस विभाग में ऐसे कार्य में कार्यरत हों से प्रमाण–पत्र लेना होगा। संबंधित छात्र/छात्राओं को सरकारी /मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत होना चाहिए। इस छात्रवृति की प्राप्ति के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है।

6. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए(केन्द्रीय प्रायोजित योजना):** यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 44,500/– से अधिक न हो यह छात्रवृति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही मान्य होगी।

7. **9वीं व 10वीं कक्षा और 10+2 विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृति योजना(केन्द्रीय प्रायोजित योजना):** इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के 9वीं एवं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी जबकि 10+2 से स्नातकोत्तर तक योग्यता के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृति के अंतर्गत वे सभी मेधावी छात्र/छात्राएं छात्रवृति के पात्र होगें जिनके माता–पिता व संरक्षक की सभी साधनों से वार्षिक आय 1,00,000/– रूपये या इससे कम होगी।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

10.13 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है:–

(क) विख्यात संस्कृत पण्ड़ितों को बदहाली से उपर उठाने हेतु वित्तीय सहायता।

(ख) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ग) सकैन्डरी पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(घ) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(ड.) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शौध/शौध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण

10.14 सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्धेश्य से तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ करने के उद्वेश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन एवं फेयरलॉन, शिमला/ एन.आई.ई.पी.ए., नई दिल्ली/सी.सी.आर.टी/ आर.आई.ई. अजमेर आदि में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एस.ए.ई.पी. के अंतर्गत प्रधानाचार्यों/ शिक्षकों को एडस कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षण देने का आयोजन किया। प्रदेश में कार्यरत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्वेश्य से इनटेल तकनीक इंडिया प्राईवेट लिमिटिड बैंगलूर द्वारा कम्पयूटर की शिक्षा पूरे प्रदेश में दी जा रही है।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

10.15 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं। इस पर प्रति पाठशाला 15.00 लाख रूपये व्यय किये जा रहे हैं।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

10.16 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को

छठी से पाठयक्रम की पुस्तकें मुफत दे रही हैं। वर्ष 2008–09 में इस योजना पर 872.39 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 1,26,745 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

0;olkf;d f'k{kk

10.17 व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में 25 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में चलाया जा रहा है जिसमें 6 पाठयक्रम पढ़ाये जा रहे हैं।

- इलैक्ट्रोनिक टैकनोलोजी।
- कम्पयूटर तकनीक।
- लेखा परीक्षा।
- इलैक्ट्रिकल।
- उद्यान।
- फूड प्रीजर्वेशन

fodykx cPpk dk fu%'kYd f'k{kk

10.18 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

10.19 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

lpuk i|kfxdh f'k{kk

10.20 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जिनमें 50 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 805 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं लाई गई तथा लगभग 926 कम्पयूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सूचना प्रौद्योगिक शिक्षा अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है तथा एन.सी.ई. आर.टी. पाठयक्रम का अनुसरण किया जा रहा है।

rduhdh f'k{kk

10.21 प्रदेश मे इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 जवाहर लाल नेह्ररू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 5 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 9 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 4 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 59 सरकारी सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित है, 16 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 51 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और 257 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र निजी क्षेत्र में, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय रोहड़ू, निजी क्षेत्र में 9 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। आई.टी.आई. में 1 और 2 वर्षीय पाठयक्रमों द्वारा 20 विभिन्न इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2007–08 में श्रेष्ठ केंद्रों को पदोन्नत किया। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत भी कई व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षार्थी स्वरोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सके। वर्तमान युग में आवश्यकता केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाने की नहीं बल्कि गुणात्मक तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा की गुणवता में सुधार किये जाने हेतु विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 3 बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर, हमीरपुर तथा कण्डाधाट को विश्व–बैंक परियोजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम के अधीन लाया गया है इस परियोजना के अंतर्गत 7.24 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं जिसमें आधुनिक उपकरण, पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध करवाना तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना सम्मिलित है। इस वर्ष इस योजना में मु0 75.33 लाख रूपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। विभाग ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन, उना, रामपुर, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन, नाहन, शिमला तथा रिकॉग–पिओ श्रेष्ठ केन्द्रों में पदोन्नत किए हैं तथा कुल 1,515.48 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह राशि इन संस्थानों में आधुनिक मशीनरी औजार तथा उपकरण इत्यादि पर खर्च की जाएगी। 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के आधार पर पदोन्नत किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

10.22 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सेवाएं, आरोग्य देने वाली, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं 52 चिकित्सालयों, 73 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 452 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 23 नागरिक / ई.एस.आई. औषधालयों और 2,069 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

10.23 वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 80 ज्वर चिकित्सा डिपो, 1,511 औषधि वितरण केंद्र, 204 मलेरिया क्लिनिकस कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान नवम्बर,2008 तक इस कार्य के अंतर्गत 3,30,269 रक्त पटिकाओं को एकत्रित करके 3,24,106 परीक्षण किए गए जिनमें से 134 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया ।

(ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1955 में 26 प्रति हजार थी, 31.11.2008 तक घटकर 0.31 प्रति दस हजार रह गई। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुष्ठ रोग लोप कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से जिलों में कुष्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2008–09 के दौरान नवम्बर,2008 तक 138 नए मामलों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 148 मामले विलोप किए गए तथा 208 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफत में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक,41 क्षयरोग युनिट और 168 माईक्रोस्कोपिक केंद्र जिनमें 408 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत थे। वर्ष 2008–09 के दौरान तृतीय तिमाही तक 10,773 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 49,129 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है।

(iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रमः–** वर्ष 2008–09 में निर्धारित लक्ष्य 30,000 के अन्तर्गत नवम्बर,2008 तक 12,906 मोतिया विन्द आप्रेशन किये गये, जिनमें 12,141 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ. एल लगाए गये। वर्ष 2008–09 के दौरान 95,237 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत नवम्बर,2008 तक 59,581 विद्यार्थियों की जांच की गई।

(v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः–** यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण क्रियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्यां की जरूरतों अनुसार बहुउद्वेश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान नवम्बर,2008 तक क्रमशः 5,546 बन्धयाकरण, 16,135 लूप निवेश, ओ. पी. प्रयोगकर्ता, 28,492 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 95,756 किए गए।

(vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः–** हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर.सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्वेश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत

छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग,गलघोटू घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियों तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के लक्ष्य तथा नवम्बर,2008 तक की उपलब्धियां नीचे सारणी 10.1 में दी गई हैः–

सारणी संख्या 10.1

क्र.सं./ मद्द	2008–09	
	लक्ष्य	नवम्बर,2008 तक उपलब्धियां
1. 2.	3	4
1.डी.पी.डी	1,26,255	86,638
2.पोलियो	1,26,255	86,637
3.बी.सी.जी.	1,26,255	86,816
4.मीजल	1,26,255	78,615
5.विटामिन 'ए'पहली खुराक	1,26,255	78,735
6.पोंलियो बुस्टर	1,39,398	74,908
7.डी.पी.टी.बुस्टर	1,39,398	74,954
8.विटामिन 'ए'दूसरी खुराक	1,39,398	74,712
9.टी.टी.5–6 वर्ष	1,32,760	97,277
10.टी.टी.10 वर्ष	1,32,760	1,06,293
11.टी.टी.16वर्ष	1,12,646	85,381
12.टी.टी.गर्भवतीमाताएं	1,46,036	86,646
13.माताओं को आयर्न,फोलिक	1,46,036	78,510

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। प्रथम चरण 21.12.2008 को पूर्ण किया गया एवं दूसरा चरण 1.02.2009 को पूर्ण किया जाएगा। इस अभियान के इन चरणों में 0–5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को लाया जाएगा। प्रथम चरण में 7,09,922 बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई गई। हैपेटाईटिस–बी टिकाकरण पायलट प्रोजैक्ट के रूप में प्रदेश के दो जिलों सोलन व हमीरपुर से शुरू किया गया। इसे प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा।

(vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः–** यह कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1992 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया गया है। वर्ष 2008 में 32,234 जांच किए व्यक्तियों में से 507 एच.आई.वी. के अनुकूल तथा 61 एडस मामले पाए गए। रक्त सुरक्षा के अधीन राज्य में 19 बैंक कार्यरत हैं।

(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः–इस योजना के अन्तर्गत 95 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 443 रोगी कल्याण समितियां जिला तथा तहसील स्तर पर कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई एफ.आर.यू. के विकास के लिए 30.11.2008 तक 10.20 करोड़ रूपये की राशि सभी जिलों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

10.24 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नार्सिग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996–97 में की गई।

10.25 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महा विद्यालय शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महा विद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महा विद्यालय सुन्दरनगर, सोलन, नालागढ़ एवं पांवटा साहिब तथा तीन स्वास्थ्य, नार्सिग तथा पैरा मैडिकल परिषदें कार्यरत है। सरकार प्रदेश में 15 जी.एन. एम.स्कूल व 12 बी.एस.ई. नर्सिंग कालेज निजी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर खोलने जा रही है। विभाग/संस्थान की निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयः यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। वर्ष 2008–09 के दौरान 31.12.2008 तक इन्दिरा

गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में 65 चिकित्सा स्नातक, 18 विभिन्न विषयों में 39 स्नातकोतर डिग्री एवं 7 विषयों मे 15 छात्रों को डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 65 चिकित्सा स्नातक कोर्स क्षमता को 65 से 100 तक बढ़ाने की ओर प्रयासरत है। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिमला में सभीं रोगियो को अत्याधुनिक विशेष स्वास्थ्य सुविधाए प्रदान की जा रही है व दो आधुनिक मशीनरी एवं उपकरण युक्त ट्रोमा रोगी वाहनों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त नाजुक हालत रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस महाविद्यालय के सी.टी.वी.एस. विभाग में अभी तक 300 मरीजों की सफलतापूर्वक बाह्य शल्य चिकित्सा की जा चुकी है तथा प्रदेश के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र में गामा कैमरा, कोबाल्ट यूनिट व न्यूक्लीयर औषधियों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 22.4.2007 से 6 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा युनिट ने कार्य करना शुरू कर दिया है तथा संस्थान द्वारा सभी आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस महाविद्यालय के टेलीमैडीसन ईकाई की सहायता से पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के विशेषज्ञ चिकित्सकों से विभिन्न मामलों की चर्चा करके रोगों के निदान में सहायता ली जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त सुविधा के माध्यम से प्रदेश के जिला केन्द्रों को भी चिकित्सा मामलों में सहयोग दिया जाता है।

10.26 इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिमला, केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं जैसे एडस नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

उपलब्धियांः

प्रशिक्षण / पढ़ाई में सहायता देने वाली सुविधाएंः

यह महाविद्यालय आधुनिक उपकरणों व्हाईट इंटरेक्टिप बोर्डों, एल.सी.डी. प्रोजेक्टरों व लेपटॉप इत्यादि की सुविधाओं से सुसज्जित है।

ऑन लाईन पुस्तकालयः

इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को इंटरनेट व एक माडयूलर कम्पयूटर कक्ष की सुविधा द्वारा अध्ययन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

मशीनरी एवं उपकरणः

वर्ष 2008 में इस महाविद्यालय के क्ष–किरण विभाग के लिए 1,000 एम. ए. क्ष–किरण मशीन खरीदी गई है जिसने मास अगस्त,2008 से स्थापित कर कार्यपरक बनाया गया है तथा नेत्र विभाग में फंडस कैमरा व याग लैजर की सुविधाएं भी रोगियों को अगस्त,2008 से प्रदान की जा रही हैं। इस वर्ष करोड़ों रूपये के अन्य मशीनरी एवं उपकरण इस महाविद्यालय को चलाने के लिए खरीदे जा रहे हैं।

वित्तीय उपलब्धियांः

चालू वित्त वर्ष 2008–09 में कुल 4,736.56 लाख रूपये गैर योजना, राजस्व प्रवर्ग मु0 200.00 लाख रूपये व पूंजीगत प्रवर्ग योजना में मु0 110.00 लाख रूपये विभिन्न भवनों के रख–रखाव हेतु प्रावधान है।

(ख) डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाडाः–

डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जो वर्ष 1996–97 से 50 एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियो के दाखिले के साथ शुरू किया गया। वर्तमान में इस संस्थान में 10वां बैच चल रहा है। 500 बिस्तर वाले चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 3 दिसम्बर,2007 से यह महाविद्यालय/ चिकित्सालय पूर्ण रूप से कार्यपरक कर दिया है व वित्तीय वर्ष 2007–08 में मु0 11.00 करोड़ रूपये की राशि से खरीदी गई अत्याधुनिक मशीनरी व उपकरणों से सुसज्जित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में मशीनरी एवं उपकरणों को खरीदने के लिए मु0 10.00 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस पाठयक्रम के अतिरिक्त रेडियोलाजी, एनाशिथिसिया एवं

शल्य विभाग में डी.एन.बी. का पाठयक्रम चल रहा है तथा इस संस्थान में पांच विषयों में स्नातकोत्तर के पाठयक्रम को चलाने की योजना सक्रिय रूप से विभाग के विचाराधीन है। वर्तमान में पैरा मैडिकल, में क्रमशः लैब टेकनिशियन, रेडियोलोजी व निश्चेतन विभाग में 26 विद्यार्थियों का तृतीय बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। चालू वित्त वर्ष 2008–09 में कुल 4,700.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें से मु0 रूपये 1,200.00 लाख रूपये पूंजीगत प्रवर्ग में व 3,500.00 लाख रूपये राजस्व प्रवर्ग (गैर योजना) में रखे गए हैं। 20 लाख रूपये विभिन्न भवनों के रख–रखाव के लिए रखे गए हैं। डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में उपलब्धियॉ निम्न प्रकार से हैं:–

1. 500 बिस्तरों वाले चिकित्सालय, एम.आर.आई., सी.टी.स्कैन, इको–कार्डियोलॉजी मशीन, निको व पिको का लोकार्पण।
2. 800 व्यक्तियों के बैठने वाले सभागार भवन, प्रशिक्षु छात्रावास एवं टाईप–6 प्रधानाचार्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3. आर.डी.एच. छात्रावास की आधारशिला इत्यादि।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालयः–

i) हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1994–95 में की गई जिसमें 20 प्रवेशर्थियों की क्षमता है। भारत सरकार ने महाविद्यालय को 16.3.2001 से मान्यता प्रदान की और वर्ष 2003–04 से 60 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इस संस्थान की प्रयोगशालाएं एवं पुस्ताकालय समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है

ii) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्वेश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दन्त चिकित्सों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ की मांग को देखते हुए किया गया।

iii) संस्थान ने सामुदायिक दन्त चिकित्सा में एम.डी.एस., मौखिक शल्य एवं आर्थोडोनटिक्स पेरियोडोनटिक्स (2 प्रत्येक) का पाठयक्रम वर्ष 2006–07 से शुरू किया है। तथा इस संस्थान में डैंटल मकैनिक एवं डैंटल हाईजैनिस्ट के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है तथा डैंटल मकैनिक एवं डैंटल हाईजैनिस्ट में 20–20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष 10+2 की परीक्षा परिणाम आने के उपरान्त प्रत्येक पाठयक्रम में 10 विद्यार्थियों के बैच आरम्भ कर दिए जाएंगें। वर्तमान वित वर्ष 2008–09 में इस महाविद्यालय के लिए मु0 356.65 लाख रूपये का बजट प्रावधान है जिसमें से 346.65 लाख रूपये राजस्व प्रवर्ग में व 10.00 लाख रूपये पूंजीगत प्रवर्ग में आंवटित किए गए हैं। 15 लाख रूपये भवन निर्माण व रख–रखाव के लिए रखे गए हैं।

आयुर्वेद

10.27 भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1985 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 वृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 जनजातीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9 जिला चिकित्सालय, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,109 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची

क्लीनिक (जिनमें एक कार्यशील है) कार्य कर रहे हैं। विभाग के अतंर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां जिनमें जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां औषधियों का निर्माण करती हैं जिनसे विभाग की संस्थाओं को दवाईयां प्राप्त होती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए.एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, रस शास्त्र एवं शल्य तंत्र की स्नातकोतर श्रेणियां भी शुरू कर दी हैं। महाविद्यालय में स्नातकोतर विद्यार्थियों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2008–09 के लिए 8,778.00 लाख रूपये का बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम 2 अक्तूबर,2008 को जिला हमीरपुर एवं जिला कांगड़ा में आरम्भ किया गया है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

10.28 राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में औषधिय सम्पदा की खेती करने, विस्तार एवं सुरक्षित रखने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (हमीरपुर) व डुमरेड़ा (शिमला) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। चौथा हर्बल गार्डन जिला बिलासपुर के जंगल–झलेड़ा में हाल ही में आरम्भ किया गया है जिसके लिए नेशनल मैडिसिनल प्लॉाट बोर्ड, भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तथा वहां पर विकासात्मक कार्य आरम्भ कर दिए हैं। स्टेट मैडिसिनल प्लांटस बोर्ड हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है तथा राज्य में मैडिसिनल प्लांटस सैक्टर के विकास हेतु एक्शन प्लॉन/ रोड़ मैप तैयार कर रहा है जिसे एक नीतिगत दस्तावेज बनाया जाएगा।

10.29 तीन विभागीय फार्मेसियों के आधुनिकीकरण /नवीनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में प्रत्येक फार्मेसी को एक करोड़ रूपये की दर से 3.00 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। इन विभागीय फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण जारी है। राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी पपरोला के लिए वर्ष 2007–08 में 78.04 लाख की अतिरिक्त अनुदान सहायता केन्द्र सरकार को की गई है। राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी पपरोला स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

औषधि जांच प्रयोगषाला

10.30 वर्ष 2007–08 तक विभिन्न वर्षों के दौरान इस इकाई को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार से 1.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। औषधि जांच प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर के आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है। वर्ष के दौरान इस प्रयोगशाला द्वारा सरकारी एवं निजि फार्मेसियों के 351 नमूनों का परीक्षण किया गया जिससे 1,06,500 रूपये का राजस्व प्राप्त किया।

अन्य विकासात्मक क्रिया–कलाप

10.31 विभाग ने अपने औषधालयों द्वारा निर्मित औषधियों को प्रदर्षित करने के लिए नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर,2008 तक आरोग्य2008 में भाग लिया। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभाग ने 57 जागरूकता एवं 2 किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जिसमें किसानों को मूल्यवर्धित औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी, विस्तारण एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया। इन शिविरों में 2,369 किसान और लाभार्थी लाभान्वित किए गए। इसके अतिरिक्त 6 विभागीय प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई।

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.32 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नेतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

10.33 इस योजना के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को, जो 60 वर्ष या उससे अधिक है एवं जिनकी वार्षिक आय 6,000 रूपये से कम है को वृद्धा अवस्था पैंशन के रूप में 300 रूपये प्रति मास देने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता है एवं जिनकी वार्षिक आय 6,000 रूपये से कम हैं को भी 300 रूपये मासिक पैंशन का प्रावधान हैं। यह पैंशन 1.1.09 से बढ़ाकर 330 रूपये मासिक कर दी गई है। विधवा पैंशन के अंतर्गत उन सभी विधवाओं अथवा परित्यक्ता महिलाओं को उनकी आयु के विचार के बिना सभी के लिए 300 रूपये मासिक पैंशन का प्रावधान किया गया है जिनकी आय प्रतिवर्ष 6,000 रूपये से कम है। वृद्धा पैंशन, अपंगता एवं विधवा पारित्यक्ता पैंशन पाने वाले के पुत्रों की वार्षिक आय 11,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकी पैंशन भी 1.1.2009 से बढ़ाकर 330 रूपये मासिक कर दी गई है। वर्ष 2008–09 के दौरान वृद्धावस्था, राष्ट्रीय वृद्धावस्था, पैंशन स्कीम और अपंग व्यक्तियों के लिए 8,502.79 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से 6,130.43 लाख रूपये दिसम्बर,2008 तक व्यय किए गए। विधवा/परित्यक्ता पैंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के लिए 2,498.95 लाख रूपये बजट का प्रावधान रखा गया था जिसमें से दिसम्बर,2008 तक 2,456.28 लाख रूपये व्यय किए गए।

बाल कल्याण

10.34 अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों को चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संघों द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिस्सा, भरमौर, ढल्ली, कल्पा, शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा मे बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहें है। परागपुर (कांगडा),, मशोवरा (शिमला) में बालिका आश्रम विभाग तथा सुजानपुर (हमीरपुर), और टुटीकण्डी (शिमला) में बाल आश्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहें है। इसके अतिरिक्त मासली रोहडू (शिमला) किलाड़ (चम्बा)में बाल/बालिका आश्रम शुरू किए गए है। इन आश्रमों में रहने वालों को निःशुल्क खाने–पीनें तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। प्रवासियों को आश्रम छोडने पर स्वंय रोजगार तथा पुर्नवास के लिए 10,000 रूपये की सहायता तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अब तीन स्कीमें क्रमशः बाल/बालिका आश्रम, आश्रम में एक साथ रहने वाल बाल बालिकाओं के पुनर्वास हेतु अनुदान देना, देखभाल सेवाएं अब **"मुख्यमंत्री बाल उद्वार योजना"** के अंतर्गत आएगीं। इस स्कीम के अनुसार आयुवर्गानुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाल परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। वरिष्ठ शिक्षा के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए गये। इस योजना में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्ग दर्शन, व्यवसायोन्मुख, प्रशिक्षण और रोजगार देकर पुनर्वास करना और स्वरोजगार स्कीमें शामिल की गई हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं

10.35 समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) जो 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है के तहत छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के समग्र विकास के लिए पूरक पोषाहार, पाठशाला पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य जांच आदि सुविधाएं प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 76 बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत हैं, इन परियोजनाओं में 18,248 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। वर्ष 2008–09 में लगभग 4,33,000 बच्चों और 99,000 गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं और 91,700 किशोर जन्य कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिए 6,465.91 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था जिसमें से 4,304.39 लाख रूपये दिसम्बर,2008 तक व्यय किए गए।

बालिका समृद्धि योजना

10.36 इस योजना का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की व माता के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलने में सहायता प्रदान करना हैं। जन्म के पश्चात बी.पी.एल. परिवार में जन्मी प्रथम दो बालिकाओं के नाम 500 रूपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 15.08.1997 को

या इसके बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को स्कूल जाने पर पहली से दसवीं तक 300 रूपये से 1,000 रूपये प्रति छात्रा छात्रवृति भी दी जाती है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अंतर्गत 75.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है तथा सितम्बर,2008 तक 9.07 लाख रूपये 1,814 बालिकाओं के नाम जमा करवाये गए। इसके अतिरिक्त 12.79 लाख रूपये 3,124 बालिकाओं /छात्राओं को छात्रवृति के रूप में प्रदान किये गये।

fd'kkj 'kfDr ;ktuk

10.37 यह योजना शत–प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित है तथा इसे आई.सी.डी.एस. नेटवर्क द्वारा सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस योजना के अतंर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार हेतु जागरूकता शिविर लगाने तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है तथा जागरूकता कैम्पों इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है। इन विकास खण्डों में 3,98,659 किशोरियों को चयनित किया गया है इन्हें लाभान्वित करने हेतु प्रतिवर्ष कुल 83.10 लाख रूपये 1.10 लाख रूपये प्रति ब्लॉक आई.सी.डी.एस. के बजट में से ही व्यय किये जाएंगें। इसके अतिरिक्त 53,975 जन्य कन्याओं को पोषण स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। इस स्कीम में 31.12.2008 तक 26.25 लाख रूपये खर्च किये गये।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

10.38 कुपोषण 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/ धात्री माताओं तथा किशोरियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मूल कारण है। कुपोषण का कुप्रभाव बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर से आंका जा सकता है। इस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने पूरक पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया है। उपरोक्त वर्णित लक्ष्य समूह को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में एक वर्ष में 300 दिन में पूरक पोषाहार दिय जाता है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत मु0 2,260.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,2008 तक मु0 1,835.00 लाख रूपय खर्च किया जा चुके हैं। भारत सरकार भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत एक रूपये प्रति बच्चा, प्रति गर्भवती / धात्री माता प्रतिदिन की दर धन उपलब्ध करवाती है। दिसम्बर, 2008 तक मु0 1,373.08 लाख रूपये भारत सरकार के प्राप्त करके व्यय किए जा चुके है।

महिला कल्याण

10.39 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैंः–

(क) **नारी सेवा सदनः–** इस योजना का मुख्य उद्वेश्य जवान लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी स्त्रियों को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए 10,000 रूपये तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2008–09 के लिए पुर्नवास योजना के अंतर्गत 46.70 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था।

(ख) **मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः**–इस कार्यक्रम के अंतर्गत शादी अनुदान रूपये 11,001 रूपये बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए दिये जाने लगे हैं जिनकी वार्षिक आय 7,500 रूपये से अधिक न हो। वर्ष 2008–09 में इस उद्वेश्य के लिए 137.48 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसमें दिसम्बर, 2008 तक 63.58 लाख रूपये खर्च किये गये जिससे 578 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

(ग) **महिला स्वरोजगार योजनाः–** इस योजना के अंतर्गत 2,500 रूपये उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतू प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 7,500 रूपये से कम है। वर्ष 2008–09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 12.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

(घ) **विधवा पुनर्विवाह योजनाः–** प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004–05 से विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। इसका उद्वेश्य विधवाओं को पुनर्विवाह कर उनका पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को 25,000 रूपये के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान इस योजना के

अंर्तगत 30.75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर,2008 तक 52 दम्पतियों को 13.00 लाख रूपये दिए गए।

(ङ) **स्वंयसिद्ध योजनाः—** महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाने हेतु विभाग 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्वंयसिद्ध योजना की प्रदेश के 8 विकास खण्डों रोहड़ू, बैजनाथ, चम्बा, सोलन, पच्छाद, झण्डूता, लम्बागांव व करसोग में कार्यान्वित कर रहा है। इस के अंतर्गत 180.09 लाख रूपये महिला सहायता समूह के सदस्यों ने बचाए। दिसम्बर,2008 तक 142.14 लाख रूपये व्यय किए गए। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक इन खण्ड़ों में 800 महिला सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं।

(च) **मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्भाल योजनाः—** इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय 1,1000 रूपये से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 14 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु 1,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाएगी। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008—09 के लिए 117.98 लाख रूपये का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर,2008 तक 92.81 लाख रूपये व्यय किये गए।

विकलांग कल्याण

10.40 इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें विभाग द्वारा चलाई जा रही हैः—

(क) **विकलांग छात्रवृतिः—** इसका मुख्य उद्वेश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा इसके अंतर्गत इन बच्चों को छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 2008—09 मे 50.34 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था और दिसम्बर,2008 तक 24.88 लाख रूपये की सहायता दी गई।

(ख) **विकलांग विवाह अनुदानः—** सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु (जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो) प्रोत्साहित करने के आशय से 8,000 रूपये से 15,000 तक विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत 26.06 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर,2008 तक 16.08 लाख रूपये व्यय हुए।

(घ) **विकलांगों के लिए स्वंय रोजगार योजनाः—** इस योजना के अंतर्गत उन अपंग व्यक्तियों को जिनकी अपंगता 40 प्रतिशत या अधिक है तथा जिनकी वार्षिक आय 7,500 रूपये से कम है के लिए 2,500 रूपये दिये जाते हैं। वर्ष 2008—09 में इस योजना के अंतर्गत 22.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है और दिसम्बर,2008 तक 0.15 लाख रूपये खर्च किए।

अनुसूचित जाति/जन—जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याणः—

10.41 इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008—09 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैंः—

(क) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहनः—**अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातिय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अर्न्तजातीय विवाह के लिए 25,000 रूपये प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2008—09 मे इस योजना के अंतर्गत 66.75 लाख रूपये रखे गए और 160 दम्पतियों को दिसम्बर,2008 तक 39.81 लाख रूपये खर्च करके लाभ पहुंचाया गया।

(ख) **गृह अनुदानः—** इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार

जिनकी वार्षिक आय 17,000 रूपये से अधिक न हो, को 38,500 रूपये आवास निर्माण हेतु तथा 15,000 रूपये गृह मुरम्मत के लिए दिये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 में 1,334.16 लाख रूपये रखे गए और 3,559 व्यक्तियों को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2008 तक 788.47 लाख रूपये खर्च करके लाभान्वित किया गया।

(ग) **gfjtu cfLr;ksa o muesa jgus dh lqfo/kkvksa esa lq/kkj%&** इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन बस्तियों में रास्तों/ जल निकास नालियों/ छोटी पेयजल योजना के अंतर्गत कुंआ/बावड़ी के निर्माण के लिए एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अंतर्गत 799.00 लाख रूपये रखे गये और 891 हरिजन बस्तियों को लाभान्वित किया गया। इस पर दिसम्बर,2008 तक 413.15 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

(घ) **dम्प्यूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः–** इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को भी शामिल कर दिया गया है। विभाग मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है। विभाग 1,200 रूपये प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रदान करता है। यदि इससे अधिक खर्च आता है तो अभ्यर्थी को स्वंय वहन करना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को 1,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को कार्यालय में नियुक्त किया जाता है ताकि वह कम्पयूटर पर काम करने में दक्षता हासिल कर सके। इस अवधि में अभ्यर्थी को 1,500 रूपये प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2008–09 के लिए 348.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से 31.12.2008 तक 53. 38 लाख रूपये व्यय किए गए तथा 946 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ड़) **अनुवर्ती कार्यक्रमः–** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 11,000 रू वार्षिक से अधिक न हो, को उपकरण तथा औजार खरीदने के लिए 1,300 रूपये प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अंतर्गत 74.35 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसमें से 16.95 लाख रूपये की राशि दिसम्बर,2008 तक व्यय की गई जिससे 1,495 लोग लाभान्वित हुए।

(च) **अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को मुआवजाः–** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है जिनपर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। वर्ष 2008–09 के लिए 8.00 लाख रूपये का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से 1.13 लाख रूपये की राशि दिसम्बर,2008 तक व्यय करके 12 परिवारों को सहायता दी गई।

अनुसूचित जाति उप–योजना

10-42 अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप–योजना एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को वर्ष 2002 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाकर स्थानान्तरित कर दिया है। इससे पूर्व यह कार्य जन–जातीय विभाग द्वारा किया जा रहा था।

10.43 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्रों में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.31 प्रतिशत है।

10.44 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

10.45 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्याक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 24.72 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

10.46 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष “789” बनाया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति उप–योजना से संबंधित सारे बजट को इस नए शीर्ष में किया गया है। इस निधि को एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा।

10.47 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यवन्यन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जोकि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम (11क):

10.48 वर्ष 1997 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 1,07,057 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2008–09 (नवम्बर, 2008 तक) 58,000 लक्ष्य के मुकाबले 33,393 अनुसूचित जाति परिवार लाभाविन्त हुए है।

विषेष केंद्रीय सहायता

10.49 भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विशेष केन्दीय सहायता दी जा रही है ताकि अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए विकास स्कीमें राज्य सरकार प्रभावी ढंग से लागू की जा सकें। विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्धेश्य इन स्कीमों के अन्तर्गत ज्यादा निधि उपलब्ध करवाना है, जिन्हें विशेष विभाग अपने संसाधनों से पूरा करने में अवश्य ही अक्षम है।

i; t y

10.50 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्‌दा है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल योजनाओं पर अंतिम/युक्तियुक्त सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल 45,367 बस्तियों को मार्च,2008 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्ष 2002–03 में दोबारा से करवाए गए सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश में कुल 51,848 बस्तियां चिन्हित हुई हैं जिनमें से 45,367 बस्तियां जो पुराने सर्वेक्षण के अनुसार थी भी सम्मिलित हैं। 1.4. 2008 को इन बस्तियों की वास्तविक स्थिति कुल 51,848 में से आंशिक रूप में 16,527 पूर्ण रूप से 30,266 तथा जिनको ये सुविधा प्राप्त नहीं है 5,055 हैं। वर्ष 2008–09 में 2,000 बस्तियों को राज्य भाग के रूप में एवं 3,184 बस्तियों को केंद्रीय भाग के रूप में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके

लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः 15,405.70 लाख रूपये एवं 14,152.00 लाख रूपये रखा गया। इनमें से राज्य भाग के रूप में 3,874.99 लाख रूपये (नवम्बर,2008 तक) खर्च करके 1,048 बस्तियों में दिसम्बर,2008 तक एवं केंद्रीय भाग के रूप में 4,825.40 लाख रूपये नवम्बर, 2008 तक परिव्यय करके 2,370 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

10.51 2008–09 में नवम्बर, 2008 तक 779 हैण्डपम्प लगाए गए। अब तक 40 शहरों की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन कर दिया गया है तथा इस वर्ष 2 शहरों की पेयजल योजनाओं क्रमशः सोलन, भोटा जो चालू वर्ष में कमीशन की गई हैं भी सम्मिलित हैं तथा इस चालू वर्ष 2008–09 मे दो शहरों की पेयजल योजना जिनका नाम चम्बा शहर का कुछ भाग व पालमपुर शहर का कुछ भाग का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2008–09 में 1,000.00 लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है जिसमें से नवम्बर,2008 तक 447.36 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

मल प्रवाह

10.52 प्रदेश में 24 शहरों में मल निकासी सुविधा का कार्य प्रगति पर है। मल प्रवाह सुविधा के लिए वर्ष 2008–09 में 3,584.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से नवम्बर,2008 तक 297.00 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे। इस वर्ष 2008–09 के दौरान 2 मल प्रवाह योजनाएं नारकण्डा तथा भूंतर के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।

11- 'kgjh fodkl

11.1 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं कियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदेश में नगर निगम, शिमला समेत कुल 49 शहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है। शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने की बजह से सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में इन निकायों को 6,380.01 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

11.2 उपरोक्त राशि के अतिरिक्त तृतीय राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2008–09 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को 4,176.00 लाख रूपये की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें से दिसम्बर,2008 तक 3,876.00 लाख रूपये प्रदान किये जा चुके हैं। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी शामिल है। बारहवें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2008–09 में शहरी क्षेत्रों में कूड़ा संयन्त्र लगाने के लिए 160.00 लाख प्रदान किए जाने प्रस्तावित है।

Tkokgj yky usg: jk"Vªh; 'kgjh uohdj.k ;kstuk

11.3 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य शहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कुशल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार शहरों की आर्थिक तथा सामाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मे केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गया है।

11.4 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नामांकित किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है । वर्ष 2008–09 में 1,036.00 लाख रूपये का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भाग के रूप मे किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस योजना मे निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

1. शिमला नगर के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बेहतरी लाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, शिमला मोटर सड़क पर सुरंग को खोदने व चौड़ा करने का कार्य।
3. शिमला नगर के गरीबों को आशियाना– I और II, घर योजना।

,dhd`r xg ,o efyu cLrh fodkl ;kstuk

11.5 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी ईकाई (दो कमरे, एक रसोई तथा शौचालय) के निर्माण का प्रावधान है। एक रिहायशी ईकाई मु0 90,000.00 रूपये की लागत से बनाया जाना है। यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार ता 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मु0 2,343.93 लाख रूपये की तीन योजनाओं (हमीरपुर मु0 443.32 लाख, धर्मशाला मु0 942.31 लाख तथा सोलन मु0 958.30 लाख) को अनुमोदित कर दिया है जिसके

अंतर्गत 328 धर्मशाला, 336 सोलन तथा 152 रिहायशी ईकाई हमीरपुर में वर्ष 2012 तक बनाए जाने हैं। हिमुडा को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नांमाकित किया गया है।

'kहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

11.6 49 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कों, रास्ते तथा गलियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें मु0 600.00 लाख रूपये इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए हैं।

'kहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

11.7 'kहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार एवं राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष मु0 244.00 लाख रूपये सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने प्रस्तावित हैं जिसमें 3,300 परिवार लाभान्वित होंगें। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक स्नानागार, शौचालय एवं रेहन बसेरा इत्यादि बनाने के लिए अनुदान राशि प्रदान की जा रही है ताकि शहरों के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। 31.12.2008 तक मु0 183.00 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं व 1,199 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। 31.3.2009 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

11.8 स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अर्न्तगत मुख्य उद्वेश्य शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहें बेरोजगारों व अपूर्ण बेरोजगारों को इस योजना में स्वयं रोजगार व मजदूरी रोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अंतर्गत सरकार की भागीदारी के रूप में 13.99 लाख रूपये प्रदान किए जा चुके हैं।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना(यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

11.9 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) को पुनः संरचित कर इस का नाम छोटे तथा मध्यम शहरी सरंचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) रखा गया तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमुडा को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस योजना के तहत तीन शहरों हमीरपुर, धर्मशाला तथा मण्डी को लाया जा चुका है तथा चम्बा शहर की योजना अनुमोदनार्थ, भारत सरकार को भेजी है इसके कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2008–09 में 50.00 लाख रूपये (राज्य भाग) का प्रावधान किया गया है जो कि 31.03.09 तक खर्च कर लिया जाएगा।

राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा

11.10 माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने शिमला शहर को छोड़ कर दूसरी शहरी स्थानीय निकायों में सफाई एवं ढांचागत सुधार हेतु राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा योजना की घोषणा वर्ष 2006–07 में की है। इस योजना में कार पार्किंग, पार्क निर्माण कूड़ा संयंत्र की स्थापना तथा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के कार्यन्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में मु0 100.00 लाख रूपये बजट प्रावधान है जिसमें से मु0 50.00 लाख नगर परिषद जुब्बल को पार्किंग क निर्माण हेतु प्रदान किए गए हैं तथा शेष राशि 31.3.2009 तक खर्च कर दी जाएगी

मल व्यवस्था योजना

11.11 मल व्यवस्था योजना सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। परन्तु वर्ष 2008–09 में मु0 2,250.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान निदेशालय, शहरी विकास विभाग के नाम कर दिया है। शहरी स्थानीय निकायों के पास कुशल तथा पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में मल व्यवस्था स्कीम के संचालन हेतु यह राशि सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को प्रदान की गई है।

शहरी एवं ग्रामीण योजना

11.12 प्रदेश **सरकार** ने शहरों के बढ़ते झुकाव की प्रवृति को देखते हुए योजना बद्ध एंव व्यवस्थित विकास के लिए शहरी एंव ग्रामीण नियोजन अधिनियम–1977 बनाया है जिसे प्रदेश के समस्त बड़े शहरों में लागू किया गया है।

11.13 विभिन्न नगरों एंव बढ़ते केन्द्रो में योजना बद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने नगर एवं योजना एक्ट 1977 को 20 योजना क्षेत्रों और 34 विशेष क्षेत्रों में बढ़ाया। वर्ष 2008–09 के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई हैः–

31.12.2008 तक की भौतिक उपलब्ध्यिां

11.14 नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम,1977 के अंतर्गत लोगों को ग्रामीण कार्यकलापों से संबंधित अपने भवनों के नक्शे पास करवाने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने तथा मुख्य गतिविधियों को अधिनियम के दायरे मे लाने के लिए एक नया प्रारूप हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विधेयक, 2008 तैयार कर सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। कोल–डैम विशेष क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक अधिसूचना के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया है। विभाग द्वारा बाबा बालक नाथ जी व हरठ विशेष क्षेत्रों के वर्तमान भू–उपयोग तैयार कर आपत्तियां व सुझाव हेतु अधिसूचित किए गए हैं। ठियोग व अतिरिक्त कसौली योजना क्षेत्र तथा त्रिलोकपुर, नग्गर, नैर चौक और चिन्तपूर्णी विशेष क्षेत्रों के वर्तमान भू–उपयोग को आपत्तियां व सुझाव सुनकर अपनाए गए हैं। कसौली योजना क्षेत्र की विकास, योजना तेयार कर जनता की आपत्तियां व सुझाव हेतु प्रकाशित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करने के लिए विनियम सरकार को प्रस्तुत किए गए तथा प्रारूप सौर अप्रतिरोधी भवन संरचना विनिमय आपत्तियां व सुझाव हेतु प्रकाशित किए गए।

31.3.2009 तक पूर्वानुमानित उपलब्धियां

11.15 वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा योजनाएं बनाने के लिए शीर्ष 4217 के अंतर्गत 10.00 लाख रूपये का विनियोजन किया गया था जिसका उपयोग किया जा चुका है। यदि विभाग द्वारा मांगा गया बजट सरकार द्वारा दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष में ठियोग व वाकनाघाट योजना क्षेत्र तथा नेर–चौक व चिन्तपूर्णी विशेष क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार की जाएगी।

वित्त वर्ष 2009–10 के लिए लक्ष्य

11.16 वित्त वर्ष 2009–10 में विभाग द्वारा परमाणु व अतिरिक्त धर्मशाला योजना क्षेत्रों एवं मनीकरण, नग्गर, त्रिलोकपुर, सराहन एवं भरमौर विशेष क्षेत्रों की विकास योजनाएं तैयार करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कुल्लू, नाहन, उना एवं सोलन नगरों के लिए धरोहर प्रतिवेदन तैयार करने का प्रस्ताव है।

12- xkeh.k fodkl rFkk iapk;rh jkt

xkeh.k fodkl

12.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं।

Lo.kZ t;Urh xzke Lojkstxkj ;kstuk

12.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रदेश मे वर्ष 1999–2000 से चलाई गई है। यह योजना एक होलिस्टिक पैकेज है जिसमें स्वरोजगार के पहलुओं जैसे स्व सहायता ग्रुपों मे गरीबों का संगठन, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा संरचना इत्यादि को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लाभ–भोगी परिवारों को स्वरोजगारी कहा जाता है। यह योजना उधार व उपदान कार्यक्रम का समायोजन है। एस.जी.एस.वाई योजना के अंतर्गत उपदान सहायता समान रूप से परियोजना कीमत का 30 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रूपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति एवं विकलांग व्यक्ति के परिवारों को 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000 रूपये उपदान के रूप में रखे गये है। स्वरोजगार परिवारों को योजना कीमत 50 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति 10,000 रूपये या 1.25 लाख रूपये जो भी कम हो उपदान के रूप में दिए जाते है। एस.जी.एस.वाई. स्कीम गरीब परिवारों में से अति संवेदनशील परिवारों पर केंद्रित की गई है। स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन–जाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग लाभान्वित होगें। इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

12.3 अभी तक इस योजना से 8,418 स्वयं सहायता ग्रुप बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर,2008 तक 609 स्वयं सहायता ग्रुप बनाए गए तथा 456 ग्रुप, जिनके परिवार 4,959 गरीबी रेखा से नीचे के हैं ने आर्थिक कार्यकलाप का काम शुरू किया है। इन ग्रुपों को 387.44 लाख रूपये सहायता अनुदान तथा 1308.56 लाख रूपये ऋण के रूप में दिए गए। इसके अतिरिक्त 1075 व्यक्तिगत स्वरोजगारों को एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता दी गई तथा इन स्वरोजगारों को 87.90 लाख रूपये सहायता अनुदान तथा 454.48 लाख रूपये ऋण के रूप में दिए गए। ऋण जुटाने का लक्ष्य जो 1,924.02 लाख रूपये है की तुलना में 1,763.04 लाख रूपये का ऋण 456 स्वयं सहायता समुहों तथा 1075 स्वरोजगारों को वितरित किया गया।

Lo.kZ t;Urh xzke Lojkstxkj ;kstuk d vUrxZr fo'ks"k ifj;kstuk,a

gkbZMªkse dh LFkkiuk

12.4 भारत सरकार ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत प्रदेश में 400 हाईड्रैमों की स्थापना की परियोजना को स्वीकृति दी है जिसकी कुल लागत 1,047.20 लाख रूपये है जिसमें 770.48 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 161.40 लाख रूपये ऋण के रूप में तथा 115.32 लाख रूपये लाभार्थी अंश के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। सितम्बर,2008 तक इस परियोजना के अधीन 333 स्थलों का चयन किया जा चुका है तथा 268 हाईड्रैम प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनमें से 208 हाईड्रैमों की स्थापना हो चुकी है। इन हाईड्रैमों की स्थापना पर 414.33 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

गोल्ड माईन्ज परियोजना

12.5 भारत सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 840.35 लाख रूपये की लागत से एक 'गोल्ड माईन्ज' नामक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 327.76 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 512.59 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस परियोजना के अधीन तीन मुख्य गतिविधियां, पुष्प उत्पादन,

रेशम उत्पादन तथा खुम्ब उत्पादन सम्मिलित हैं।सितम्बर,2008 तक 366.08 लाख रूपये इस योजना पर व्यय किए जा चुके थे तथा 474 लाभार्थियों को पुष्प उत्पादन, रेशम उद्योग तथा मशरूम खेती के लिए लाभान्वित किया गया।

xkeh.k oLrqvk dk foi.ku

12.6 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना की कुल लागत 914.52 लाख रूपये है जिसमें 769.52 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 145.00 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 50 हिमाचल ग्रामीण भण्डारों तथा 1 केंद्रीय ग्रामीण भण्डार का निर्माण किया जाएगा। सितम्बर,2008 तक 24 ग्रामीण भण्डारों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, 8 ग्रामीण भण्डारों का कार्य प्रगति पर है जिन पर 350.46 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

feYp ykbo LVkd bEiqoeV

12.7 भारत सरकार ने जिला सोलन के लिए 886.95 लाख रूपये की लागत से एक ‘मिल्च लाइव स्टॉक इम्प्रुवमैंट’ परियोजना स्वीकृत की है जिसमें 715.15 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 171.80 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात मे वहन किया जाएगा। इस परियोजना के अधीन दुग्ध उत्पादन गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु डी.आर.डी.ए. सोलन को 572.61 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और सितम्बर,2008 तक 334.44 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

d`f"k e: fofo/kdj.k }kjk xkeh.k fodkl

12.8 भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1,385.32 लाख रूपये की लागत से यह परियोजना स्वीकृत की गई है जिसमें 1204.00 लाख रूपये अनुदान के रूप में और 181.32 लाख रूपये ऋण के रूप में शामिल हैं। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 अनुपात में वहन की जानी है। इस परियोजना के अधीन मैडीसिनल और ऐरोमैटिक प्लान्टस, फूल तथा बगीचे वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का विकास, रेशम उत्पादन, पशुपालन की उत्तम तकनीकी प्रचलन आदि गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला मण्डी को 963.20 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं जिसमें से सितम्बर,2008 तक 734.19 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

j'ke mRiknu o Mjh fodkl }kjk vkRe&fuHkjrk

12.9 भारत सरकार द्वारा जिला हमीरपुर के लिए 1,499.90 लाख रूपये जिसमें 981.00 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 519.00 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप में हैं, की लागत से रेशम व डेरी विकास हेतु यह परियोजना स्वीकृत की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी है। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला हमीरपुर को 784.88 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें से सितम्बर,2008 तक 396.29 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 745.42 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप में खर्च किए जा चुके हैं।

xhu xkYM

12.10 मैडिसिनल प्लान्टस, एरोमैटिक प्लान्टस, फल व बगीचे फूलों वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, गैर–मौसमी सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन तथा इम्प्रूवड डेरी मैनेजमेंट हेतु भारत सरकार द्वारा जिला चम्बा के लिए 1,488.73 लाख रूपये जिसमें 1,361.23 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 127.50 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप में तथा लाभार्थी अंश के रूप में की लागत युक्त यह परियोजना स्वीकार की है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाएगी। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला चम्बा को 1,088.90 लाख रूपये उपलब्ध करवाएं गए हैं जिसमें से सितम्बर,2008 तक 834.50 लाख रूपये खर्च किए गए हैं।

bUVflo Mjh MoYiesV

12.11 भारत सरकार द्वारा जिला कांगडा के लिए 1,301.25 लाख रूपये की लागत की इन्टैसिंव डेरी डवैल्पमैंट नामक एक परियोजना जिसमें 1,151.40 लाख रूपये सहायता के रूप में एवं 149.85 लाख रूपये ऋण के घटक के रूप मे तथा लाभार्थी अंश के रूप में स्वीकृत की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कांगड़ा जिले के ग्रामीण विकास अभिकरण को 921.12 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं जिसमें से 577.48 लाख रूपये सितम्बर,2008 तक खर्च किए जा चुके हैं।

EkkMhfluy lykV~l] ,jksfVd lykV~l dh df"k] eY; of}] fo/kk;u foi.ku (jkT; Lrjh;)

12.12 भारत सरकार ने यह परियोजना 9 विकास खण्डो जैसे मशोबरा] रामपुर, चिरगाव,पच्छाद,बंजार,कुल्लु,तिस्सा,बमसन, और अम्ब के लिये स्वीकृत की है। इस परियोजना की कुल लागत मु0 1448.35 लाख रूपय है। यह परियोजना बायोटैक विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही है तथा इसके लिए मु0 300.61 लाख रू0 आबंटित किये गये हैं। सितम्बर 2008 तक मु0 24.71 लाख रू0 खर्च कर दिये गये हैं।

ग्रामीण युवकों की कुषलता का विकास – ग्रामीण लैब्स (राज्य स्तरीय)

12.13 भारत सरकार द्वारा यह परियोजना मु0 250.00 लाख रू0 से स्वीकृत की गई है (यह शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है) अभी तक इस परियोजना के अन्तर्गत मु0 100.00 लाख रू0 प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से सितम्बर 2008 तक मु0 86.00 लाख रू0 खर्च कर दिये गये हैं। यह परियोजना डा0 रेडीज़ फाऊडेशन, हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत सितम्बर 2008 तक 1856 गरीबी से नीचे रहने वाले ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 896 ग्रामीण युवकों को रोजगार दिया गया है।

वाटरशैड

12.14 इस परियोजना के अंतर्गत तीन परियोजनाएं क्रमशः एकीकृत वाटरशैड विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम(डी.डी.पी.) चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2008–09 (दिसम्बर,2008) तक एकीकृत बंजर कार्यक्रम के अंतर्गत 67 परियोजनाएं (868 माइक्रो वाटर शैड) जिनकी कुल लागत मु0 254.12 करोड़ रूपये है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। सूखाग्रस्त कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2008–09 (दिसम्बर,2008) तक 412 सुक्ष्म जलागम स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत मु0 116.50 लाख रूपये तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ से दिसम्बर,2008 तक 552 सुक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत मु0 159.20 करोड़ रूपये है तथा 196242 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है जिसकी तुलना में आई.डब्लयू.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत 153.14 करोड़, डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत 53.90 करोड़ रूपये तथा डी.डी.पी के अंतर्गत 74.85 करोड़ रूपये दिसम्बर,2008 तक व्यय किए गए।

bfUnjk vkokl ;kstuk

12.15 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को 38,500 रूपये प्रति परिवार नये मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात से इस योजना पर व्यय करती है।वर्ष 2008–09 में 4542 नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य है जिनमें गत शेष 300 मकानों का निर्माण भी सम्मिलित है तथा दिसम्बर,2008 तक 1746 नए मकान बनाये गये तथा शेष मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है।इस परियोजना के अधीन दिसम्बर,2008 तक 964.84 लाख रूपये खर्च किए गए।

jk"Vh; ifjokj lgk;rk ;ktuk

12.16 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के रोजी कमाने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो शोक संतप्त परिवार को 10,000 रूपये प्रति परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है।

vVy vkokl ;ktuk

12.17 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की तरह ही चलाई जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गृहहीन परिवारों को आवास सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए राज्य सरकार ने 1.4.2008 को अटल आवास योजना का शुभारम्भ किया ।इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को गृह निर्माण हेतु 38500/–रु0 दिये जाते हैं, जबकि इस पहले चलाई जा रही राज्य प्रायोजित योजना के अन्तर्गत यह राशि 27500/– रू0 थी। दिसम्बर,2008 तक 3708 नये आवास निर्माण के लक्ष्यों की तुलना में समस्त गृहों को लाभार्थीयों को स्वीकृत किया जा चुका हैं, 101 मकानों का निर्माण किया गया है तथा शेष मकान निर्माणाधीन हैं तथा इन पर 108.97 लाख रूपये व्यय किए गए हैं ।

i.kl LoPNrk dk;kZo;u ifj;ktuk,a

12.18 ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त स्वच्छता के दृष्टिगत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना को जो प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी है केन्द्र सरकार ने जब से योजना शुरू हुई है तब से दिसम्बर,2008 तक 18.75 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है जिसमें से दिसम्बर,2008 तक 12.10 करोड़ रूपये इस परियोजना में खर्च किए जा चुके हैं।

jk"Vh; xkeh.k jktxkj xkjVh ;ktuk

12-19 संसद द्वारा सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी की जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यह अधिनियम–2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू माना जाएगा जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया है। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण मे लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। 1.4.2008 से शेष 8 जिलों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 2008–09 में दिसम्बर,2008 तक भारत सरकार द्वारा 21,725.52 लाख रूपये प्रदेश के समस्त जिलों को जारी किए जा चुके हैं जिसके विरूद्व प्रदेश सरकार के राज्य भाग के रूप मे 2,864.49 लाख रूपये भी प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1.4.2008 को अंत शेष मु0 4,513.29 लाख रूपये तथा मु0 232.56 लाख रूपये ब्याज के रूप में अर्जित किए गए। इस प्रकार से 31. 12.2008 तक कुल उपलब्ध राशि मु0 29,335.86 लाख रूपये जिनमें से 19,310.28 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 120.55 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए एवं 363150 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

पंचायती राज

12.20 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 75 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 73वें संशोधन के कारण भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें तकनीकी सहायक, पंचायत सहायक, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका, अंशकालिक जलवाहक की नियुक्ति आदि सम्मिलित हैं। कनिष्ठ अभियंता एवं लेखापाल के रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ अभियंता तथा लेखापाल लिपिक व आशुटंकक की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता विकास की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना

तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

12.21 पंचायती राज संस्थाओं को समस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के सृजन हेतु बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ऋण प्राप्त करने, विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं जुर्माना आदि के लिए अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा ऋण उगाही से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अधीन गुजारा भत्ता के लिए तथा 500 रूपये प्रतिमाह तक गुजारा भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायते क्षेत्र में एक रूपये प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

12.22 यह अनिवार्य किया गया है कि कृ"k] पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व ओर कल्याण विभाग के गांव स्तर में कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

12.23 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतू वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ii) महिलाओं को सशक्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओ को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला शक्ति अभियान को भी शुरू कर दिया गया है जिससे उनकी क्षमता वृद्दि होगी।

(iii) ग्राम पंचायत के उप–प्रधान के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया है।

(iv) सरकार ने पंचायतों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना शुरू की है तथा इस योजना के अर्न्तगत पंचायतों द्वारा शुद्व अतिरिक्त स्त्रोतों को सृजित करने से प्राप्त राशि के बराबर राशि प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा स्वच्छता, तरल/ठोस कुडा प्रबधन तथा स्ट्रीट लाईट के अर्न्तगत सृजित की गई राशि के बदले में दोगनी राशि प्रदान की जायेगी। इस वर्ष इस हेतु 10.00 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(v) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय की दरों में दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से बढ़ौतरी की है। मानदेय की संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को 3500/– रू0 तथा 2500/– प्रति मास, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 1800/– रू0 तथा 1500/– रू0 प्रति मास तथा प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत को 1200/– एवं 1000/–रू0 प्रति मास मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः 1500/–रू0, की 1200/– रू0 प्रति मास कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को

मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतू बैठक फीस की दर को 150/— रू0 प्रति बैठक कर दिया गया है।

(vi) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतू भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(vii) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने पंचायत चौकीदारो वर्दी उपलब्ध करवाने हेतु मु0 840 रू0 प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है और इस वित्त वर्ष में ग्राम पंचायतों को इस मद में मु0 27.24 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

(viii)पंचायत घर के निर्माण की लागत के मापदण्ड को मु0 2.00 लाख से वढाकर 3.40 लाख रूपये कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष से ग्राम पंचायतों को संशोधित मापदण्डों अनुसार राशि प्रदान की जा रही है और इस वर्ष के दौरान संशोधित मापदण्डों के आधार पर 130 ऐसी ग्राम पंचायतों को, जिनमें पंचायत घर निर्मित नहीं थे, 4.42 करोड़ रूपये की राशि पंचायत घर निर्माण हेतु प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 1. 40 करोड़ रूपय की राशि 100 ऐसी ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है जिनका गठन वर्ष, 2005 में किया गया था और जिन्हें पुराने मापदण्डों के आधार पर पंचायत घर निर्माण हेतु 2.00 लाख रूपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु 1.00 लाख रूपये प्रति पंचायत चरणबद्ध ढ़ग से प्रदाान किये जा रहे हैं और चालू वित्त वर्ष में मु0 6.30 करोड रूपये की राशि 630 ग्राम पचांयतों को इस प्रयोजन हेतु प्रदान की जा चुकी है।

(ix) सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत समिति के कार्यालयों को अपग्रेड करने व बैठक कक्ष एवंम अध्यक्ष पंचायत समिति के कार्यालय के लिए फर्नीचर हेतु मु0 2.00 लाख रूपये प्रति पंचायत समिति की दर से प्रदान किए जाएंगे जिस हेतु 1.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ओर चालू वित्त वर्ष में अब तक 98.00 लाख रूपये की राशि 49 पचांयत समितियों को इस प्रयोजन हेतु प्रदान की जा चुकी है।

(x)पंचायत सहायकों का मासिक पारिश्रमिक मु0 2340 रू0 से बढाकर 3120 रू0 कर दिया गया है। पंचायत सहायकों को सचिव पंचायत के कार्यो के निष्पादन हेतु भी अधिकृत किया गया है तथा उन्हें ग्राम पंचायत निधि के संचालन हेतु वितीय शक्तियों भी प्रदान की गई है। पंचायत क्षेत्र के लोंगों को प्रति दिन सेंवाऐं प्रदान करने के उदेश्य से पंचायत सहायक या पंचायत सचिव की प्रत्येक पंचायत उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु 225 पंचायत सहायकों के नये पद सृजित किये गये है।

(xi)पंचायत सहायकों को पदोन्निति प्रदान करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ पंचायत सहायकों को अनुबन्ध के आधार पर पंचायत सचिव पदोन्नत किया जाऐगा। इस वर्ष 260 पंचायत सहायको को अनुबन्ध के आधार पर पंचायत सचिव पदोन्नत करके उन्हें मु0 4,680/— रू0 मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाऐगा।

(xii)पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनकी पंचायतों में भूमिका एवं दायित्वों के दृष्टिगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रभावी रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये यह जरूरी है कि आवश्यक प्रशिक्षण ढ़ाचा तैयार किया जाए। इस लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायती राज संस्थान बैजनाथ के भवन जहां मण्डल कॉगडा तथा मण्डल मण्डी के कुछ भाग के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता हे को अपग्रेड किया जाए। प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ के अपग्रेडेशन के लिये मु0 2.30 करोड रूपये की राशि 2 वर्षो में प्रदान की जायेगी तथा चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजन हेतु मु0 1.15 करोड रूपये की राशि चिन्हित की गई है।

(xiii) पंचायत समिति में अनुबन्ध के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ताओं के 40 नए पदों का सृजन किया गया है।

(xiv) पंचायत समिति द्वारा अनुबन्ध पर नियुक्त 21 कनिष्ठ अभियन्ताओं को जिन्होने 8 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 31.3.2008 तक पूर्ण किया है की सेवाओं को जिला परिषद कैडर के अर्न्तगत नियमित किया गया है।

(xv) पंचायतों को तकनीकी सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत 847 तकनीकी सहायक नियुक्त किये गए है तथा 2 से 5 पंचायतों हेतू एक तकनीकी सहायक का सर्कल तैयार किया गया है तथा इन्हें मु0 50000 रू0 से 1.50 लाख तक के मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(xvi) सरकार ने मनाली में पांच मंजिला पंचायत भवन निर्माण करने का निर्णय लिया है जिसके निर्माण में मु0 69.85 लाख रूपये की धनराशी व्यय होगी।

''''

13- lpuk iks|ksfxdh] i;kZoj.k ,oa foKku iks|ksfxdh

lpuk iks|ksfxdh

13.1 हिमस्वान परियोजना भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय को सभी जिला मुख्यालयों को ब्लाक /तहसील मुख्यालयों से जोड़ने के लिये शुरू की गई। इस परियोजना पर 79.23 करोड़ रूपये की लागत आयेगी जिसमें केन्द्र सरकार 77.23 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवायेगी तथा 2 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। इस राशि में से 24.86 करोड़ रूपये ए.सी.ए. के रूप में सरकार को प्राप्त होगा और 55.37 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा सीधे अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस परियोजना में अब तक 42.73 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है और बाकि राशि 2011 तक प्राप्त होगी। अब तक हिमस्वान परियोजना में 18.42 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। हिमस्वान, ई–गवर्नैंस के तीन मुख्य स्तम्भों में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसका मुख्य उद्धेश्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं को प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ–साथ विभिन्न विभाग अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित कम्पयूटर प्रोग्राम को हिमस्वान के माध्यम से राज्य स्तर पर चला सकेगें। हिमाचल प्रदेश को देश के पहले ऐसे राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ जिसने हिमस्वान परियोजना को सबसे पहले 5 फरवरी, 2008 को स्थापित किया है और पिछले लगभग 8 महीनों में यह प्रदेश सभी राज्यों में सबसे अधिक कार्यालयों को स्वान से जोड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश को हिमस्वान के सफल कियान्वयन के लिये वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

3366 सामुदायिक सेवा केन्द्र

13.2 केन्द्र सरकार ने भारत के 6 लाख से अधिक गॉवों में 1 लाख से अधिक सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकारी, निजी एवं सामाजिक क्षेत्रों की विभिन्न सेवाये प्रदान करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कम्पनियों के माध्यम से कम्पयूटर केन्द्र खोलें जायेंगे। निजी कम्पनियों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क सरकार द्वारा अनुमोदित होगा। हिमाचल में 3,243 पंचायतो में कुल 3,366 सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। परियोजना का उद्धेश्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाओं को जनता के कल्याण के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। यह परियोजना प्रदेश में मौजूद लोकमित्र परियोजना का विस्तारीकरण है। इस परियोजना में मौजूदा 25 लोकमित्र केन्द्रों का पुनरूत्थान किया जायेगा।

भारत सरकार की इस योजना के अनुसार निजी कम्पनियों को टैंड़र के आधार पर ये कार्य दिया गया है। कम्पयूटर केन्द्र खोलने के लिये निजी कम्पनियों को राशि वित्तीय व्यवहार्यता अंतर (वी.जी.एफ.) के द्वारा उपलब्ध करवाई गईं है।

सामुदायिक सेवा केन्द्र ग्रामीण स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे ताकि शहर व ग्राम का अंकिय विभाजन का अंतर मिटाया जा सके। आम नागरिक इन सेवाओं के प्रयोग से अपना समय और पैसा बचा सकेंगे। पहले चरण में सामुदायिक सेवा केन्द्रो से निम्नलिखित सरकारी सेवायें प्रदान की जायेगीः वोटर पंजीकरण, वोटर पहचान पत्र, बस बुकिंग, बिजली बिल भुगतान, टेलीफोन एवं मोबाइल बिल भुगतान, पुलिस शिकायत पंजीकरण, रिक्त पदों की सूची, पासपोर्ट निरीक्षण स्थिति, स्कूल बोर्ड परिणाम, उच्च न्यायलय केस सूची, वेबसाइट द्वारा सरकारी सूचना एवं फार्म इत्यादि। हिमाचल प्रदेश पूरे भारत वर्ष के कुछ राज्यों में सम्मिलित है जहां इस

परियोजना का कार्य शुरू हो चुका हैं तथा जनवरी,2009 तक लगभग 100 सामुदायिक सेवा केन्द्र पूरे प्रदेश में खोल दिए जाएंगें।

टेलीमेडिसन

13.3 यह परियोजना राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं सुधारने में और आम व्यक्ति को सी0एच0सी0 स्तर पर, पी0जी0आई/आई0 जी0 एम0 सी0 से अच्छे चिकित्सक विशेषज्ञ के अभिगमन द्वारा सेवाएं प्रदान करती है। 19 दूरवर्ती क्षेत्र आई0 जी0 एम0 सी0 शिमला से जुड़े हैं जो पी0जी0आई0 से भी आई0 जी0 एम0 सी0 के द्वारा जुड़े हुए हैं।

यह परियोजना आई0 जी0 एम0 सी0 और 19 दूरवर्ती क्षेत्रों सी0एच0 करसोग, आर0एच0 चम्बा आर0एच0 कुल्लू, व आर0एच0 हमीरपुर, जैड0एच0 मण्डी, जैड0एच0 रिकॉग पियो, आर0एच0 रामपुर, सी0एच0सी0रोहडू, आर0एच0 नाहन, सी0एच0बंजार, जैड0एच घर्मशाला, सी0एच0सी भरमौर, सी0एच0सी किलॉग, सी0एच0सी टिस्सा, सी0एच0सी पूह, सी0एच0सी जंजहेली, सी0एच0सी शिलाई, सी0एच0सी संगडाह व सी0एच0सी नेरवा में कार्यान्वित हैं।

सुगम

13.4 एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्र के माध्यम से शिमला जिला के सभी तहसील/उप तहसील, सब डिविजन तथा जिला मुख्यालय में सुगम केन्द्र (सामुदायिक सेवा केन्द्र) खोले गये थे। इस परियोजना के लिए यू0एन0डी0पी0 द्वारा 1.50 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये थे। इन केन्द्रों में 35 सेवायें उपलब्ध हैं। नागरिकों को द्वार पर ही सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये चार और सुगम केन्द्र शिमला नगर निगम के माध्यम से खोले जा रहें हैं।

सुगम ग्रामीण निवासियों को प्रशासन के विभिन्न चरणों में से गुजरे बिना ही उनके द्वार पर सेवायें और सूचना एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने का महत्वर्ण कार्य कर रहा है। इस परियोजना का अपूर्व पहलू यह है कि कागजात प्रस्तुति तथा आवश्यक सर्टिफिकेट/ लाईसेंस आदि ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो सकते हैं जहां से स्वीकृति का स्थान अलग हो।

स्टेट डाटा सेंटर

13.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नैस योजना के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर की पहचान सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक तथा सरकार से व्यापार तक विभिन्न प्रभावी सेवाओं को एकत्रित करने वाले एक प्रमुख अंग के रूप में की गई हैं। इस परियोजना पर 43.64 करोड़ रूपये की लागत आयेगी जिसे केन्द्र सरकार उपलब्ध करवायेगी। इस राशि में से 27.32 करोड़ रूपये के ए.सी.ए. के रूप में भारत सरकार से से प्राप्त होगी। शेष राशि 16.32 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। इस परियोजना में अब तक 3.72 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है और शेष राशि अगामी 5 वर्षो मे प्राप्त होगी। इस परियोजना पर अब तक 30 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। मैहली, शिमला के समीप जगह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नाम पर स्थानांतरित किया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्टेट सेंटर के भवन के निर्माण हेतु भवन का अभिन्यास एंव प्राकलन हिमुडा द्वारा बनाया जा रहा है।

कृषि संसाधन सूचना तंत्र व नेटवर्किंग (एग्रिसनेट)

13.6 एग्रिसनेट भारत सरकार से प्रस्तावित परियोजना है जिसका क्रियावन नागरिकों विशेषकर किसानों तथा बागवानों तक कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग सम्बन्धित सेवाओं एवं सूचनाओं को पहुंचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रथम चरण में 1.32 करोड़ रूपये जारी किये। इसमें से 1.03 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा

शेष राशि सॉफटवेयर के लिए देय है। परियोजना के द्वितीय चरण में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालय में कम्प्युटर की सुविघा उप्लब्ध कराई जानी है, जिसके लिए भारत सरकार ने लगभग 5.70 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत की है, जो अभी आहरित की जानी है। मैसर्ज सैमटेक कम्पनी को एग्रिसनेट का सेवा प्रदाता चयनित किया गया है तथा इस कम्पनी के साथ 31.10.08 को करार पर हस्ताक्षर किये गये है। साफटवेयर पर जल्दी ही कार्य शुरू हो जायेगा। परियोजना के अधीन सभी कार्यालयों का हिमस्वान के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाएगा।

चिकित्सालय प्रबन्ध सूचना तंत्र

13.7 चिकित्सालय प्रबन्ध सूचना तंत्र परियोजना हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान चिकित्सा केन्द्र में शुरू की गई। इस परियोजना का उद्वेश्य चिकित्सालय के नित्य कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करना है। मरीजों का उनके पंजीकरण से लेकर चिकित्सालय से डिस्चार्ज तक का मेडिकल रिकॉर्ड रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आई.जी.एम.सी. के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 11 आंकड़ा प्रविष्टि ऑपरेटर अस्थाई रूप से उपलब्ध करवाये गये है।

कॉलेजों में कम्पयूटर लैव

13.8 हिमाचल प्रदेश सरकार सभी राजकीय महाविद्यालयों में तीन चरणों में कम्पयूटर लैव का प्रावधान करने जा रही है। इन कम्पयूटर लैबस में कार्यस्थल का विकास किया जा रहा है तथा कम्पयूटर, प्रक्षेपक आदि दिये जा रहे है। प्रथम चरण में 24 कॉलेजों में कम्पयूटर लैब का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण में 14 कॉलेजों में कम्पयूटर लैब का प्रावधान किया जा रहा है तीसरे चरण में बाकी कॉलेजों में कम्पयूटर लैबों का प्रावधान किया जाएगा तथा तीसरे चरण में शेष कॉलेजों में कम्पयूटर लैब का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न राजकीय स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में विद्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी की आपेक्षित कुशलता प्रदान करने हेतु कम्पयूटर लैबों का निर्माण किया जा रहा है। यह कम्पयूटर लैब विद्यार्थियों को कम्पयूटर का आधारभूत ज्ञान तथा अन्य विषयों में कम्पयूटर संबंधित कार्य करने के लिए भी है। यह कम्पयूटर लैब एक नई परियोजना बी.पी.ओ. (बिजनैस प्रौसेस आउटसोरसिंग) तथा आई.टी.ई.एस (इफोरमेशन टेक्नोलॉजी ऐनेबेल्ड सर्विसेस) के प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग होगे। यह विशेष प्रशिक्षण, महाविद्यालयों के नियमित शिक्षण समय के बाद प्रदान किए जाएगें। सभी कॉलेजों में इंटरनेट सूविधा हिमस्वैन द्वारा प्रदान की जा रही है। प्रथम तथा द्वितीय चरण में कॉलेजों में कम्पयूटर लैब के लिए 7.74 करोड़ रूपये का प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया गया है। अभी तक 4.50 करोड़ रूपये की अदायगी हो चुकी है।

राष्ट्रीय पोर्टल में

13.9 इस परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के अधिकारिक पोर्टल में हिमाचल प्रदेश सरकार व उसके विभागों से संबंधित सारी सूचना को उपलब्ध करवाने हेतु किया गया है।

इस पोर्टल को बनाने का उद्वेश्य नागरिकों और अन्य संबंधित एजेसियों स्टॉक होल्डर को भारत सरकार व प्रदेश सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सूचना और सेवाओं को एक स्थान पर प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से सूचना का एक व्यापक, शुद्व, विश्वसनीय तथा एकल बिन्दु स्त्रोत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार के अन्य पोर्टलों / वेबसाइटों के लिए इसमें विभिन्न लिंक्स दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए 17.95 लाख रूपये का

प्रावधान है जिसमें से 10 लाख रूपये प्राप्त हो चुके

ई.सरकार अधिप्राप्ति

13.10 इस परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के साथ केरल, मध्य प्रदेश व भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग को चुना गया है। इस लक्ष्यवर्धी परियोजना को सरकार की खरीद–फरोख्त को सरलीकृत, पारदर्शी और परिणाम अभविनियसत करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना को प्राारम्भिक चरण में विभागों में चलाया जाएगा तथा इसके सफलतापूर्वक परिणाम आने पर इसे सभी संबंधित विभागों में शुरू कर दिया जाएगा।

सूचना प्रौद्योकिी पार्क

13.11 वाकनाघाट में 64.73 एकड़ भूमि पर सामुदायिक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें सरकार लगभग 51.94 करोड़ रूपये खर्च करके आधारभूत सूविधाएं (सड़क, पानी, बिजली) प्रदान करेगी और यह राशि निजी पार्टी से 6 वर्ष में वसूल कर ली जाएगी। इस परियोजना के लिए राज्य बजट से 2.23 करोड़ रूपये विभाग के पास उपलब्ध हैं तथा 1 करोड़ रूपये का प्रावधान इस वित्त वर्ष में किया गया है। इस पार्क से सरकार को 16 वर्षों में लगभग 325.71 करोड़ रूपये की आय होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी पार्क निजी पार्टी द्वारा तैयार किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में निजी पार्टी लगभग 460 करोड़ रूपये व्यय करेगी। इस परियोजना से लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा।

राज्य सेवा वितरण द्वार एवं राज्य पोर्टल

13.12 इस परियोजना का उद्वेश्य विभिन्न आवेदन प्रपत्रों को एक सेवा वितरण के द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जमा करवाना तथा उनकी स्थिति का आंकलन करना है। राष्ट्रीय ई.गवर्नेस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं परिरूप और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इस परियोजना के अंतर्गत एक ऐसा ढांचा निर्मित किया जाएगा जिससे राष्ट्रीय ई.गवर्नेस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का शीघ्रतम से उपयोग किया जा सकेगा तथा दूसरी परियोजनाएं जो कि क्रियाशील चरण में हैं, इस ढांचे को उपयोग कर सकेगी।

ई–गवर्नैंस रोड़मैप और केपेसिटी बिल्डिंग रोड़मैप का रूपांकन तथा परिपालन

13.13 इस परियोजना का उद्धेश्य विभिन्न विभागों द्धारा प्रदान ककी जाने वाली नागरिक सम्बन्धी सेवाओं को कम्प्युट्रीकृत करने का रूपांकन तैयार करना हे जिससे आम जनता को सरकारी सेवायें बेहतर ढंग से मुहैया करवाई जा सके। इस कम्प्युद्रीकरण के रूपांकन को अमल मे लाने के लिये विभिन्न विभागों में उचित क्षमताओं की कमी है। यह कमी प्रायः तकनीकी तौर पर उचित कार्यकुशल कर्मचारियों के न होने की वजह से पाई गयी है। इस परियोजना का एक उद्धेश्य तकनीकी तौर पर कार्यकुशल कर्मचारियों की भर्ती करना तथ सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता का निर्माण करना है। इस कमी को पूरा करने के लिये क्षमता निर्माण रोड़मैप का रूपांकन किया गया है जिसमे निजी क्षेत्र से तकनीकी तौर पर कार्यकुशल कर्मचारियों की

भर्ती तथा वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण के प्रस्ताव के लिये भारत सरकार द्वारा 7.36 करोड़ रूपये (3.71 करोड़ रूप सीधा अनुदान व 3.61 करोड़ रूपये ए.सी.ए) स्वीकृत किये गये हैं। अब तक 3.61 करोड़ रूपये की राशी प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें से 3 लाख रूपये खर्च किए गये है। 23 विभागों तथा 13 कार्पोरेशनों को प्रारंभिक चरण में इस परियोजना के कियांवन हेतु सम्मिलित किया गया है। ई.गवर्नेंस और केपेसिटी बिल्डिंग रोड़मैप निजी कम्पनी विप्रो से तैयार कराया गया है। ई–गवर्नेंस रोड़मैप का पारूप विभागों तथा कार्पोरेशन का निरीक्षण करके तैयार किया गया। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विभागों के साथ चर्चा की गई तथा इन विभागों के साथ जुलाई, 2007 में बैठक आयोजित की गई तथा अंतिम रिपाोर्ट तैयार की गई। 22 फरवरी, 2008 को अंतिम रिर्पोट को सभी विभागों को सत्यापित करने के लिये भेजा गया। विभागों से प्रतिपुष्टि मिलने के पश्चात रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

13.14 प्रदेश को पर्यावण के क्षेत्र मे "डायमण्ड स्टेट अवार्ड" से नवाजा गया है। यह बहुत ही सुखद विषय कि बात है कि हिमाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन बचाव जैसे संवदेनशील मुद्दे व ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिये कारगर कदम उठाये हैं तथा देश में इस विषय पर पहल की है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण एंव प्रतिरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन बचाव के क्षेत्र में अलग पहचान बनायेगा।

13.15 पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य का "एनवायरन्मैंट मास्टर प्लॉन" बनाया जा रहा है। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना एंव नीति को विशेषज्ञों की मदद से बनाया जा रहा है। यह दस्तावेज प्रदेश की विभिन्न कार्ययोजनाओं के कार्यन्वयन के लिये पर्यावरण संरक्षण एंव प्रतिरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यावरण कोष स्थापित किया है जो कि पर्यावरण संरक्षण पर केन्द्रित ऐैच्छिक भावनाओं पर आधारित है।

13.16 हमारे पारम्परिक हथकरघा एंव हस्तशिल्प का न केवल प्रतिरक्षण व संरक्षण किया जा रहा है अपितु इसकी राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिये प्रयास किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश के "चम्बा रूमाल" को ज्योग्राफीकल ईन्डीकेशन एक्ट–1999 के अन्तर्गत पेटैंट करवा कर हिमाचल प्रदेश की पारम्परिक कला व हस्तशिल्प की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

13.17 राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी को राज्य में उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह कदम न केवन प्रदेश में राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय निवेशकों के लिये मौका देगा अपितु प्रदेश में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करेगा तथा राज्य में इस क्षेत्र में कुशल एंव दक्ष मानव संसाधन का सृजन करेगा।

14. आर्थिक गणना

14.1 अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ने विशेष तौर पर अंसगठित क्षेत्रों के आंकड़ों के अन्तर को पूरा करने के लिए पूरे राज्य में आर्थिक गणना का कार्य पूरा कर लिया है। आर्थिक गणना प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित सभी उद्यमी ईकाईयों की शासकीय गणना है, जो कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाक्लापों, कृषि व गैर कृषि क्षेत्र में केवल स्वंय के उप–भाग को छोड़कर वस्तुओं तथा सेवाओ के उत्पादन एंव वितरण में संलग्न हो।

14.2 अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक गणना का कार्य प्रदेश के प्रत्येक घर–घर में जाकर निर्धारित प्रपत्रों को भर कर पूर्ण किया है तथा एकत्रीत आंकड़ों का, संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या करने के उपरान्त एक पुस्तिका स्वरूप में प्रस्तुत किया है। प्रकाशन का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के द्वारा 17 दिसम्बर,2008 को आम जनता के प्रयोग के लिए किया गया।

(i) आर्थिक गणना योजना के लिए एक उपयोगी प्रक्रिया है जो कि पांच वर्षों में एक बार की जाती है। यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित है। पिछले दशकों में लागत व समय के अभाव के कारण यह गणना जनगणना के साथ ही की जाती थी, लेकिन पांचवीं आर्थिक गणना स्वतन्त्र स्वरूप में की गई पहले की चार आर्थिक गणनाएं वर्ष 1977, 1980, 1990 व 1998 में सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। आर्थिक गणना में देश व राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों का विश्लेषण किया जाता है। मुख्य तौर पर गणना में आर्थिक उद्यमों को गिना जाता है, कृषि व गैर कृषि (फसल उत्पादन व पौधारोपण को छोड़कर) इसमें सभी उद्यमों को शामिल किया जाता है।

(ii) आर्थिक गणना 2005 का कार्य करने में 6,418 अन्वेषक, 1,576 पर्यवेक्षक, 129 प्रभारी अधिकारी व 3 क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका रही तथा 13,36,817 घरों को इस गणना के दौरान शामिल किया गया।

(iii) कुल उद्यमों की संख्या 2,67,773 जिसमें से कि 2,15,248 (80.38 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में व 52,525 (19.62 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(iv) कुल उद्यमों 2,67,773 में से 12,014 (4.49 प्रतिशत) कृषि संबंधित क्रियाकलापों में व 2,55,759(95.51 प्रतिशत) गैर कृषि संबंधित क्रियाकलापों में कार्य कर रहे हैं।

(v) 6,59,479 व्यक्तियों को 2,67,773 उद्यमों में रोजगार मिला हुआ है जिनमें से 19,116 (2.90 प्रतिशत) को कृषि संबंधित कार्यों में व शेष 6,40,363 (97.10 प्रतिशत) को गैर कृषि कार्यों में रोजगार मिला हुआ है।

(vi) कृषि उद्यमों के अंतर्गत ऐसे उद्यम जहां पर कम से कम एक मजदूर कार्यरत है में कुल कामगारों की संख्या 4,022 है और गैर कृषि उद्यमों में जहां कम से कम एक मजदूर है में कुल कामगारों की संख्या 4,52,298 है।

(vii) उद्यमों की परिभाषा में ऐसे उद्यम जोकि केवल पारिवारिक मदद से चलाए जाते हैं व ऐसे उद्यम जोकि कम से कम एक मजदूर की सहायता से चलाए जाते है शामिल हैं। कृषि उद्यमों के अंतर्गत 10,939 (91.05 प्रतिशत) पारिवारिक मदद व 1,075 (8.95 प्रतिशत) उद्यम कम से कम एक मजदूर की सहायता से चलाए जा रहे हैं।

(viii) गैर कृषि उद्यमों के अंतर्गत 1,70,030 (66. 48 प्रतिशत) ऐसे उद्यम हैं जोकि पारिवारिक मदद पर चलाए जा रहे हैं तथा 85,729 (33.52 प्रतिशत) ऐसे हैं जोकि कम से कम एक मजदूर की मदद से चलाए जा रहे हैं।

(ix) कृषि क्रियाकलापों के अंतर्गत पशुपालन एक प्रमुख क्रियाकलाप है जिसमें कि 8,933 (74.36 प्रतिशत) उद्यम कार्यरत है। गैर कृषि क्रियाकलापों के अंतर्गत प्रमुख क्रियाकलाप है फुटकर व्यापार 96,427 (37. 70 प्रतिशत) उत्पादन 49,751 (19.45 प्रतिशत) शिक्षा 19,675 (7.69 प्रतिशत) तथा होटल रैस्टोरैंट 18,079 (7.07 प्रतिशत) शामिल है।

(x) सर्वाधिक उद्यम जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं 60,250 (22.5 प्रतिशत) तथा सबसे कम लाहौल एवं स्पिति में 1,963 (0.73 प्रतिशत) कार्यरत हैं।

(xi) सर्वाधिक व्यक्तियों को रोजगार जिला कांगड़ा, में मिला है जिनकी संख्या 1,24,235(18.84 प्रतिशत) है तथा न्युनतम रोजगार जिला लाहौल स्पिति में मिला है जो कि 5,888 (0.89 प्रतिशत) है।

(xii) मजदूरी करने वालों की संख्या सर्वाधिक जिला शिमला 75,767 (17.90 प्रतिशत) है व न्युनतम मजदूरी करने वाले जिला लाहौल–स्पिति 4,324 (1.02 प्रतिशत) है।

(xiii) कृषि क्रियाकलापों के अंतर्गत पशुपालन संबंधित उद्यमों की संख्या सबसे ज्यादा जिला कांगड़ा 1,982 (22.19 प्रतिशत) है तथा सबसे कम जिला लाहौल–स्पिति में है जो कि केवल मात्र एक है।वनों व शिकार से संबंधित क्रियाकलाव में जिला मण्डी सर्वाधिक 1,100 (40.73 प्रतिशत) एवं जिला उना, लाहौल–स्पिति व किन्नौर में एक भी उद्यम नहीं पाया गया । मछली उत्पादन संबंधित क्रियाकलाप में जिला बिलासपुर सर्वोच्च 188 (49.47 प्रतिशत) एवं जिला लाहौल स्पिति, सिरमौर व हमीरपुर में एक भी उद्यम नहीं पाया गया।

(xiv) गैर कृषि क्रियाकलापों में जिसमें कि फुटकर व्यापार 25,134 (26.07 प्रतिशत), शिक्षा 3,339 (16.97 प्रतिशत) व होटल रैस्टौरेंट 4,380 (24.23 प्रतिशत) शामिल है में जिला कांगड़ा पहले स्थान पर रहा और उत्पादन आधारित उद्यमों 9,764 (19.63 प्रतिशत) में जिला मण्डी पहले स्थान पर रहा। सभी प्रकार के उद्यमों जोकि उपर दर्शाए गए हैं में जिला लाहौल स्पिति सबसे निचले स्थान पर रहा।

(xv) कृषि आधारित क्रियाकलापों में 14408 (75. 7 प्रतिशत) पुरूष, 4558 (23.81 प्रतिशत) महिलाएं व 150 (0.78 प्रतिशत) बच्चे कार्यरत हैं।

(xvi) गैर कृषि क्रियाकलापों में 5,41,028(84.49 प्रतिशत) पुरूष, 99,189 (15.49 प्रतिशत) महिलाएं और शेष 146 (0.02 प्रतिशत) बच्चे कार्यरत हैं। सर्वाधिक पुरूष फुटकर व्यापार में, सर्वाधिक महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में व सर्वाधिक बच्चे फुटकर व्यापार में कार्यरत हैं।

(xvii) कृषि के अंतर्गत 10,907(90.79 प्रतिशत) उद्यम किसी भी एक्ट व संस्था में पंजीकृत नहीं हैं। गैर कृषि क्रियाकलापों के अंतर्गत 97,725 (38.21 प्रतिशत) कहीं पर भी पंजीकृत है तथा 74,850 (29.27 प्रतिशत) दुकान उद्यम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

(xviii) वित्तीय स्त्रोत जोकि उद्यमों को पोषित कर रहे हैं उनका अध्धयन भी आवश्यक है, कृषि क्रिया–कलापों के अंतर्गत 11,230 (93.47 प्रतिशत) उद्यम किसी भी वित्तीय संस्था की मदद से चल रहे हैं तथा 3.25 प्रतिशत उद्यमों को वित्तीय मदद सरकार से मिल रही है। गैर–कृषि क्रिया–कलापों के अंतर्गत 1,84,265 (72.05 प्रतिशत) बगैर किसी वित्तीय मदद से चल रहे हैं तथा 43,135 (16.87 प्रतिशत) उद्यम सरकारी वित्तीय संस्थानों की मदद से चल रहे हैं।

(xix) बाल मजदूरी प्रदेश में घटती दिशा की ओर है क्योंकि जहां चौथी आर्थिक गणना में बाल मजदूरों की संख्या 745 थी जो कि पांचवी आर्थिक गणना मे केवल 296 रह गई है।